लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / **Ninth Session**]

Preservation Unit
21-5-92
Fumigated
On 17-12-83
Parliament Library

[खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं / **Vol. XXXIII contains Nos. 1—10**]

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025.
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi].

1933 (ai) LS--4

विषय-सूची

अंक 8—बुधवार, 16 सितम्बर, 1964/25 भाद्र, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
205	गोआ में बम विस्फोट	781–85
206	रूसी सहायता प्राप्त औषधि निर्माण संयंत्र	786–88
207	ट्राम्बे (बम्बई) में मेथानोल संयंत्र	788–89
208	जम्मू तथा काश्मीर में बम विस्फोट की घटनायें	790–93
209	प्रशासनिक सुधार	794–800
210	शरणार्थियों के लिये प्रव्रजन प्रमाणपत्र	800–02
211	सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी	803–04

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
212	मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद	805
213	अध्यापक कल्याण निधि	806–07
214	हिन्दी का विकास करना तथा उसका प्रयोग में लाया जाना	807
215	पाकिस्तान द्वारा कारगिल के निकट तोड़ फोड़ की कार्यवाही	808
216	इंडियन आयल कम्पनी तथा इंडियन रिफाइनरीज का विलय	808–09
217	शरणार्थियों के लिये भूमि	809
218	शरणार्थियों को नकद सहायता	810–11
219	सम्पूर्णानन्द समिति का प्रतिवेदन	811
220	असिस्टेंटों के लिये सेलेक्शन ग्रेड	811
221	हजरतबल के पवित्र बाल की चोरी	812
222	साम्यवादी सत्याग्रह	812
223	विश्व गोल्फ चैम्पियनशिप	812–13
224	खासा शिविर में भारत से निष्कासित पाकिस्तानी	813
225	पैट्रो-कैमकिल औद्योगिक समूह	814
226	अखिल भारतीय शिक्षा सेवा	815
227	हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड	815–16

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
228	एशियाई देशों से अशोधित तेल	816
229	कुंजरू समिति का प्रतिवेदन	817
230	उर्वरक का उत्पादन	817–18
231	केन्द्रीय पुस्तक प्रकाशन ब्यूरो	818–19
232	दिल्ली नगर निगम की वित्तीय स्थिति	819
233	वयस्क निरक्षरता उन्मूलन आन्दोलन	820
234	शिक्षा नीति के निर्धारण में अध्यापकों का योग	820

अतारांकित प्रश्न संख्या		
650	विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों की शिक्षा	821
651	भारतीय पुस्तकालय संस्था, कलकत्ता के लिये अनुदान	821
652	योग्यता के आधार पर छात्र वृतियां	821
653	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति	821–22
654	सहारनपुर में पुरातत्वीय अवशेष	822
655	रूसी भाषा का शिक्षण	822–23
656	आन्ध्र प्रदेश में शिक्षात्मक विकास	823
657	गोआ का भावी ढांचा	823
658	आयकर विभाग में भ्रष्टाचार	824
659	जनांकिकी का शिक्षण	824
660	केरल में फिटोकेमिकल संयंत्र	825
661	मोजाम्बिक में भारतीय व्यक्ति	825
662	न्यायपालिका को कार्य पालिका से पृथक करना	826
663	शिक्षा संस्थाओं को अधिक अधिकार देना	826
664	चौथी पंचवर्षीय योजना में तकनीकी शिक्षा	826–27
665	दिल्ली में पोलीटेकनिक	828
666	मोटर दौड़	828–29
667	बुनियादी शिक्षा	829
668	डाक द्वारा हिन्दी पाठ्यक्रम	829
669	अंग्रेजी का स्तर	830
670	शिमला में सामाजिक विज्ञान संस्था	830–31
671	संयुक्त राष्ट्र सम्बन्धी गोष्ठी	831
672	राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अनुसन्धान	832
673	पुस्तक प्रकाशन सम्बन्धी भारत रूसी बोर्ड	832–33
675	क्लास रूम साइन्स फिल्म	833–34
676	दिल्ली में खेल गांव	834
677	राजस्थान में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी	834–35

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—(*contd.*)

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
228	Crude Oil from Asian Countries	816
229	Kunzru Committee Report	817
230	Production of Fertilizers	817—18
231	Central Bureau of Book Production	818—19
232	Financial Position of D.M.C.	819
233	Drive against Adult Illiteracy	820
234	Teachers' Participation in Educational Policy	820

Unstarred Questions Nos.

650	Education of Children of Displaced Persons	821
651	Grant to Indian Library Association, Calcutta	821
652	Merit Scholarships	821
653	Refugees in Tripura	821—22
654	Archaeological Finds in Saharanpur	822
655	Teaching of Russian Language	822—23
656	Educational Development in Andhra Pradesh	823
657	Future set up of Goa	823
658	Corruption in Income-Tax Department	824
659	Teaching in Demography	824
660	Phyto-chemical Plant in Kerala	825
661	Indians from Mozambique	825
662	Separation of Judiciary from Executive	826
663	Greater Autonomy in Educational Institutes	826
664	Technical Education in Fourth Plan	826—27
665	Polytechnic in Delhi	828
666	Motor Racing	828—29
667	Basic Education	829
668	Correspondence Course in Hindi	829
669	Standard of English	830
670	Institute of Social Sciences at Simla	830—31
671	Seminar on U. N.	831
672	Researches in National Laboratories	832
673	Indo-Russian Board for Book Production	832—33
675	Classroom Science Films	833—34
676	Sports Village in Delhi	834
677	Pak Infiltrators in Rajasthan	34—35

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
678	हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाना	835–36
679	पुराने किले के निष्क्रांत व्यक्ति	836
680	दण्डकारण्य में शरणार्थियों के लिए भूमि	836–37
681	माध्यमिक तथा कालिज की शिक्षा	837
682	उर्वरक कारखाने	837
683	अखिल भारतीय सेवायें	838
684	ओक्सीजन गैस का अपव्यय	838
685	रूसी सर्कस	839–40
686	पुलिस प्रशिक्षण स्कूल	840
687	दिल्ली के स्कूलों में अध्यापन	840
688	विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन क्रम	840
689	प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा	840
690	केनिंग पत्तन पर ड्रिलिंग	841
691	मंत्रियों द्वारा विदेश भ्रमण	841
692	अध्यापकों का प्रशिक्षण	841
693	कोरबा में उर्वरक का कारखाना	842
694	अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये पत्रव्यवहार पाठ्यक्रम	842
695	उत्तर प्रदेश के अध्यापकों के वेतन-क्रम	842–43
696	यूगोस्लाविया जाने वाले भारतीय छात्र	843
697	प्रतिव्यक्ति शुल्क	843–44
698	मास्टर प्लान के अन्तर्गत भूमि अर्जन	844
699	अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा	844
700	स्कूलों तथा कालेजों में उत्पादी श्रम	844–45
701	विश्वविद्यालयों के लिये आदर्श विधान	845
702	नूनमती तेल शोधनशाला	845–46
703	दिल्ली में वर्षा	846
704	रूस में शिक्षा	846
705	नीमच में केन्द्रीय रक्षित पुलिस	847
706	प्रादेशिक औषध अनुसन्धानशालायें	847
707	तेल की पाइप लाइन	847
708	अलकोहल	848
709	दास आयोग सम्बन्धी व्यय	848
710	मैसूर को शिक्षा सम्बन्धी ऋण	848–49
711	प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की मांगें	849–50
712	दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम	850–51
713	हिन्दू विवाह तथा विवाह विच्छेद पर उद्वेग गवेषणा	851
714	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की फाइलें	852
715	स्कूलों के पुस्तकालयों का प्रशिक्षण	852

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—(*contd.*)

Unstarred Questions

Nos.	*Subject*	PAGES
678	Hindi as Meduim of Instruction	835—36
679	Purana Qilla Evacuees	836
680	Land for Refugees in Dandakaranya	836—37
681	Secondary and Collegiate Education	837
682	Fertilizer Factories	837
683	All India Services	838
684	Wastage of Oxygen Gas	838
685	Soviet Circus	839—40
686	Police Training School	840
687	Teaching in Delhi Schools	840
688	Pay Scales of University Lecturers	840
689	Primary and Secondary Education	840
690	Drilling at Port Canning	841
691	Foreign Tours by Ministers	841
692	Teachers' Training	841
693	Fertilizer Plant at Korba	842
694	Correspondence Course for Teachers' Training	842
695	Salary-scales of U.P. Teachers	842—43
696	Indian Students to Yugoslavia	843
697	Capitation Fees	843—44
698	Acquisition of land under Master Plan	844
699	All India Scientific Service	844
700	Productive Labour in Schools and Colleges	844—45
701	Model Legislation for Universities	845
702	Noonmati Refinery	845—46
703	Rains in Delhi	846
704	Education in U.S.S.R.	846
705	Central Reserve Police at Neemuch	847
706	Regional Drug Research Laboratories	847
707	Oil Pipe Line	847
708	Alcohol	848
709	Expenditure on Das Commission	848
710	Educational Loans to Mysore	848—49
711	Demands of Primary Teachers	849—50
712	Delhi Rent Control Act	850—51
713	Tension Research on Hindu Marriage and Divorce	851
714	O. N. G. C. Files	852
715	Training of School Librarians	852

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
716	जाली यात्री चैक	853
717	गुजरात की नई राजधानी में छिद्रण-कार्य	853
718	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन	853–54
719	सरकारी नौकरी में गैर-भारतीय कर्मचारी	854
720	नामरूप उर्वरक कारखाना	854–55
721	इंजीनियर	855
722	केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनसन्धान संस्था, पिलानी (राजस्थान)	856
723	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	856
724	नगर हवेली में सरकारी कर्मचारी	856
725	"राज्य कृषि"	856–57
726	अन्दमान तथा निकोबार में तेल की खोज	857
727	मेसर्ज़ सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी का मामला	857
728	इंजीनियरी में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण	858
729	अन्दमान द्वीप समूह में विद्युत् प्रेषण लाइनें	858
730	अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह	859

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न) . . . 859–60

सभा पटल पर रखे गये पत्र 860–61

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सैंतालीसवां प्रतिवेदन 861

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव 861–80

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा . . . 861–62

श्री नाथपाई 862–67

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती . . . 867

श्री ओझा 867–69

श्री गौरी शंकर कक्कड़ . . . 869–70

श्री च० ला० चौधरी 870–71

श्री प० गो० मेनन 871–72

श्री बदरुद्दुजा 872–73

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी . . . 873–74

डा० राम मनोहर लोहिया . . . 874–75

श्री नन्दा 875–80

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*(contd.)*

Unstarred Questions

Nos.	*Subject*	PAGES
716	Forged Traveller's Cheques	853
717	Drilling in New Capital of Gujarat	853
718	CSIR Reviewing Committee Report	853—54
719	Non-Indian Employees in Government Service	854
720	Namrup Fertilizer Factory	854—55
721	Engineering Personnel	855
722	C. E. E. R. I. Pilani (Rajasthan)	856
723	National Loan Scholarships Scheme	856
724	Government Employees in Nagar Haveli	856
725	'State Farming'	856—57
726	Oil Exploration in Andaman and Nicobar	857
727	M/s Serajuddin & Co. Affairs	857
728	Practical Training in Engineering	858
729	Electric Transmission Lines in Andamans	858
730	Inter-University Youth Festival	859
Re : Calling Attention Notices-6 (Query)		859—60
Papers laid on the Table		860—61
Committee on Private Members' Bills and Resolutions		
	Forty-seventh Report	861
Motion of No-confidence in the Council of Ministers		861—80
	Shrimati Lakshmikanthamma	861—62
	Shri Nath Pai	862—67
	Shri P. R. Chakraverty	867
	Shri Oza	867—69
	Shri Gauri Shanker Kakkar	869—70
	Shri C. L. Chaudhry	870—71
	Shri P. G. Menon	871—72
	Shri Badrudduja	872—73
	Shri J. P. Jyotishi	873—74
	Dr. Ram Manohar Lohia	874—75
	Shri Nanda	875—80

(1)	The title of the book and the contents of the title page, with translation into English of such title and contents, when the same are not in the English language;	लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण dated 16-9-64 (Summarised Translated Version of Lok Sabha Debates)
(2)	The language in which the book is written;	Hindi/English
(3)	The name of the author, translator or editor of the book or any part thereof;	Lok Sabha Secretariat
(4)	The Subject ;	Proceedings of the Lok Sabha
(5)	The place of printing and the place of publication;	Printed at the Govt. of India Press, New Delhi. Published by the Lok Sabha Secretariat at the Parliament House, New Delhi.
(6)	The name of firm of the printer and the name or firm of the publisher;	- do -
(7)	The date of issue from the Press or of the publication;	27-10-64

P.T.O.

(8)	The number of sheets, leaves or pages;	781 - 880
(9)	The size;	Octavo
(10)	The first, second or other number of the edition;	First Edition
(11)	The number of copies of which the edition consists;	600
(12)	Whether the bo k is printed or lithorgraphed;	Printed
(13)	The price at which the book is sold to the Public; and	One Rupee
(14)	The name and residence of the proprietor of the copyright or of any portion of such copyright.	Lok Sabha Secretariat Parliament House, New Del

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 16 सितम्बर, 1964/25 भाद्र, 1886 (शक)

Wednesday, September 16, 1964/Bhadra 25, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Bomb Explosions in Goa

+

*205. **Shri Naval Prabhakar :**
Shri Himatsingka :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Bishanchander Seth :
Shri Dhaon :
Shri B. P. Yadava :
Shri Hem Barua :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Yashpal Singh :
Shri Vishram Prasad :
Shri Indrajit Gupta :
Shri Bade :
Shri D. C. Sharma :
Shri P. C. Borooah :
Shri Bagri :
Shri D. D. Mantri :
Shri Hem Raj :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Daji :
Shri Eswara Reddi :
Shri A. S. Saigal :

Shri Tridib Kumar Chaudhuri :
Shri Mohan Swarup :
Shri D. D. Puri :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :
Shri P. R. Patel :
Shri Balgovind Verma :
Shri Krishnapal Singh :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri R. Barua :
Shri Veerappa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foreign material was used in the manufacture of bombs which exploded in Cortalim, Margao, Ponda and Tisca areas of Goa on 20th June last;

(b) whether any team from Central Bureau of Investigation has been sent there;

(c) if so, the result of their investigation; and

(d) the broad outlines of the incidents ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) As the Inspector of Explosives is yet to finalise his report, it is not possible to express any opinion on this matter at this stage.

(b) No, Sir. The investigation is being carried out by the Goa Police under the guidance of the Intelligence Bureau.

(c) The investigation is still in progress.

(d) On the morning of 20th June, 1964, four explosions occurred at the following places in Goa :

(i) The uninhabited guest house attached to the Junta godowns (Civil Supplies Department) at Cortalim at 0300 hrs., causing damage estimated at about Rs. 1,000/- to the building.

(ii) In the municipal building situated in the town of Ponda, at about 0400 hrs. extensive damage estimated at about Rs. 30,000/- was caused to the building. Damage estimated at about Rs. 2,000/- was also caused to adjoining houses. Some persons in these houses received minor injuries.

(iii) At Margao at about 0515 hrs. in the municipal building located in the heart of the town. The building suffered damage estimated at about Rs. 1,000/-.

(iv) The last explosion took place at about 0645 hrs. in a Pan Bidi shop at Tisca, a crossing where roads from Molem, Usagaon and Ponda meet. Shri Balu Ram Naik, the owner of the shop, who was waiting for a bus, was blown to bits and his shop and also nearby shops were damaged to the extent of about Rs. 1,000/-.

Shri Naval Prabhakar : It has been said in the Statement that it is not possible to express any opinion on this matter at this stage and that the report of the Inspector of Explosives is being finalised. May I khow the time by which the report will be published at the earliest ?

Shri Hathi : As soon as the investigations are completed the report would be published.

Shri Naval Prabhakar : According to the Statement these explosions occurred at four places between 3 A. M. and 6·45 A. M. Are Government aware of the fact that these explosions have taken place according to a pre-planned programme ?

Shri Hathi : It appears so from the investigations carried out so far.

श्री रामेश्वर टांटिया : विवरण से ऐसा मालूम होता है कि इन विस्फोटों के पीछे एक पूर्व निर्धारित योजना थी ? 20 जून को चार विभिन्न स्थानों पर विस्फोट हुए थे और तीन महीने बीत गये हैं । क्या सरकार को इस संबंध में कोई सुराग मिला है ?

श्री हाथी : सुराग तो हमें मिल गया है परन्तु मैं अभी वह बताना नहीं चाहूंगा ।

Shri K. N. Tiwary : How many persons have so far been arrested in this connection and what is their nationality ?

श्री हाथी : चौदह आदमी गिरफ्तार किये गये हैं । उनकी राष्ट्रीयता के बारे में मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इन पूर्व नियोजित विस्फोटों में किसी विदेशी व्यक्ति का भी हाथ है ?

श्री हाथी : मैंने बताया है कि इन मामलों की जांच की जा रही है और मैं इस समय इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहता ।

श्री दी०चं० शर्मा : यह जांच का कार्य किस को सौंपा गया है, गोआ की पुलिस को या महाराष्ट्र की पुलिस को या केन्द्रीय सरकार की पुलिस को भी ?

श्री हाथी : केन्द्रीय गुप्त-वार्ता विभाग के निर्देशन में गोआ पुलिस इसकी जांच कर रही है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रारम्भिक जांच से यह पता चला है कि गोआ में कुछ ऐसे विदेशी गुट हैं जो कि गोआ की स्वतंत्रता के पश्चात् से वहां पर सक्रिय हैं और वे इन विस्फोटों के लिये उत्तरदायी हैं और यदि हां, तो वे गुट कौन कौन से हैं ?

श्री हाथी : माननीय महिला सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने अभी बताया था कि इस मामले की अभी जांच की जा रही है और मैं इस समय इन बातों को बताना नहीं चाहूंगा ।

Shri Yashpal Singh : Are Government in a position to state the names of those persons who have tried to get the arrested persons released on bail and of those advocates who have come forward to plead their case ?

Mr. Speaker : The hon. Member might be aware that the advocates cannot refuse to plead a case.

Shri Yashpal Singh : But we should at least know the name of the party to which those bailors belong.

श्री हाथी : वे हिरासत में हैं ।

Shri Sheo Narain : What is the extent of damage caused in these explosions ?

Shri Hathi : It is given in the Statement.

Shri M. L. Dwivedy : It is given in the statement that : "On the morning of 20th June, 1964, four explosions occurred", but before this it is stated that : "It is not possible to express any opinion on this matter at this stage". May I know the reasons for not expressing any opinion on this matter when a period of three or four months has already elapsed since the occurence of these explosions ?

Shri Hathi : The reason is that the investigations are still in progress. It is still to be as certained as to wherefrom that explosive substance was obtained and how.

श्री पु० र० पटेल : यदि समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार सही हैं तो उनमें यह कहा गया है कि कुछ विदेशी व्यक्ति भारत में आये, उन्होंने यह विध्वंसात्मक कार्यवाही करवाई और फिर वापस चले गये । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात में कहां तक सचाई है ?

श्री हाथी : अभी मैं पहले ऐसे दो प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं कि ऐसे समाचार तो निकले हैं परन्तु जैसा कि मैंने बताया है जांच अभी चल रही है और इस समय मैं यह नहीं बताना चाहूंगा कि इस समाचार में वास्तव में कितनी सचाई है ।

श्री पु०र० पटेल : यह कैसे सम्भव है कि समाचारपत्रों में तो उन व्यक्तियों के नाम भी बता दिये गये हैं जब कि मंत्री महोदय उस जानकारी को देने के लिये तैयार नहीं हैं, इसका क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : हमें इस पर तर्क नहीं करना चाहिये ।

Shri Vishwa Nath Pandey : It is given in the statement that the Inspector of Explosives is yet to finalise his report. May I know as to by when his finalised report would be received ?

Shri Hathi : It will still take some time. As soon as the investigations are complete, the report will be made available.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पुर्तगाली गोआ प्रशासन का भूतपूर्व गुप्त-वार्ता अधिकारी, कैसिमिर मोन्टियरों, इन विस्फोटों से पहले चोरी-छिपे गोआ में आ गया था और इन विस्फोटों के होने के पश्चात वह फिर निगाह बचा कर भाग गया, और दोनों ही बार बम्बई के रास्ते होकर ? क्या यह समाचार सरकार के पास पहुंच गया है और क्या उसके सम्बंध में कोई विशिष्ट जांच की गई है ? मैं कैसिमिर मोन्टियरों के बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री हाथी : मुझे बहुत से समाचार मिले हैं, बहुत से सुराग मिले हैं जिनमें यह सुराग भी शामिल है, और इन सबकी जांच की जा रही है : परन्तु इस समय मैं इस बारे में कोई ब्योरे बताना पसन्द नहीं करूंगा ।

श्री हेम बरुआ : उस जांच के अतिरिक्त जिसका कि माननीय मंत्री ने अभी उल्लेख किया है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कुछ ऐसे आरोप भी लगाये गये हैं कि गोआ में पुर्तगाल समर्थक कुछ तत्व सक्रिय हैं और गोआ के स्वतंत्र होने के बाद से ही वे गोआ राज्य के सन्तुलन को बिगाड़ने के लिये सक्रिय प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री हाथी : सरकार को ये सब समाचार और जानकारी मालूम है और इन सब बातों की जांच की जा रही है ।

श्री अल्वारेस : सामान्य सुरक्षा व्यवस्था की शिथिलता को देखते हुए और इस बात को भी देखते हुए कि इस बात का प्रमाण मिला है कि इस मामले में विदेशी व्यक्तियों का हाथ है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस जांच को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधीन करायेगी ?

श्री हाथी : मैंने बताया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो सक्रिय रूप से गोआ पुलिस का निर्देशन कर रहा है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गोआ में तथा गोआ के बाहर भी रहने वाले बहुत से गोआ निवासी भारत के साथ गोआ के एकीकरण से प्रसन्न नहीं हैं ; और सरकार इस सम्बंध में क्या कार्यवाही कर रही है कि आगामी ड्यूकैरिस्टिक कांग्रेस में वे गोआ निवासी कोई गड़बड़ी करने और भारत की सहनशीलता के सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न न करें ?

श्री हाथी : जो समारोह होने जा रहा है उसकी हमें जानकारी है और उसके बारे में हम सभी सावधानी बरतेंगे ।

श्री नाथ पाई : क्या माननीय मंत्री का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि (क) जिस विधि और जिस ढंग से ये जांच की जा रही है उनके बारे में गोआ के मुख्य मंत्री और राज्यपाल के बीच मतभेद है और यह कि मुख्य मंत्री ने इस सम्बंध में भारत सरकार को अपनी चिन्ता व्यक्त की है, और (ख) यह कि गोआ में यह एक व्यापक धारणा फैली हुई है कि वास्तविक अपराधियों का तत्परता से पता नहीं लगाया जा रहा है ?

श्री हाथी : (क) गोआ में जो परिस्थितियां, प्रशासनिक परिस्थितियां चल रही हैं उनके बारे में सरकार को समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें सीधे ही समाचार प्राप्त हो जाते हैं ;

(ख) इन मामलों की जांच की जा रही है ।

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि क्या मुख्य मंत्री ने इस बारे में अपना विरोध प्रकट किया है और अपना असंतोष व्यक्त किया है । मैं इस बात का उत्तर चाहता हूं । यदि मंत्री महोदय इसकी उपेक्षा करते हैं तो यह उनका अपना दृष्टिकोण है । परन्तु मैंने यह पूछा था कि जिस असंतोष-जनक ढंग में जांच की यह सब कार्यवाही की जा रही है क्या उसके बारे में मुख्य मंत्री ने अपना बरोध प्रगट किया है ? मैं इसका उत्तर चाहता हूं ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : श्रीमन्, कुछ समय पूर्व इस विषय पर मैंने मुख्य मंत्री से बातचीत की थी और कुछ पत्र व्यवहार भी किया था । वह जो उचित समझते थे वही काम किया जाना है और उससे कुछ अधिक ही किया जा रहा है । हम उस पर ध्यान दे रहे हैं ।

रूसी सहायता प्राप्त औषधि निर्माण संयंत्र

+

*206. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री घवन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि **भारत में** रूसी सहायता-प्राप्त औषधि निर्माण संयंत्रों की स्थापना का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति नहीं कर रहा है और उनके चालू होने में बहुत देर हो जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मन्द प्रगति के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) (क) और (ख) जी नहीं। इन संयंत्रों की प्रगति संतोष-जनक है और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षण उत्पादन (tria! production) के लिए उनके चालू होने की आशा है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि चन्द महीने पहिले भारत सरकार ने हैदराबाद के औषधि-निर्माण कारखाने के लिये कार्यकारी डिजाइनों और रूसी विशेषज्ञों के आने में हो रहे विलम्ब के बारे में रूसी सरकार से लिखित रूप में शिकायत की थी और यदि हां, तो क्या उसके बाद वे डिजाइन और विशेषज्ञ कर्मचारी भारत आ पहुंचे हैं ?

श्री अलगेशन : यह एक निरन्तर चलने वाला काम है । एक बार परियोजना के मंजूर हो जाने पर हम रूसी सहायता लेते हैं और पत्र-व्यवहार चलता रहता है । हो सकता है कि किसी समय इन डिजाइनों के आने या प्राप्त होने में बिलम्ब हुआ हो और हमने रूसी सरकार का ध्यान उस ओर दिलाया हो । मैं इस बारे में कुछ विशेष बात नहीं बता सकता ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि रूसी सरकार ने केरल क्षेत्र में किसी स्थान पर चतुर्थ औषधि निर्माण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया था और अब वह विचार त्याग दिया गया है। इस परियोजना के परित्याग के क्या कारण हैं ?

श्री अलगेशन : जी, हां । इस प्रश्न का उत्तर बहुत पहले दे दिया गया था । केरल राज्य में नेरिया मंगलम में चतुर्थ संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव था । परन्तु क्योंकि कच्चे माल की लागत आरम्भ में लगाये गये अनुमान से कहीं अधिक थी अतः उस कार्य को छोड़ देना पड़ा । रूसी सरकार की सहमति से ऐसा किया गया था ।

श्री दी० चं० शर्मा: यदि रूसी सरकार कुछ औषधि निर्माण संयंत्रों को स्थापित करने में पहिले ही से हमें सहयोग दे रही है और उन संयंत्रों के नक्शे उपलब्ध हैं तो फिर नये नक्शे की क्या आवश्यकता है ?

श्री अलगेशन : सारा प्रश्न औषधि निर्माण संयंत्र को स्थापित करने में रूसी सहयोग के और इन संयंत्रों में निर्धारित समय पर कार्य आरम्भ होने के बारे में है । इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

Shri Sarjoo Pandey : May I know the place where this Russian-aided plant will be set up ? What is the nature of drugs to be produced therein and what is the expenditure involved ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले इस सदन में दे चुका हूं । एक संयंत्र ऋषिकेश में स्थापित किया जायेगा और दूसरा हैदराबाद में । इसके ब्योरे सदन को बताये जा चुके हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : भारत में एक एकीकृत औषधि निर्माण संयंत्र, जिसमें कि ये सभी यूनिटें एक साथ मिलकर काम करने को थीं, को स्थापित करने के रूसी प्रस्ताव का क्या हुआ ? क्या संयंत्र का विकेन्द्रीकरण रूसी सरकार की इच्छा के अनुसार किया गया है अथवा हमारी ऐसी इच्छा थी और उन्होंने उसे पूरा किया है ?

श्री अलगेशन : ऋषिकेश और हैदराबाद के कारखानों में बहुत सी औषधियों का निर्माण किया जायेगा । उदाहरणार्थ, ऋषिकेश में स्ट्रैप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन तथा अन्य ऐसी दवाइयों का निर्माण किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह था कि क्या एक एकीकृत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव था और क्या उस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने का विचार त्याग दिया गया है ?

श्री हुमायून् कबिर : यह मामला ही ऐसा है कि कुछ तो कच्चे माल की उपलब्धि की अवस्था के कारण और कुछ स्थान विशेष की जलवायु के कारण ये सभी संयंत्र एक ही स्थान पर स्थापित नहीं किये जा सकते । ऋषिकेश को इसलिये चुना गया था कि एक विशेष तापक्रम वाले जल की आवश्यकता थी जो कि वहां पर उपलब्ध था । स्पष्ट है कि हैदराबाद में वह नहीं मिल सकता था ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या रूसी सरकार ने स्वयं ही इस संयंत्र के कार्य की मन्द गति के सम्बंध में शिकायत की है और उन्होंने इसका कारण स्वदेशी सामग्री तथा उपकरण का अभाव बताया है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इस बात को अस्वीकार किया है ।

श्री अलगेशन : निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उनमें उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा । ऋषिकेश और हैदराबाद स्थित संयंत्र 1966 के मध्य तक चालू हो जायेंगे । हैदराबाद स्थित संयंत्र और मद्रास स्थित शल्य चिकित्सा उपकरण कारखाना 1965 के मध्य तक चालू हो जायेंगे । यदि कार्य ऐसे ही होता रहा जैसी कि हम आशा करते हैं तो वे इससे पहिले भी चालू हो सकते हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इन संयंत्रों को स्थापित करने में हमारे जो प्रविधिज्ञ कर्मचारी लगे हुए हैं उनको रूस में प्रशिक्षित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

श्री अलगेशन : इसकी एक नियमित योजना है और प्रशिक्षणार्थियों और प्रविधिज्ञों के दल भेजे जा रहे हैं । उनमें से बहुत से तो वापस भी आ गये हैं । कुछ अब भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : इन संयंत्रों में लगभग कुल कितना उत्पादन किया जायेगा । वे कब चालू किये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें स्थापित तो हो जाने दीजिये फिर हमें उत्पादन का भी पता लग जायेगा ।

श्री अलगेशन : उनके चालू होने का समय मैं पहिले ही बता चुका हूं ।

Shri Yashpal Singh : I am a resident of Rishikesh. May I know if there is any conspiracy going on in the plant which is responsible for this delay ?

श्री हुमायून् कबिर : जब तक मेरे माननीय मित्र का ही उस मामले में कोई हाथ न हो, मैं तो समझता हूं कि ऐसी बात की कोई सम्भावना नहीं है ।

श्री हेडा : हैदराबाद स्थित कारखाने के कार्य की क्या प्रगति हुई है और यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री अलगेशन : मैंने बताया है कि कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

Shri Rameshwaranand : My question has not been replied as to what were the specific reasons for the delay.

Mr. Speaker : It has already been replied.

ट्राम्बे (बम्बई) में मेथानोल संयंत्र

\+

*207. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 1 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 851 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रांम्बे में मेथानोल संयंत्र के निर्माण के लिये इस बीच अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के साथ ऋण सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य रूपरेखायें क्या हैं ;

(ग) इस संयंत्र के निर्माण में कुल कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) संयंत्र का निर्माण कब प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ) सभा-पटल पर एक विवरण पत्र रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां, 19 जून, 1964 को ।

(ख) समझौते में 7.8 मिलियन डालरज़ के एक ऋण की व्यवस्था, माल की विदेशी मुद्रा लागत और आवश्यक सेवाओं के लिए निम्न प्रकार की गई है :—

(1) ट्राम्बे में एक सिंगल स्ट्रीम मेथानोल प्लांट (single stream methanol plant) के नक्शे, सप्लाई, निर्माण तथा ए-टर्न की बेसिस पर (a turn-key basis) चालू करने और (2) नाई ट्रो-फास्फेट तथा यूरिया उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक उर्वरक संयंन्त्र के निर्माण कार्य को पूरा करने एवं सम्बन्धित सुविधाएं । यह विचार है कि इस ऋण में से 5.76 मिलियन डालर्ज़ मेथोनोल संयन्त्र के विदेशी मुद्रा-लागत में होगा और शेष 2.04 मिलियन डालर्ज़ ट्राम्बे के उर्वरक संयन्त्र के लिए इस्तेमाल होगा ।

ऋण अर्ध-वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय (repayable) है जिसके पहली किश्त की अदायगी, ब्याज के अदायगी की देय (due) होने के $9\frac{1}{2}$ सालों बाद होगी । ब्याज की आदायगी पहले $9\frac{1}{2}$ सालों में $\frac{3}{4}$ प्रतिशत वार्षिक दर से और उसके बाद 2 प्रतिशत वार्षिक दर से अर्ध-वार्षिक रूप में होगी ।

(ग) कुल लागत का अनुमान 435.6 लाख रुपये है जिसमें से 274 लाख रुपये विदेशी-मुद्रा में व्यय होगा ।

(घ) संयन्त्र का निर्माणकार्य चल रहा है और यह आशा है कि संयंत्र अक्तूबर, 1965 तक पूरा होगा और निगम को सौंप दिया जायेगा ।

श्री रामेश्वर टांटिया : विवरण में यह कहा गया है कि 4 करोड़ 35 लाख 60 हजार रुपये की कुल लागत में से 2 करोड़ 74 लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा का व्यय होगा अर्थात विदेशी मुदा व्यय 60 प्रतिशत से अधिक होगा और मेरा विचार है कि अधिकांश मशीनों का आयात किया जायेगा । क्या समझौते में ऐसी कोई शर्त है कि हमें मशीनों का आयात करना ही पड़ेगा अथवा यह कि भारत में हम उनका निर्माण नहीं कर सकते ?

श्री अलगेशन : यह कहा गया है कि कुल लागत लगभग 435 करोड़ रुपये की होगी जिसमें से विदेशी मुद्रा व्यय 2 करोड़ 74 लाख रुपये का होगा । यह व्यय मशीनों के आयात पर किया जायेगा । यह समस्त कार्य टर्न-की बेसिस पर एक फर्म को सौंप दिया गया है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या हम भारत में उन मशीनों का निर्माण कर सकते थे ?

श्री अलगेशन : यदि हम उनका निर्माण कर सकते तो हमने विदेशी मशीनों की मांग ही न की होती । ये चीज़े भारत में उपलब्ध नहीं थीं अतः हमें वह बाहर से लेनी पड़ीं ।

जम्मू तथा काश्मीर में बम विस्फोट की घटनायें

+

*208. श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री बड़े :
श्री अ० सि० सहगल :
श्री बागड़ी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री गुलशन :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्रीमती लक्ष्मीबाई :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में जून और जुलाई, 1964 में बम विस्फोट की अनेक घटनायें हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सभी मामलों के सम्बन्ध में जांच कराई गई थी; और

(ग) उनका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जून और जुलाई, 1964 में जम्मू और काश्मीर राज्य में 16 विस्फोट हुए ।

(ख) और (ग). इन विस्फोटों के बारे में जांच राज्य सरकार द्वारा की जा रही है ।

Shri Bishanchander Seth : Whom do we think responsible for these explosions, local people or the foreigners ?

Shri Hathi : Foreigners.

Shri M. L. Dwivedi : Such explosions in Jammu and Kashmir State had occurred many times previously also, and nothing could be stated about

their reoccurrence in future. Have Government been able to know the source of these explosions ? Is there any hand of Pakistanies behind these ?

श्री हाथी : हमें यह संदेह है कि यह कार्य पाकिस्तानी जासूसों और उनके एजेन्टों का है ।

श्री रामचन्द्र मलिक : क्या यह भी सच है अथवा क्या बमों पर बने निशानों से यह बात मालूम हुई है कि वे बम पाकिस्तान में बने हुए हैं; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री हाथी : इस प्रश्न का मैंने यह उत्तर दिया था कि उपलब्ध सामग्री से तथा जो विस्फोटक पदार्थ पाये गये हैं उनसे हमें अभी तक यह सन्देह है कि यह पाकिस्तानी एजेन्टों का कार्य है ।

श्रीमती सावित्री निगम : ऐसे विस्फोटों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए जासूसों के इन गिरोहों का पता लगाने के लिये तथा ऐसी घटनाओं को भविष्य में होने से रोकने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

श्री हाथी : लगभग 20 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से हमारी सीमा को पार करके लोगों के अनधिकृत प्रवेश को रोका जा रहा है; कड़ी निगरानी रखी जा रही है, सीमा पर गश्त लगाई जा रही है--इस प्रकार के सब उपाय किये जा रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि पाकिस्तान की नवीनतम युद्धनीति तथा चाल सीमा पर से गोलियां चलाना और काश्मीर के अन्दर तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां कराना है ? यदि हां, तो इसका सामना करने के लिये राज्य सरकार की सहायता करने के हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

श्री हाथी : यह कार्य राज्य सरकार द्वारा वास्तव में किया जा रहा है । अधिकारियों आदि की जो कुछ भी सहायता वे मांगते हैं हम उन्हें देते हैं ।

Shri Yashpal Singh : Are Government in a position to state the number of cases of bomb explosions occurred before and after the withdrawal of certain cases by the Government withdrawn with the intention of creating good-will ?

Shri Hathi : I am not aware of the point of time.

श्री कपूर सिंह : क्या इन बार बार हुए विस्फोटों से जो प्रमाण उपलब्ध हुए हैं उनसे यह तत्र समाज-विरोधी तत्वों के विद्यमान होने का पता चलता है अथवा ये इस बात की ओर संकेत करते हैं कि स्वयं जम्मू तथा काश्मीर राज्य में व्यापक असंतोष व्याप्त है ?

श्री हाथी : मैं समझता हूं कि हम यह नहीं कह सकते कि इनका कारण व्यापक असंतोष है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Hon'ble Minister stated that there were 16 explosions so far in the Jammu and Kashmir State ; I want to know the loss to life and property in those explosions and whether some Chinese element was involved in those explosions ?

Shri Hathi : There had been no loss of life so far and the exact figure of loss of property was not known to me but the loss of property was quite less.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन बमों में प्रयुक्त विस्फोटक पदार्थ विदेशी, अमरीकी या चीनी था ?

श्री हाथी : एक प्रश्न के उत्तर में मैं बता चुका हूं कि इस विस्फोटक पदार्थ में स्लैग, डियेनेटर आदि थे । इन सब सबूतों पर हमें यह आशंका है कि यह पाकिस्तानी एजेंटों का काम है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सामग्री अमरीका को बनी हुई थी या चीन की ।

श्री हाथी : इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या इन बम विस्फोटों के सम्बन्ध में अपराधियों को पकड़ लिया गया है और यदि हां, तो क्या इन विस्फोटों में हताहत व्यक्तियों के परिवारों को कोई क्षतिपूर्ति दी गयी है ।

श्री हाथी : इसमें न कोई व्यक्ति मरा है न घायल हुआ है । कुछ सम्पत्ति को थोड़ी सी क्षति हुई है और क्षतिपूर्ति का प्रश्न काश्मीर सरकार का प्रश्न है ।

Shri Prakash Vir Shastri : The incidents of bomb explosions are occurring most in the Jammu and Kashmir area adjacent to Pakistan or in the internal areas of Jammu and Kashmir ; if these are occurring most in the internal areas, may I know whether Pakistani element was involved in a large number and if so, the steps being taken to check them and put a stop to the recurrence of such undue activities ?

Shri Hathi : These incidents are occurring most in the border areas of the State of Jammu and Kashmir such as Poonch, Baramula and Kargil areas. The number of these incidents is not much but whatever they are, we suspect that it is done by persons on the directions and instinct of Pakistan.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को इस बात का पता है कि काश्मीर में पाकिस्तान-समर्थक तत्व बड़ी तेजी से पनप रहे हैं और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य के भीतर वे किस प्रकार पनप रहे हैं। मंत्री महोदय बतला ही चुके हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है । क्या मैं जान सकता हूं कि वह इसको व्यवस्था कैसे कर सके हैं और क्या सरकार इसका पता लगा सकी है ।

श्री हाथी : वे अवैध घुसपैठ करने वालों के जासूस हैं ।

Shri Gulshan : The Hon'ble Minister just now stated that several persons connected with these bomb explosions were arrested, may I know the number of Pakistanis and of the State of Jammu and Kashmir amongst the persons arrested ?

Shri Hathi : This information is not with me.

श्री गोकुलानन्द महन्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि सामान्यत: इन बमों के उद्देश्य क्या हैं ।

श्री हाथी : मेरे विचार में उद्देश्य कोई नहीं है ।

Shri Achal Singh: Whether there exists the Intelligence Department in the State of Jammu and Kashmir and if so, whether it has submitted some investigation report to the Government ?

Shri Hathi ; Yes, Sir, the Intelligence Department is there and that is functioning.

Shri Rameshwaranand : Whether this Intelligence Department keeps a watch on the Pakistani spies that hail from Pakistan and the local peoples, where these spies live and what is the penalty fixed for them ?

Shri Hathi : The Government keeps a strict watch on all suspected persons.

श्री जसवन्त मेहता : मंत्री महोदय ने बतलाया कि इसमें पाकिस्तानी एजेंटों के होने का शक है। इस बात को और इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि इसकी जांच का काम केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को न सौंपकर राज्य सरकार पर क्यों छोड़ा गया है ?

श्री हाथी : मैं ने बताया है कि राज्य सरकार इस बारे में जांच कर रही है लेकिन हमारे पदाधिकारी भी उनकी सहायता कर रहे हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि शेख अब्दुल्ला और अन्य दलों के पक्षपाती व्यक्तियों के बीच होने वाले बारबार विवाद से पाकिस्तानी एजेंटों को घुसपैठ करने और वहां ये विस्फोटक पदार्थ रखने में प्रोत्साहन मिला है और यदि हां, तो इस राज्य में विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री हाथी : राज्य सरकार सभी प्रकार की व्यवस्था कर रही है और ध्यान दे रही है और यदि इसमें किसी गैर-सरकारी तत्वों अथवा किसी अन्य के होने का शक है तो उस पर नजर रखी जाती है ।

श्री पु० र० पटेल : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये विस्फोट और ये दिक्कतें श्री जय प्रकाश नारायण और शेख अब्दुल्ला के असावधानी से दिये गये भाषणों के कारण पैदा हुयी है ।

श्री हाथी : मैं ऐसा नहीं समझता ।

श्री म० प्र० जैन : समाचारपत्रों से पता चला है कि इन घुसपैठों को रोकने के लिये भारत और पाकिस्तान में कोई वार्ता हुयी है । क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ इस बात पर बातचीत की है कि उनके इस आश्वासन के बावजूद कि वे इन बातों को खत्म करना चाहते हैं, ये घटनायें क्यों हो रही हैं ?

श्री हाथी : इस मामले पर वैदेशिक-कार्य मंत्रालय बातचीत कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

प्रशासनिक सुधार

*209. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री ३ जून, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाओं में सुधार सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावों पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). यह मामला अभी विचाराधीन है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : विचाराधीन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं और क्या सरकार असैनिक सेवाओं का निर्णय करने में उत्साह, कुशलता और तत्परता में वृद्धि करने के लिये और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही हैं ?

श्री हाथी : यह प्रश्न केवल केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाओं में सुधार के बारे में है और प्रशासनिक सुधार के बारे में नहीं । लेकिन माननीय सदस्य सामान्यतः प्रशासनिक सुधार के बारे में पूछ रहे हैं न कि असैनिक सेवा संगठनों में सुधार के बारे में । इस पर भी विचार किया जा रहा है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह स्पष्ट है कि मेरा प्रश्न सेवाओं को इस योग्य बनाने के बारे में है कि वे अपने देश में अपना कर्त्तव्य निभा सकें और इसलिये इसका उन सुधारों से भी सम्बन्ध है जो उनके कर्त्तव्य-पालन के लिये आवश्यक हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के प्रश्न का भाग (क) केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाओं के बारे में है ।

श्री हाथी : यह प्रश्न प्रशासनिक सेवा पूल विषयक एक पहले प्रश्न के सम्बन्ध में है । इस बारे में माननीय सदस्य जो भी प्रश्न पूछना चाहें, मैं उनका उत्तर देने को तैयार हूं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं तो प्रश्न पूछ चुका हूं ।

श्री हाथी : प्रशासनिक सुधार विभाग इस पर विचार कर रहा है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : केन्द्रीय प्रशासनिक सेवा पूल के बारे में किये जाने वाले अथवा सरकार के विचाराधीन सुधारों का क्या स्वरूप है ?

श्री हाथी : जहां तक केन्द्रीय प्रशासनिक सेवा पूल का सम्बन्ध है, यह मामला मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया गया था और मंत्रिमंडल की एक उपसमिति बनायी गयी है जो इस पर विचार कर रही है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार का इरादा इस प्रशासनिक सुधार के फलस्वरूप एक कुशल प्रशासन की स्थापना करना है और यदि हां, तो क्या इस विशेष समिति के निर्देश-पदों को विस्तृत रूप दिया जायेगा ताकि उसमें ऐसे मामले भी शामिल किये जा सकें ?

श्री हाथी : जी, नहीं ; यह समिति प्रशासनिक सेवा पूल के बारे में विचार करने के लिये स्थापित की गयी है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं मंत्रालय किस रूप में विचार कर रहा है, यह सेवाओं के वेतन तथा भत्ते के बारे में है या लाल-फीताशाही को समाप्त करने के लिये है अथवा सेवाओं की कुशलता बढ़ाने के बारे में है और यदि यह इन बातों के बारे में विचार कर रहा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने अभी तक क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं अथवा उठायेगी ? यह मामला काफी समय से सरकार के सामने है ।

श्री हाथी : माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, सरकार इन सब पर विचार कर रही है । इसके लिये केवल गृह मंत्रालय के प्रशासनिक सेवा डिवीजन ने ही अनुसन्धान और अध्ययन कार्य करना शुरू नहीं किया है बल्कि हमने विलम्ब के कारणों, प्रक्रियाओं और मौजूदा बाधाओं आदि के बारे में विचार करने के लिये और इनको दूर करने के लिये सुझाव देने के लिये चार विभिन्न मंत्रालयों के लिये टीमें नियुक्त की हैं और हर टीम में संसद्-सदस्य शामिल हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : मुझे पता है । लेकिन मंत्री महोदय ने मेरी एक भी बात का उत्तर नहीं दिया है । मंत्रियों के सदाचार के बारे में क्या कुछ चल रहा है ?

श्री हाथी : यह प्रश्न मंत्रियों के सदाचार के बारे में है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार लागू किये जाने वाले प्रस्तावित सुधारों के बारे में कोई रूपरेखा बता सकती है ?

श्री हाथी : इसकी मुख्य बातें विलम्ब दूर करना, प्रशासनिक व्यवस्था सुव्यवस्थित करना और कुशलता बढाना है और इस प्रकार सुधार करना है जिससे काम कुशलता से अविलम्ब हो और लाल-फीताशाही समाप्त हो ।

Shri Sarjoo Pandey : May I know the names of the members of this Committee and whether non-officials are also on it ?

Shri Hathi : The first Committee is a cabinet Sub-Committee on which only Ministers are there. On the second Committee, one is the Administrative Reforms Officer, one is the Minister-in-Charge of the ministry concerned ; one is the Member of Parliament, such as Shri H. C. Mathur and one S.P.I.

श्री कपूर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि किन कारणों से सरकार प्रशासन के कुशल कार्यकरण में हस्तक्षेप करने पर मजबूर हुई है ?

श्री हाथी : अच्छे काम में हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न नहीं है । लेकिन यदि काम अच्छा है तो इरादा यह है कि इसको और अच्छा बनाया जाये ।

श्री कपूर सिंह : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रशासन के कुशल कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है । यदि वास्तव में यह ठीक है, तो इसको और अच्छा बनाने का इरादा है ।

श्री कपूर सिंह : उन्होंने यह काम किया ही क्यों है ? बिना किन्हीं कारणों से उन्होंने ऐसा किया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उनको ऐसी कोई आशंका हुई या ऐसी कोई रिपोर्ट मिली कि यह कुशल और ठीक नहीं है ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : माननीय सदस्यों ने हमारी सेवाओं की जो सराहना की है, उसके लिये मैं उनका आभारी हूं । उनकी सराहना की ही जानी चाहिये । लेकिन फिर भी इस बारे में शिकायतें मिली हैं कि काम तेजी से और शीघ्रता से नहीं किया जा रहा है । हमें इसका पता है, माननीय सदस्य भी यह जानते हैं । अतः इसमें कुछ कठिनाइयां थीं । हम इन्हें एकदम समाप्त करना चाहते हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : By what time the report of the Administrative Reforms Committee is expected ? Has some time-limit been fixed for that ?

श्री हाथी : यह समिति नहीं है । यह एक संगठन है, मंत्रालय में काम करने वाला एक डिवीजन है । यह तो एक निरन्तर प्रक्रिया है । यह समिति नहीं है जो प्रतिवेदन देगी ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : इस समिति को अपना कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा ।

श्री हाथी : जैसा मैं ने बताया है, यह काम तो चलता रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि यह काम चलता रहेगा । इसकी कोई समय-सीमा नहीं है ।

श्री दे० जी० नायक : क्या प्रशासन में कोई राजनीतिक कार्यकर्त्ता हस्तक्षेप कर रहे हैं ?

श्री हाथी : राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । उसी समय, यह एक कठिन मामला है । जब संसद्-सदस्य अथवा विधायक पदाधिकारियों से मिलने जाते हैं तो शिकायत मिलती है कि पदाधिकारियों का रवैया नम्रतापूर्ण नहीं होता । अतः हमने इस बारे में निदेश जारी किये हैं कि वे जनता के प्रतिनिधियों के प्रति नम्र और सहृदय हों और वे वही काम करें जो ठीक हो ।

श्री नाथ पाई : मंत्री महोदय का कहना है कि समिति का कोई प्रश्न नहीं है लेकिन उनके मंत्रालय में यह काम चलता ही रहेगा । गृह मंत्री, श्री नन्दा ने, मेरे यह पूछे जाने पर कि यह आयोग किस प्रकार का होगा, क्या यह हूवर आयोग के समान होगा । सभा में एक आश्वासन दिया था । उन्होंने स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया था

कि यह हूवर आयोग जैसा होगा । क्या गृह मंत्री द्वारा सभा में दिया गया आश्वासन अन्य मंत्रालयों के आश्वासन की तरह ही समाप्त हो गया है ?

श्री नन्दा : वह निष्कारण ही ऐसी बातें ले आये हैं जिनका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । ज ां तक इस आयोग का सम्बन्ध है, यह समय आने पर जरूर बनाया जायेगा । प्रशासनिक सुधार डिवीजन इस बारे में सभी मामलों का अध्ययन कर रहा है और इससे हम जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं इससे जैसा माननीय सदस्य ने कहा, ऐसा आयोग बनाने में सुविधा मिलेगी ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : औचित्य प्रश्न के हेतु । राज्य मंत्री और विशिष्ट मंत्री-- दोनों ने यह कहा है कि इन प्रश्नों का विचाराधीन प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसी बात नहीं है । प्रश्न से ही पता चलता है कि हम प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सेवाओं में सुधार के बारे में विचार कर रहे हैं । उन्हें यह बताना ही चाहिये कि क्या हूवर आयोग जैसा कोई आयोग बनाया जायेगा ।

श्री नन्दा : आक्षेप यह लगाये गये हैं कि हम वह काम न करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो हमें करना चाहिये । मेरा यह मतलब था ।

श्री नाथ पाई : मैं श्री नन्दा की इस बात पर आपत्ति करता हूं कि मैं ने आक्षेप किये हैं । मैं इस योग्य नहीं हूं । उनके साथी ने स्पष्टत: यह कहा है कि समिति का कोई प्रश्न नहीं है । मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि क्या सभा में दिया गया वचन अब भी है । मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह अपने साथी की बात जरा ध्यान से सुनें ।

अध्यक्ष महोदय : वह आक्षेप लगाने के योग्य नहीं हैं, मैं भी यह मानता हूं । वह इसको छिपाने के योग्य तो हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : प्रधान मंत्री जी ने और मंत्री जी ने भी सार्वजनिक रूप से कई बार यह बात कही है कि प्रशासनिक ढांचे में बहुत ज्यादा परिवर्तन किये जाने की तत्काल आवश्यकता है । क्या गृह मंत्री जी इस बारे में बतायेंगे कि प्रशासनिक ढांचे में बहुत ज्यादा परिवर्तनों से उनका और प्रधान मंत्री जी का क्या तात्पर्य है और इस छोटे से काम द्वारा यह परिवर्तन किस प्रकार किया जायेगा ?

श्री नन्दा : यह अनुमान क्यों लगाया जाता है कि इरादा छोटा सा काम करने का है । जिस अध्ययन का मैं ने अभी जिक्र किया है वह इस बात के लिये है कि इस परिवर्तन के लिये किस प्रकार का सुधार, किस प्रकार की एजेन्सी उपयुक्त रहेगी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : प्रश्न यह है कि प्रधान मंत्री जी के दिमाग में कुछ बात है। उनका कहना है कि प्रशासनिक ढांचे में बहुत ज्यादा परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है । जब वे ऐसी बातें करते हैं तो उनका वास्तव में क्या अर्थ होता है? कृपया यह स्पष्ट किया जाये । ये परिवर्तन क्या हैं ?

श्री नन्दा : यह सब बातें मैं अभी बताऊं या यथासमय उचित अवसर आने पर ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यदि वे यह बता दें कि उनके दिमाग में क्या है, तो हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जायेगा । हम तो जानकारी चाहते हैं । प्रशासनिक ढांचे में बहुत ज्यादा परिवर्तन से उनका क्या तात्पर्य है । यह पता लगने पर ही हम प्रश्न नहीं पूछेंगे । अन्यथा हम सदैव अंधेरे में ही रहेंगे । यह ऐसी बात है जिसका सभा में उत्तर दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस समय वे उत्तर देने को तैयार न हों तो ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वह यह बताने को तैयार नहीं हैं कि उनके दिमाग में क्या बात है ?

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतः इस समय नहीं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : हम यह नहीं कह सकते कि वे तैयार नहीं हैं। उनके दिमाग में जो बात थी वह उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही है । जब उन्होंने यह बात सार्वजनिक रूप से कही है तो उन्हें पता होना चाहिये कि उनके दिमाग में क्या बात है । इस समय वे क्यों यह बताने को तैयार नहीं हैं । उन्हें बताने को तैयार होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय का कहना है कि कुछ परिवर्तन किये जायेंगे तो इस पर इतना अधिक जोर नहीं दिया जाना चाहिये । शायद उन्होंने अब तक यह तै नहीं किया होगा कि इसमें क्या ठोस परिवर्तन किये जाने चाहियें । वे शायद अभी इस पर सोच ही रहे हों और शायद इस पर कुछ कहना न चाहते हों । यह भी संभव है कि शायद अभी इसमें कुछ समय लगे ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : वह ऐसा कहें ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : आप उनके विचार बता रहे हैं । मैं उनसे पूछ रहा हूं कि वे अपना विचार बतायें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनका विचार नहीं बता रहा हूं, मैं केवल स्पष्ट कर रहा हूं कि यदि एक बार उन्होंने कहा कि वह कुछ परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उन्हें ऐसा करना चाहिये । उन्होंने अभी तक निश्चय नहीं किया है । मैं उन्हें बाध्य किस तरह कर सकता हूं ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वह ऐसा कहें कि उन्होंने अभी तक कोई निश्चय नहीं किया है । जब प्रधान मंत्री और गृह मंत्री स्पष्ट रूप से कहें कि वे वर्तमान ढांचे में कुछ आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं तो उन्होंने अवश्य ही निश्चय किया होगा ।

श्री नन्दा : आमूल सुधार के बारे में हमने निश्चय किया है लेकिन मेरी समझ में एक-ब-एक यह बताना उचित नहीं है कि आमूल सुधार के कारण किस प्रकार की चीजें करनी होंगी ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : ओ० एण्ड एम० डिविजन तथा एस० आर० यूनिट द्वारा किये गये काम के बारे में क्या है ? क्या उस काम पर भी विचार किया जायगा ?

श्री जोकीम आल्वा : यह दूसरी बार उन्हें पुकारा जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें पुकारा है ।

श्री जोकीम आल्वा : उन्हें दूसरी बार पुकारा गया है जबकि मैं 15 बार खड़ा हुआ और मुझे नहीं बुलाया गया ।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत बुरी बात है । मुझे इस पर आपत्ति है । मैंने उन्हें खड़े होते हुए देखा और वह कहते हैं कि वह खड़े नहीं हुए और मैंने उन्हें बुलाया । जब वह खड़े नहीं हुए थे तब मैं यह कैसे सोच सकता हूं कि वह प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री जोकीम आल्वा : मेरे मित्र इस बात की पुष्टि करेंगे कि उन्हें दूसरी बार बुलाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैंने इस प्रश्न से पहले उन्हें बुलाया था ?

श्री रामनाथन् चेट्टियार : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : तब मुझे खेद है । मैंने गलती की है ।

श्री जोकीम आल्वा : मैं आपसे क्षमा चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है कि चूंकि वह कई बार खड़े हुए इसलिये उन्हें जरूर ही बुलाया जाये । मैंने उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये पहले बुलाया था और उन्होंने वह प्रश्न पूछा । यह जरूरी नहीं कि मैं उन्हें हर सवाल पर बुलाऊं ?

Shri Tulsidas Jadhav : My request is that members may raise their hands instead of standing repeatedly. It would be better.

Shri Bagri : In regard to the question the reply of which was in public interest and not contrary to national interest, is it proper for the Minister to say that it is in his mind but he shall reply after due consideration ? In view of this fact, would you arrange for its reply in Lok Sabha ?

Mr. Speaker : I have told the hon. member that when the Minister has said that he cannot tell the nature of reforms, then he is entitled to say so.

श्री सिंहासन सिंह : प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री ने बताया था कि प्रशासन में आमूल सुधारों की आवश्यकता है । मेरा कहना यह है कि प्रशासन में क्या त्रुटियां हैं इस बारे में उन्हें स्पष्ट कल्पना होनी चाहिये । यदि इस बारे में उनके विचार स्पष्ट नहीं हैं तो वह इस तरह के बयान क्यों देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्रियों को सलाह नहीं दे सकता ।

श्री कपूर सिंह : जब माननीय मंत्री सरकार की ओर से यह धमकी देते हैं कि कुछ क्षेत्रों में आमूल सुधारों की बात सोची जा रही है तो यह निश्चय ही माननीय सदस्यों के लिये बड़ी चिन्ता की बात है । इसलिये उनकी इस जानकारी की इच्छा स्वाभाविक है कि उन सुधारों का क्या स्वरूप होगा । इस बारे में उनके दिमाग में निश्चित और ठोस कल्पना होनी चाहिये । अतः इस बारे में अस्पष्ट रहना अनुचित है और आप इस बारे में अपने विचार व्यक्त करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं दार्शनिक गुत्थियां नहीं सुलझा सकता ।

श्री अ० प्र० जैन : क्या वर्तमान प्रणाली को पूरी तरह रद्द करना और उसकी जगह रूसी ढंग की या अमरीकी ढंग की प्रणाली स्थापित करने या बुनियादी ढांचे को कायम रख कर उसमें भारी परिवर्तन करने का कोई विचार है ?

श्री नंदा : ठीक इसी वजह से मैंने यह सोचा था कि मैं सारी बातों को न बताऊं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री टांटिया ।

शरणार्थियों के लिये प्रव्रजन प्रमाणपत्र

\+

*210. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से केवल उन्हीं शरणार्थियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति देने का निर्णय किया है जिनके पास प्रव्रजन प्रमाणपत्र होंगे ;

(ख) इन प्रमाण पत्रों के बिना अब तक कितने व्यक्ति भारत में आ चुके हैं ; और

(ग) किन कारणों से बाध्य होकर सरकार को यह योजना लागू करनी पड़ी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी नहीं ।

(ख) भाग (ख) के उत्तर में मैंने नवीनतम आंकड़े रखे हैं । 12 सितम्बर, 1964 तक कुल 6,84,351 व्यक्तियों ने सीमा पार की थी, इनमें से 3,77,414 व्यक्तियों के बिना कागजात के आने का समाचार मिला है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि आसाम में अब भी 6 लाख शरणार्थी प्रव्रजन प्रमाणपत्रों के बगैर हैं और यदि हां, तो उनकी ठीक ठीक संख्या मालूम करने और उन्हें सहायता तथा पुनर्वास देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री त्यागी : अनेक विस्थापित व्यक्ति प्रव्रजन प्रमाणपत्रों के बिना आये हैं और उन्हें सभी सहायता तथा पुनर्वास लाभ के लिये मान्यता दी जा चुकी है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जो लोग प्रव्रजन प्रमाणपत्रों के बगैर आये हैं उन्हें नागरिकता के प्रश्न के संबंध में किस प्रकार समझा जायगा ? यह नागरिकता किस प्रकार सिद्ध करने का सरकार का विचार है कि वे अमुक अवधि के लिये यहां रहें ?

श्री त्यागी : सीमा पर इसके लिये नियमित प्रक्रिया है । ज्यों ही वह सीमा पार करते हैं उनका चौकियों पर पंजीकरण होता है । उन्हें प्रव्रजन प्रमाणपत्र दिया जाता है । यदि वे सरकार द्वारा

दिये जाने वाल सहायता और पुनर्वास लाभ से फायदा उठाना चाहें, तो वे उठा सकते हैं अन्यथा वे अपने संबंधियों या अन्य मित्रों के पास ठहर सकते हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : वर्ष 1957 से दिसम्बर, 1963 तक के कटु अनुभव को देखते हुए क्या सरकार ने आश्वासन दिया है कि प्रव्रजन प्रमाणपत्र मांगने का प्रश्न समाप्त कर दिया जायगा ?

श्री त्यागी : पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा के राज्य उच्चतम बिन्दु तक पहुंच जाने के बाद मैं यह अधिक पसन्द करता कि भारत में प्रव्रजन और सीमा अतिक्रमण उन्हीं लोगों तक सीमित होना चाहिये जिनके पास प्रव्रजन प्रमाणपत्र या पारपत्र आदि हैं। लेकिन तथ्य यह है कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना बिलकुल समाप्त हो चुकी है और यदि इन आतंकित व्यक्तियों को तुरन्त रोक दिया जाये तो यह उचित न होगा। मुझे आशा है कि भारत और पाकिस्तान के गृह-मंत्रियों की वार्ता में इस प्रश्न की चर्चा की जायगी। पहले भी, पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने का वचन दिया था और उसने दार्जिलिंग सम्मेलन में यह सिफारिश की थी कि ३१ मार्च, १९५८ के बाद आने वाले आप्रवासियों को सहायता या पुनर्वास न दिया जाये। हम उसका पालन करते हैं और भारत सरकार द्वारा यह संकल्प स्वीकृत किये जाने के बाद, प्रव्रजन प्रायः समाप्त हो गया लेकिन फिलहाल प्रव्रजन रोकना कठिन है क्योंकि हम कठिनाई में हैं।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या कुछ अवांछनीय व्यक्ति प्रव्रजन प्रमाणपत्रों के बगैर भारत में आये हैं और यदि हां तो इन अवांछनीय व्यक्तियों का पता लगाने में सरकार की मदद करने के लिए कौन सा संगठन है और क्या उसने दंडकारण्य विकास प्राधिकार में सतर्कता पदाधिकारियों की संख्या बढ़ायी है ?

श्री त्यागी : हमें बताया गया कि नये अप्रवासियों के तौर पर कुछ लोग सीमा पार करके आये हैं। तब हमने तुरन्त ही वहां सर्तकता पदाधिकारी तैनात किये। राज्य सरकार उनके हर मामले को देखती है और राज्य सरकार के प्रमाणपत्र के बिना उन्हें शिविरों में भरती नहीं किया जाता।

डा० रानेन सेन : अभी हाल में मंत्री महोदय ने बताया कि चूंकि पश्चिम बंगाल आसाम और त्रिपुरा अधिकतम बिन्दु तक पहुंच चुके हैं, भारत सरकार भारत में और अधिक प्रव्रजन को रोकने जा रही है।

श्री त्यागी : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री हेम बरुआ : पाकिस्तान से आने वाले लोगों को ढाका में हमारे प्रव्रजन कार्यालय में क्या कठिनाइयां होती हैं इस बारे में आपने सदन में कई बार बताया था। तो अब उस कार्यालय में स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ताकि असुरक्षा की भावना वाले लोग यहां आ सकें।

श्री त्यागी : मैं पहले ही बता चुका हूं कि बगैर प्रमाण-पत्रों के भी लोगों को भारत में आने की अनुमति दी जाती है ? इसलिए वह कठिनाई उत्पन्न ही नहीं होती। साथ ही पहले जिनके कागजात पेश करने पड़ते थे वह अब नहीं करने पड़ते और इस अर्थ में ढाका से प्रव्रजन प्रमाणपत्रों का प्रश्न भी सरल बना दिया गया है। इसलिए अब यह अधिक आसान बना दिया गया है।

Shri Tulsidas Jadhav : What arrangements are made to oust persons other than those belonging to minorities coming from Pakistan ?

श्री त्यागी : शिविरों में कुछ ऐसे मामलों का पता चला है कि कुछ लोग वास्तव में अल्पसंख्यक जातियों के नहीं हैं और उन्होंने कुछ नियमित शरणार्थियों से कुछ प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिये और शिविर में आये। उनका पता लग जाने के बाद उन पर अभियोग चलाया जा रहा है ।

श्रीमती रेणुका राय : प्रव्रजन प्रमाणपत्रों के बगैर जो शरणार्थी आये हैं क्या उन्हें पहचानने की कोई प्रणाली सरकार ने सोची है ताकि बाद में चलकर हम यह मालूम कर सकें कि कौन आये हैं और कौन नहीं आये हैं ।

श्री त्यागी : सभी शिविरों को यह हिदायत जारी की गयी थी कि प्रत्येक आप्रवासी से एक घोषणा पर हस्ताक्षर करा लिये जायें और उसका पता, उसकी कृषि संपत्ति आदि का ब्यौरा ले लिया जाये। घोषणा प्राप्त की जायगी और प्रत्येक परिवार को पहचान कार्ड जारी किया जायगा ।

श्री स० चं० सामन्त : जो विस्थापित व्यक्ति सीधे आये हैं या सीमा पार कर के आये हैं और जिन्होंने दूसरे राज्यों में जाने के लिये अपनी अनिच्छा व्यक्त की है, क्या उनका कोई नियमित रजिस्टर रखा जा रहा है ?

श्री त्यागी : जी हां, हिसाब रखा जाता है। ज्योंही वह सीमा पार करते हैं उन्हें प्रमाण-पत्र मिल जाता है । वहां हमारी चौकियां हैं जहां नियमित अभिलेख रखा जाता है ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : सरकार शरणार्थी और अवैध अतिक्रमण करने वालों में किस प्रकार भद करती है और अवैध अतिक्रमण करने वालों को बाहर निकालने के लिए, ताकि पुनर्वास के लाभ वे प्राप्त न कर सकें, सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री त्यागी : मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जब लोग आतंक से अपने घरबार छोड़ कर आते हैं तब कड़ी जांच कठिन हो जाती है । मैं उन्हें अपराधियों के तौर पर नहीं मान सकता । वे कठिनाई में हैं और कुछ लोग आ सकते हैं। लेकिन ज्यों ही वे शिविर में आते हैं कड़ी जांच की जाती है, और अगर उनका पता लगता है, उन्हें निकाल दिया जाता है ।

Shri Rameshwaranand : In the past people from Pakistan had come and minorities had gone from here and their properties were exchanged. Now will Pakistan Government or Indian Government would pay something in exchange of the property left behind by persons who are coming from East Pakistan ?

श्री त्यागी : वास्तव में अब तक नेहरू–लियाकत अली करार लागू था, पाकिस्तान ने उसे रद्द नहीं किया । उस करार के अनुसार वे सभी लोग जो भारत आये हैं, पाकिस्तान में अपनी सम्पति के पूरे पूरे मालिक हैं। इसलिए क्षतिपूर्ति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । वे अपनी सम्पति बेच सकते हैं या गिरबी रख सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा संपति की बिक्री या विनिमय पर पाबन्दी लगायी है । अनौपचारिक रूप से कुछ विनिमय हो रहा है लेकिन पाकिस्तान सरकार उसे मान्यता नहीं दे रही है । इसलिए यह सवाल हमारे दिमाग में है और आशा है कि पाकिस्तानी गृह-मंत्री के साथ बातचीत में हमारे गृह-मंत्री इस प्रश्न को उठायेंगे ।

सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी

\+

*211. { श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री अ० सिंह सहगल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सिराजुद्दीन कांड" से म्बन्धित जो कागजात पकड़े गये थे क्या उन सब की जांच की जांच जा चुकी है तथा उन के कानूनी पहलू पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) क्या कोई साक्ष्य अथवा प्रविष्टी ऐसी मिली है जिस से सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त सार्वजनिक नेताओं, राज्य के मुख्य मंत्रियों एवं मंत्रियों के भी इसमें अन्तर्ग्रस्त होने का पता लगता है; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों के क्या नाम हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) विशेष पुलिस संस्थान ने अपने दृष्टि-कोण से उन बही खातों में प्रविष्टियों की जांच की है । कुछ प्रविष्टियों के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही कर दी गई है और कुछ अन्य प्रविष्टियों के बारे में जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(ख) और (ग). सार्वजनिक नेताओं से सम्बन्धित प्रविष्टियों से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और क्यों कि अन्य प्रविष्टियों के बारे में जांच-पड़ताल चालू है, उनके बारे में कोई तफसील देना लोक हित में नहीं होगा । यह जांच-पड़ताल के परिणाम पर निर्भर होगा कि क्या कार्य-वाही की जानी चाहिये ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह मामला लगभग सात साल से चल रहा है। क्या विशेष पुलिस संस्थान को सभी प्रविष्टियों के बारे में या सिर्फ उन्हीं पहलुओं के बारे में जिन से उसका सम्बन्ध था, जांच करने के लिए कहा गया था ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : आरम्भ में सीमा शुल्क विभाग ने बहीखाते जब्त किये थे। और उसका इस प्रश्न के कुछ पहलुओं से संबंध है, । विशेष पुलिस संस्थान कुछ प्रश्नों से संबंधित कुछ प्रविष्टियों का विववेचन कर रहा है ; हो सकता है कि वे प्रश्न वास्तव में भ्रष्टाचार की प्रथाओं के बारे में हों या न हों । जो भी प्रविष्टियां मालूम हुई हैं, पुलिस संस्थान उनकी जांच कर रहा है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया था कि सार्वजनिक नेताओं और दूसरे लोगों के बारे में सरकार लोक हित में उनकी सूची देने के लिए तैयार नहीं है । क्या यह सच नहीं है कि सिराजुद्दीन के बहीखातों में प्रविष्टि की फोटोस्टैट प्रति कांग्रेस के वकील श्री दीपक चौधरी को जब वह भुवनेश्वर गये थे, उड़ीसा सरकार के गृह मंत्री ने दी थी और उन्होंने बताया था कि यह प्रविष्टियां उन सार्वजनिक नेताओं के संबंध में जिन्होंने सिराजुद्दीन से रुपया लिया

1333(Ai)LS—4.

था और अब वे मंत्री नहीं हैं? मैं जानना चाहता हूं कि यह सच है या नहीं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ये कागजात जो भारत सरकार के कब्जे में हैं किस तरह राज्य सरकार को या उन कांग्रेसियों को जो जांच के लिए गये थे, दिये गये?

श्री नंदा : मुझे यह जानकारी नहीं है।

श्री हेम बरुआ : औचित्य प्रश्न के हेतू। यह बात अखबारों में आयी थी कि गृह मंत्री ने ये कागजात दिये थे और तब वहां विधान सभा में भी यह बात उठी थी। अब गृह-मंत्री के इस कथन से कि उन्हें मालूम नहीं यह दिखायी पड़ता है कि उनमें एक प्रकार की गतिशीलता की कमी है। यदि वह गतिशील होते तो उन्हें वहां की विधान सभा की कार्यवाही के बारे में जानकारी होती। मैं जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार है?

श्री नंदा : अगर अखबारों में छपी हर चीज मुझे हजम करनी पड़े तो मैं समझता हूं कि मैं फिर और कोई काम काम न कर सकूंगा।

श्री अ० सि० सहगल : क्या सरकार का कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा है और उस में कितना समय लगेगा?

श्री नंदा : कई मामलों में कार्रवाई चल रही है और जहां कहीं आवश्यक होगा वह हर मामले में की जायेगी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister report to this House after considering over the interpellations in this regard in the Assembly there?

श्री नंदा : हमारा जिन से संबंध है, उन सभी घटनाओं के बारे में मैं अवश्य बताऊंगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को देखते हुए कि ये कागजात सदाचार समिति से संबंधित व्यक्ति को दिये गये हैं, क्या इन कागजातों को उस व्यक्ति की निजी संपत्ति के तौर पर रखा जायगा या विशेष पुलिस संस्थान या और किसी जांच अधिकारी को दे दिया जायेगा और गृह मंत्री इस ओर ध्यान देंगे कि उन्हें प्रकाश में लाया जाय?

श्री नंदा : माननीय सदस्य की यह मान्यता कि कागजात किसी समिति के किसी सदस्य को दिये गये हैं, सही नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि विशेष पुलिस संस्थान द्वारा जांच के दौरान भूतपूर्व मुख्य मंत्री सहित राज्य मंत्रियों ने यह देखने का प्रयत्न किया था कि वे ठीक तरह से जांच न करें और यदि हां, तो निष्पक्ष जांच के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और केन्द्रीय सरकार ने विशेष पुलिस संस्थान को क्या निर्देश दिया है?

श्री नन्दा : मुझे विश्वास है कि आवश्यक सुविधायें दी जा रही हैं।

श्री नाथपाई : क्या मंत्री महोदय इस प्रविष्टि में उल्लिखित नामों की सूची प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे और बतायेंगे कि सूची में जिन व्यक्तियों केनाम हैं, उन्हें तब तक कोई उच्च पद स्वीकार करने की अनुमति नहीं देंगे जब तक कि किसी स्वतंत्र जांच द्वारा उन्हें निर्दोष घोषित न कर दिया जाये।

श्री नन्दा : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर मुख्य उत्तर में दिया जा चुका है। सार्वजनिक जीवन के उच्चतम स्तरों का जहां तक संबंध है, अवश्य ही उनका पालन किया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

मैसूर–महाराष्ट्र सीमा विवाद

*212 श्री विश्राम प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा ।
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री बासप्पा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री विश्वनाथ पाण्डय :
श्री नि० र० लास्कर :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलश्वर मीना :
श्री प्र० के० देव :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामपुरे :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वीरप्पा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर -महाराष्ट्र सीमा विवाद को सुलझाने के लिये कोई नवीन प्रयत्न किये हैं – ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख) : महाराष्ट्र और मैसूर के बीच सीमाओं के फिर से निश्चित करने का प्रश्न कुछ समय से भारत सरकार के सामने है । अगस्त, 1964 के पहले सप्ताह में गृह मंत्री बम्बई और बंगलौर गये और उन पक्षों को समझौता करने में सहायता देने के उद्देश्य से उन्होंने विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत की । उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों से भी बात चीत की ।

Teacher's Welfare Fund

*213. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) whether welfare work has been started with the Teacher's Welfare Fund set up some time back ;

(*b*) the criteria fixed for providing assistance to teachers ; and

(*c*) the amount collected so far in that fund ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (*a*) Decision has now been taken to sanction assistance in derserving cases.

(*b*) A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

The criteria laid down by the General Committee of the Foundation for rendering financial assistance to the teachers are as follows :

(*a*) The funds of the Foundation shall be utilised largely for the purposes of providing financial assistance to the teachers and their dependants who may be in financial distress due to circumstances like untimely death or prolonged illness of the bread-winner of the family. Only the teachers and/or their dependants who fulfil one or more of the following conditions shall be eligible for financial assistance :—

(*i*) If the application is made by the dependant (s) of a teacher who is dead, the application should have been made within a year after the teacher's death.

(*ii*) The teacher, if he is alive, has been permanently or indefinitely incapacitated for service or other work.

(*iii*) The total income of the teacher's family, from all sources, does not exceed Rs. 1,500/- per annum.

(*iv*) The family does not have any members of major age, capable of supporting the family.

(*b*) The Funds may also, at the discretion of the General Committee or the State/Union Territory Working Committee, be utilised for sanctioning *ex-gratia* grants to such of the selected teachers, upon their retirement as may have rendered exceptionally meritorious service. For this purpose a teacher must have retired from service after attaining the age of superannuation and must, in the opinion of the authorities of the State Euducation Department, have rendered exceptionally meritorious services to his institution and the public for at least 30 years, as a teacher.

(*c*) About Rs. 63 lacs upto 31-8-1964.

हिन्दी का विकास करना तथा उसका प्रयोग में लाया जाना

*214. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री घवन :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग़ैर-सरकारी सदस्यों की एक नई समिति बनाने का विचार है जो कि हिन्दी के प्रचार, विकास तथा सरकारी काम-काज में उसके अधिकाधिक प्रयोग के बारे में सरकार को परामर्श दे; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन होंगे तथा इसके कृत्य क्या होंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) इस काम के लिये एक समिति बनाई गई है जिसका नाम हिन्दी सलाहकार समिति है । इस समिति के गठन और कृत्य एक संकल्प में दिये हैं जिसकी प्रति सभा पटल पर रख दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3138/64 ।]**

पाकिस्तान द्वारा कारगिल के निकट तोड़फोड़ की कार्यवाही

*215. श्री हेम राज :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री दे० दा० पुरी :
श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री बागड़ी :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री बाल्मीकी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ब० ना० कुरील :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री गुलशन :
श्री स्वैल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तोड़फोड़ करने वाले पाकिस्तानियों ने गत जुलाई में लद्दाख में कारगिल के निकट एक पुल उड़ा दिया था तथा उस क्षेत्र में सड़कों पर सुरंगें बिछा दी थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए हमारी ओर से क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसी घटनाओं को फिर होने से रोकने के लिये राज्य सरकार द्वारा आवश्यक उपाय किये गये हैं। जांच अभी चल रही है । 4 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये हैं।

Merger of I.O.C. and Indian Refineries

*216. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Yashpal Singh :
Shri Jaswant Mehta :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Government have approved the merger of the Indian Oil Company and the Indian Refineries Limited ;

(*b*) if so, when ; and

(*c*) the scope of functions of the new Corporation ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir) : (*a*) and (*b*) Yes Sir, with effect from 1st September, 1964.

(*c*) It will be responsible for the entire work previously done by the two Companies, which have merged into it. In addition some work now done by the Oil & Natural Gas Commission will be passed on to it in due course.

शरणार्थियों के लिये भूमि

*217. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1964 से पहले पश्चिम बंगाल में आये शरणार्थियों की पुनर्वास सम्बन्धी 'शेष' समस्याओं को हल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या भूमि खरीदने की अधिकतम सीमा को और अधिक युक्तिसंगत बना दिया गया है ताकि जिन्हें अब तक प्लाट नहीं मिले हैं वे उन्हें शीघ्र ही प्राप्त कर सकें ; और

(ग) मुस्लिम तथा हिन्दू मकानों में इतने अधिक समय से अनधिकृत रूप से निवास करने वाले वास्तविक शरणार्थियों को प्लाट देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी): (क) जो विस्थापित व्यक्ति पश्चिमी बंगाल से में पहली अप्रैल, 1958 से पूर्व आये हैं उनकी शेष समस्याओं के बारे में बात-चीत की गई थी और पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार से 1961 में परामर्श करके अपेक्षित धन राशि निर्धारित की गई थी । उस समय यह अनुमान किया गया था कि विविध योजनाओं के लिए 22 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी राज्य सरकार ने लगभग 9 करोड़ रु० के प्रस्ताव भेजे थे जो कि मंजूर किये जा चुके हैं। 31 मार्च, 1964 तक दिये गये ऋण के बारे में जो छूट मंजूर की गई थी, और नये विस्थापित जो पहली जनवरी, 1964 से आये हैं उनको सहायता तथा पुनर्वास आदि के लिये बहुत से खर्चे के कारण पुराने विस्थापितों की शेष समस्याओं के अन्तर्गत की गई योजनाओं की समीक्षा की जा रही है । जो व्यक्ति 31, मार्च, 1958 के बाद और पहली जनवरी, 1964 से पूर्व आये हैं वे किसी पुनर्वास सहायता के पात्र नहीं होंगे ।

(ख) राज्य सरकार को यह सुझाव दिये गये हैं कि जिन मामलों में मूल्य अधिक हो प्लाट के माप का इस प्रकार समंजन किया जाय ताकि अधिकतम सीमा से न बढ़े ।

(ग) जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार 30 जून, 1964 तक 4,345 परिवार मुस्लिम तथा गैरमुस्लिम मकानों में अनधिकृत रूप से रहते थे जो कि पश्चिमी बंगाल, विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास तथा अनतधिकृत व्यक्ति वास आधिनिष्कासन भूमि नियम के आधीन कंपीटैन्ट अथार्टी के फैसले के अन्तर्गत आते थे या उन जायदाददों में रहते थे जो कि पश्चिमी बंगाल निश्क्रान्त सम्पत्ति नियम के अन्तर्गत आती थी। इनमें से 368 परिवारों को वकल्पिक आवास दे दिया गया है । 117 परिवारों के विषय में प्रस्ताव विचाराधीन है । जो विस्थापित व्यक्ति ऊपर दिये गये नियमों के अन्तर्गत नहीं आते वे सहायता के पात्र नहीं हैं।

शरणार्थियों को नकद सहायता

*218, श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री ओंकार लाल बेरवा
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को दी जाने वाली नकद सहायता की दरें अभी हाल में पुनरीक्षित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) ऐसा पुनरीक्षण करने के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) :): (क) और (ख) नकद सहायता की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । नकद सहायता की शर्तों तथा नकद सहायता देने की प्रणाली में कुछ परिवर्तन किये गये हैं। एक विवरण जिसमें नयी हिदायतों की मुख्य बातें दी गई हैं, सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

पूरे दर पर नकद सहायता एक मास की अपेक्षा प्रथम दो मास तक दी जायेगी । प्रत्येक स्वस्थ बालिग विस्थापित पुरुष को प्रतिमास की नकद सहायता में से 20 रुपये प्रति मास जो कटौती की जायेगी उसकी अवधि तीन मास से दो मास कर दी गई है । ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में 36 रुपये प्रति मास की कटौती जो तीन मास के उपरान्त आरम्भ होती है और नकद सहायता की पूर्ण अवधि 7 महीने में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । नकद सहायता अब मास में एक किश्त की बजाय तीन किश्तों में दी जायेगी । संशोधित आदेशों के अनुसार यदि काम हो तो प्रति स्वस्थ पुरुष विस्थापित को काम करने के लिये तीन अवसर दिये जायेंगे । यदि वह काम करने करने के लिये दिये गये प्रथम अवसर से इन्कार करता है, तो उपरोक्त लिखित 20 रुपये तथा 30 रुपये की कटौतियों का पुन: स्थापन नहीं होगा। यदि वह दूसरी बार भी इन्कार करता है तो सारे परिवार की नकद सहायता 50 प्रतिशत कम कर दी जायेगी जब तक कि वह काम नहीं करता। यदि वह तीसरी बार दिये गये अवसर से भी इन्कार करता है तो उसको तथा उसके परिवार को शिविर से निकाल दिया जायेगा । 7 मास की अवधि में जिसमें सहायता-शिविर में नकद सहायता दी जाती है, काम दिया जाता है , उस में वह अवधि नहीं गिनी जायेगी जो कि स्वागत केन्द्रों या आवा-जाही शिविरों में व्यतीत की गई हो, इस बारे में स्पष्टीकरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ग) विस्थापितों को पूरे दर पर नकद सहायता एक मास की अपेक्षा प्रथम दो मास तक दी जाती है । इस से विस्थापितों को लाभ होगा और वे नयी परिस्थितियों में बसने योग्य हो जायेंगे। मास में तीन किश्तों में नकद सहायता देने की प्रणाली इस उद्देश्य से लागू की गई है कि कुछ राशि समय समय पर विस्थापितों के पास रहे और सारे मास की नकद सहायता मास के आरम्भ में ही समाप्त न हो जाये। यदि विस्थापित को काम दिया जाये और वह अस्वीकृति प्रकट करे, ऐसी दशा में जो कदम उठाये जायेंगे उनका उल्लेख इसी उद्देश्य से किया गया है कि विस्थापितों में शिविर छोड़ने की भावना को रोका जाये और उनको जो काम दिया जाय उसे करने के लिये वे प्रोत्साहित हों ।

सम्पूर्णानन्द समिति का प्रतिवेदन

*219. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री 4 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 422 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्बन्धी सम्पूर्णानन्द समिति की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

असिस्टेंटों के लिये सेलेक्शन ग्रेड

*220. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मंत्री 22 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1141 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असिस्टेंटों के लिये सेलेक्शन ग्रेड लागू करने के प्रश्न पर इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख) असिस्टेंटों के लिये सेलेक्शन ग्रेड लागू न करने का निर्णय कर लिया गया है ।

हजरतबल के पवित्र बाल की चोरी

*221. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा ।
श्री हेमराज :

क्या गृह-कार्य मंत्री 27 मई, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजरत बल के पवित्र बाल की चोरी क मामले की जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो अपराधियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) मुकदमे के कब शुरू हो जाने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). जम्मू और काश्मीर सरकार का ध्यान अभी भी इस मामले में लगा हुआ है ।

साम्यवादी सत्याग्रह

*222. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्यान्नों के सम्बन्ध में सरकार की असफलता के विरुद्ध 24 अगस्त, 1964 को भारत के साम्यवादी दल द्वारा किये गये सत्याग्रह के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा / अथवा दण्डित किये गये अथवा नजरबन्द किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री हाथी): राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

विश्व गोल्फ चैम्पियनशिप

*223. श्री कर्णी सिंहजी :
श्री मजीठिया :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खेलकद परिषद् ने सिफारिश की है कि गोल्फ के चार

भारतीय खिलाड़ियों को अक्तूबर, 1964 के दूसरे सप्ताह में रोम में होने वाली आइजनहावर कप चैंम्पियनशिप में भाग लेने की अनुमति दी जाये, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय गोल्फ संघ के अनुरोध को ठुकराने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) दल को अब चैंम्पियनशिप में भाग लेने की अनुमति दे दी गई है ।

खासा शिविर में भारत से निष्कासित पाकिस्तानी

*224. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री शशिरंजन :
श्री हेम राज :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर के निकट खासा शिविर में अब भी 600 के लगभग जमशेदपुर से निष्कासित पाकिस्तानी नजरबन्द हैं तथा उन लोगों के बारे में भारत तथा पाकिस्तान ने अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). खासा शिविर में अब पाकिस्तान वापिस भेजे जाने की प्रतीक्षा में जो पाकिस्तानी राष्ट्रजन हैं उन की संख्या 623 से घट कर 241 हो गई है । भारत में पाकिस्तान के उच्च आयोग के अधिकारियों का एक दल उस शिविर में 8 सितम्बर, 1964 को पहुंचा और वह अब भी यहां काम कर रहा है । उस दल के द्वारा जारी किये गये यात्रा के काग़जातों के फलस्वरूप ऐसा हुआ है ।

पेट्रो-कैमिकल औद्योगिक समूह

*225. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भो० प्र० यादव :
श्री धवन
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री द्वारकादास मंत्री :
डा० रानेन सेन :
श्री बीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दाजी :
श्री पु० र० पटेल :
श्री चांडक :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रा० बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री 27 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे है कि :

(क) देश में पैट्रो-कैमिकल औद्योगिक समूहों का विकास करने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इनका परियोजित पूंजी व्यय क्या होगा, कितने देश भागीदार होंगे तथा विकास के कार्य क्रम का लक्ष्य क्या रखा गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) एक विवरण पत्र-सभा पटल पर रख दिया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 3139/64]।

(ख) चौथी योजना अवधि के अस्थाई (tentative) परियोजनाओं के अन्तर्गत, जो अभी विचाराधीन हैं, पैट्रो-कैमिकल इण्टरमीडियेटस (petrochemical intermediates) के निर्माण सम्बन्धी स्कीमों पर परियोजित पूंजी लागत (projected capital outlay) अनुमानत: 300 करोड़ रूपये होगी । विशिष्ट स्कीमों की सम्भाव्यता (feasibility), विदेशी सहयोगियों के साथ बात-चीत , एंव चौथी योजना लागत के बारे में किये जा रहे अध्ययन को दृष्टि में रखते हुए इस रकम के पुनरीक्षण (revision) की आवश्यकता हो सकती है ।

अखिल भारतीय शिक्षा सेवा

*226. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री बागड़ी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री 3 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 126 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय शिक्षा सेवा बनाने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : अभी तक इस संबंध में और अधिक प्रगति नहीं हो सकी है क्योंकि उन राज्य सरकारों से, जिन्होंने अभी तक इस सेवा में भाग लेने की सहमति नहीं दी हैं, पत्र व्यवहार चल रहा है ।

हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लिमिटेड

*227. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दे० जी० नायक :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के मामले पर उच्चतम न्यायलय में निर्णय होने तक उस कम्पनी के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दे दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि निदेशकों के बोर्ड में शामिल होगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशकों के बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां । एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया है ।

विवरण

हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के निदेशकों के बोर्ड ने पैट्रोलियम और रसायन मंत्री की सिफारिशों को मान लिया और घोषणा की कि ऐसे सारे मासिक दर पर नियुक्त

कर्मचारियों को, जो ट्रिब्यूनल के पंचाट (Tribunal's A ward) के अन्तर्गत हैं, जनवरी, 1964 से समान दर से प्रति मास 25 रुपये की अन्तरिम सहायता दी जायेगी ; जब तक उच्चतम न्यायालय पंचाट के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपीलों का निपटान नहीं करता है । इस प्रकार दी गई अन्तरिम सहायता की रकम उच्चतम न्यायालय के फैसले की शर्तों और ट्रिब्यूनल द्वारा रेफरेन्स (reference) के अन्तिम निपटान के अनुसार बाद में समजित (adjusted) की जायेगी ।

2. प्रबन्धकों ने यह भी घोषित किया कि यह अन्तिम सहायता मासिक दर पर नियुक्त कर्मचारियों की कुछ अन्य श्रेणियों को भी दी जायगी, जो या तो ट्रिब्यूनल के रेफरेन्स में शामिल नहीं थे या जिनके पद कम्पनी ने बाद में बनाये थे। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों की निपटान के बाद ही इन श्रेणियों के वेतन मान के पुनरीक्षण का प्रश्न लिया जायेगा और इस प्रकार अन्तरिम सहायता के रूप में दी गई रकम भी तभी समजित की जायगी जब प्रबन्धकों ने इन श्रेणियों के वेतन मान पर अन्तिम निर्णय कर लिया हो ।

(ख) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु प्रशासनिक कार्यों में मजदूरों को भाग लेने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि एक उत्पादिता सलाहकार समिति (Advisory Productivity Committee) की स्थापना की जाय जिस में प्रबन्धक निदेशक चेयरमैन और मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी एवं मजदूरों के एक प्रतिनिधि सदस्य होंगे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

एशियाई देशों से अशोधित तेल

*228. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी ।
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एशियाई देशों लाभ दायक शर्तों पर दीर्घकाल तक अशोधित तेल देने का प्रस्ताव कर रहे हैं ;

(ख) इस अशोधित तेल को साफ करने के लिये तेल शोधक कारखानों के निर्माण के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने में एशियाई देश भाग लें इस हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि इटली द्वारा दिए गए कुछ ऋण हैं जिनको नहीं लिया गया है तथा इ०एन० आई० तेल शोधक कारखाने बनाने को तैयार हैं ; और

(घ) इन न लिये गये ऋणों का उपयोग करने के संबध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) इस पर विचार विमर्श हो रहा है ।

(ग) इटली द्वारा किये गये कुछ ऋण अब भी प्राप्त हैं और इटली की सरकार हाल में उसी ऋण के उपयोग की समय अवधि को बढ़ाने के लिए सहमत हुई है। इ० एन० आई० ने तेल शोधक कारखाने को बनाने की इच्छा प्रकट की है ।

(घ) पैट्रोलियम और पैट्रो-कैमिकल्ज के क्षेत्र में कई स्कीमों की जांच की जा रही है ।

कुंजरू समिति का प्रतिवेदन

*229. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या शिक्षा मंत्री 22 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1137 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने शारीरिक शिक्षा संबंधी कुंजरू समिति के प्रतिवेदन की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). कुंजरू समिति ने मुख्य रूप से शरीरक शिक्षा, सहायक केडेट कोर और राष्ट्रीय अनुशासन योजना को स्कूल स्तर पर शिक्षा प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में अपनाने के लिए एक समेकित कार्यक्रम की सिफारिश की थी। सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है। समेकित कार्यक्रम के ब्यौरे तैयार करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समिति ने अपनी सिफारिशें अभी हाल ही में पेश की हैं। इन पर सरकार विचार कर रही है। समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है।

उर्वरक का उत्पादन

*230. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजनावधि के अन्त तक तीसरी योजना के उर्वरक उत्पादन के लक्ष्य नवीनतम अनुमानों के अनुसार कितने पूरे हो जाने की सभावना हैं;

(ख) इस में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अनुसूची के अनुसार कारखानों की स्थापना में असफलता के कारण कितनी कमी हुई है; और

(ग) ऐसे उद्योगपतियों के लाइसेंस रद्द करने के लिये क्या निर्णय लिये गये हैं जिन्होंने कारखानों की स्थापना के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है अथवा जिनका काम अनुसूची से पीछे है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तीसरी योजना के अन्त तक उर्वरक उत्पादन के लक्ष्य के लगभग 50 प्रतिशत पूरे होने की सम्भावना है ।

(ख) लगभग 75 प्रतिशत कमी गैर-सरकारी क्षेत्र में स्कीमों को असफलता से कार्यान्वित करने में हुई है ।

(ग) पार्टियों ने, जिन्हें टुटीकोरिन, मंगलोर और दुर्गापुर (222,000 मीटरी टन नाइट्रोजन की कुल क्षमता) में नाईट्रोजनी उर्वरक कारखानों को लगाने के लिए अनुमोदित किया गया था, इन स्कीमों को कार्यान्वित करने में असमर्थता प्रकट की है । टुटीकोरिन के लाईसेन्स को छोड़ दिया गया है (surrendered) और यह प्रस्तावित है कि दुर्गापुर परियोजना को सरकारी क्षेत्र में कार्यान्वित किया जाये । मंगलोर में कारखाने के लिए अन्य पार्टियों द्वारा भेजे गये कई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं । अन्य मामलों (cases) में लाइसेन्स प्राप्त पार्टियां अपनी स्कीमों को कार्यान्वित करने में उद्यत हैं और उन्होंने प्रगति की है यद्यपि उनका काम अनुसूची से पीछे है ।

केन्द्रीय पुस्तक प्रकाशन ब्यूरो

*231. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बै० ना० कुरील :
श्री दे० जी० नायक :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय केन्द्रीय पुस्तक प्रकाशन ब्यूरो स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) इसके मुख्य उद्देश्य क्या होंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्य निर्माण के लिए केन्द्रीय पुस्तक प्रकाशन ब्यूरो स्थापित करने की योजना को चौथी पंचवर्षीय प्रायोजना में शामिल करने का विचार है । इस योजना के क्षेत्र, वित्तीय जिम्मेदारियों इत्यादि के ब्यौरे अभी तैयार नहीं किये गये हैं ।

दिल्ली नगर निगम की वित्तीय स्थिति

*232. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ग्र० ना० विद्यालंकार :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी प्र० यादव :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री ग्र० सिं० सहगल :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम इस समय वित्तीय संकट में है और इसने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि वर्तमान कठिनाई को दूर करने के लिये तथा इसको दिवालिया होने से बचाने के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सहायता के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० मा० मिश्र) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-3140/64]

वयस्क निरक्षरता उन्मूलन आन्दोलन

*233. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
डा० पं० शा० देशमुख :
श्री राम हरख यादव :
श्री रा० बरुआ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी योजनावधि में वयस्क निरक्षरता उन्मूलन का बृहद् राष्ट्रव्यापी आन्दोलन लागू करने के एक नये प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो इस नई योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) पहले किये गये प्रयत्नों की तुलना में इस नई योजना में किस रूप में सुधार किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (ग). चौथी योजना की अन्य विकास योजनाओं के साथ-साथ इस योजनावधि में वयस्क निरक्षरता को कम करने के प्रयत्न को तेज करने के लिए कुछ और योजनाएं भी बनाई जा रही हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। इन योजनाओं को, निश्चित प्रस्तावों के रूप में अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए उनके आकार या प्रकारादि के सम्बन्ध में अभी कुछ बताना प्राक्-पक्व होगा।

शिक्षा नीति के निर्धारण में अध्यापकों का योग

*234. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री 22 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1144 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की शिक्षा नीति के निर्धारण में अध्यापकों के भाग लिये जाने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां तो क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). शिक्षा नीति के निर्धारण तथा उसे लागू करने के साथ अध्यापकों को सम्बद्ध करने के लिए सिद्धान्त निश्चित कर लिये गये हैं। ऐसी संस्था का निश्चित रूप आवश्यक रूप से किये जाने वाले कार्य के अनुरूप होगा।

विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों की शिक्षा

650. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों की शिक्षा के लिये चालू वित्तीय वर्ष में उड़ीसा सरकार को कोई अतिरिक्त धनराशि दी गई है अथवा देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी गई है और न ही देने का विचार है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय पुस्तकालय संस्था, कलकत्ता के लिये अनुदान

651. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय पुस्तकालय संस्था, कलकत्ता को प्रति वर्ष कितना अनुदान दिया जाता है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इस संस्था को कुल कितनी राशि अनुदान अथवा ऋण के रूप में देने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) इस संस्था को कोई वार्षिक अनुदान (अर्थात् प्रति वर्ष आवर्ती अनुदान) नहीं दिया जाता है।

(ख) 6,500 रु० तदर्थ अनुदान के रूप में दिये गये हैं।

योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां

652. **श्रीमती लक्ष्मीबाई :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962-63 में योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां देने के लिये कुल कितनी दी गई थी;

(ख) इस प्रकार छात्रवृत्तियां सब से अधिक किस राज्य को दी गईं; और

(ग) छात्रवृत्तियां पाने वालों में लड़कियों की प्रतिशतता क्या थी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 6,36,865.00 रु०।

(ख) उत्तर प्रदेश।

(ग) 11 5 प्रतिशत।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

653. **श्री बीरेन दत्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1958 के बाद पूर्वी पाकिस्तान से त्रिपुरा में कुल कितने शरणार्थी आये ;

(ख) उन में आदिमजातिय व्यक्तियों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या इन विस्थापित व्यक्तियों को कोई सहायता दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो सहायता के रूप में कुल कितनी राशि दी गई है ?

पुनर्वास मन्त्री (श्री त्यागी) : (क) 1,13,657 व्यक्ति ।

(ख) 4,896 आदिम जातीय व्यक्ति

(ग) जी हां, उन सभी आदिम जातीय विस्थापित व्यक्तियों को सहायता दी गई है जिन्हें शिविरों में रखा गया था।

(घ) उनको निर्धारित दरों पर नकद बेरोजगारी अनुदान दिया गया था। आदिम-जातीय विस्थापित व्यक्तियों को कितनी राशि सहायता के रूप में दी गई, इसका कोई अलग हिसाब नहीं रखा गया है।

सहारनपुर में पुरातत्वीय अवशेष

654. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेद, जिला सहारनपुर में पुरातत्वीय खुदाई के समय काली मिट्टी की प्राचीन मूर्तियां पाई गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो पाये गये अवशेषों का ब्योरा क्या है और उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं। शेद, जिला सहारनपुर में खुदाई नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रूसी भाषा का शिक्षण

655. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 12 रूसी राष्ट्रजन हमारे देशवासियों को रूसी भाषा सिखाने के लिये भारत आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं के क्या नाम हैं जिनमें वे व्यक्ति काम करेंगे ; और

(ग) उनके करार की यदि कोई शर्तें हैं तो क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत–रूस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत, रूसी भाषा के 15 शिक्षकों को रूसी भाषा के शिक्षण के लिये भारतीय विश्व-विद्यालयों/संस्थाओं में प्रतिनियुक्त किया जा रहा है।

(ख) दी इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, बम्बई, और उसमानिया, बम्बई, राजस्थान, बड़ौदा, लखनऊ, उत्कल, जादवपुर, मैसूर, मद्रास और पंजाब के विश्वविद्यालय ।

(ग) करार का एक उद्धरण, जिस में रूसी भाषा के शिक्षकों की भारत में प्रतिनियुक्ति के संबंध में निबन्धन और शर्तें दी गई हैं, संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--3141/64 ।]

आन्ध्र प्रदेश में शिक्षात्मक विकास

656. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सरकार को शिक्षात्मक विकास के लिये दी गयी निधियां 1963–64 में काम में ले ली गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) राज्यों को केन्द्रीय सहायता विकास के विशिष्ट शीर्षक पर वास्तविक व्यय के आधार पर दी जाती है। अतः शिक्षात्मक विकास के लिये केन्द्रीय सहायता के उपयोग में न लिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोआ का भावी ढांचा

657. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपालसिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांन्ती :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बासप्पा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के भावी ढांचे के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकार अधिनियम, 1963 में यह दिया हुआ है कि गोआ का प्रशासनिक ढांचा किस नमने का होना चाहिये। अधिनियम में दी गई योजना के अनुसार गोआ में एक विधान सभा स्थापित कर दी गई है और वहां की सरकार विधान सभा को उत्तरदायी है।

आयकर विभाग में भ्रष्टाचार

658. श्री बी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री खवन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने अप्रैल–मई 1964 में आय कर विभाग में भ्रष्टाचार और हेर फेर के बहुत से मामलों का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला और मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हाथी) : (क) केन्द्रीय जांच विभाग ने अप्रैल–मई, 1964 में आय कर विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध जांच के 50 मामले दर्ज किये।

(ख) तीन मामलों में जांच पूरी कर ली गई है और विभागीय जांच के लिये सिफारिश की गई है। अन्य मामलों की जांच जारी है।

जनांकिकी का शिक्षण

659. श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विश्वविद्यालयों को, जो जनांकिकी में नियमित रूप से शिक्षा देने के लिये तैयार हैं ; वित्तीय सहायता देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी जायेगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थशास्त्र और जनांकिकी में स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों के विकास के लिये विश्वविद्यालयों को अनुदान देता रहा है, और जनांकिकी से संबंधित परियोजनाओं के लिये दिल्ली और केरल विश्वविद्यालयों को भी तदर्थ अनुदान देता रहा है।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

केरल में फिटोकेमिकल सन्यन्त्र

660. श्री अ० क० गोपालन :
श्री नम्बियार :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या पेंट्रोलियम और रसायन मंत्री 11 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 522 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य में फाइटोकेमीकल संयंत्र स्थापित करने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेंट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) : कच्चे माल के दाम चढ़ गये हैं और इसके परिणामस्वरूप केफीन की उत्पादन लागत भी बढ़ गई है। केफीन इस उत्पादन कार्यक्रम में निर्माण की मुख्य वस्तु है। इस लिये ये निर्णय किया गया है कि केरल राज्य में नरयामंगतम के स्थान पर जो फाइटोकेमिकल संयंत्र लगाया जाने वाला था उसे अब न लगाया जाये।

मोजाम्बिक में भारतीय व्यक्ति

661. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मोजाम्बिक से स्वदेश भेजे गये भारतीय व्यक्तियों की संस्था से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि उन्हें फिर से भारत में बसाया जाये और उनकी आस्तियों को स्वदेश भेजा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों को दी गई सहायता के ब्योरे एक विवरण में दिये गये थे जो 9 दिसम्बर, 1963 के तारांकित प्रश्न संख्या 468 के उत्तर में सभा पटल पर रख दिया गया था।

जहां तक पीछे छोड़ी हुई आस्तियों को मंगाने का संबंध है, आशा है कि लिस्बन में मेक्सिको दूतावास का प्रतिनिधि, जो पुर्तगाल में हमारे हितों का ख्याल रख रहा है, निकट भविष्य में मोजाम्बिक का दौरा करेगा। उसका प्रतिवेदन मिलने पर मामले पर अग्रेत्तर विचार किया जायेगा।

न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना

662. **श्री नम्बियार :**
डा० सारावीश राय :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री अ० ब० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन से राज्य हैं जहां न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पूरी तरह पृथक नहीं हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हाथी) : वे राज्य इस प्रकार हैं : आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल ।

शिक्षा संस्थाओं को अधिक अधिकार देना

663. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों को, हाई, स्कूल, हायर सैकेन्डरी और कालिज की शिक्षा के मामलों में, अधिक अधिकार देने के संबंध में राज्य सरकारों के विचार जाने हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों से विचार प्राप्त हुए हैं उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में तकनीकी शिक्षा

664. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय कार्यकारी दल ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये कुछ सिफारिशें की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय कार्यकारी दल ने निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की हैं :

(एक) चूंकि पिछले 10—12 वर्षों में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में काफी विस्तार हो चुका है अत: अब एक ऐसी स्थिति आ गई है जब कि हमारी संस्थाओं को समेकित कर के उनके स्तर को उठाया जाना चाहिये। इस कार्य के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में हमारे संसाधनों का अधिकांश भाग अध्यापकों के प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम में सुधार, उपकरणों तथा औद्योगिक सामान के संभरण, स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों और अनुसन्धान तथा पाठ्यपुस्तकों और अच्छी कृतियों के प्रकाशन पर व्यय होना चाहिये।

(दो) केन्द्रीय सरकार द्वारा पोलीटैकनिकों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये चार प्रादेशिक संस्थायें स्थापित की जानी चाहियें। इंजीनियरी कालेजों में तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार किया जाना चाहिये ताकि अधिक संख्या में उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा सके। पोलीटैकनिकों तथा इंजीनियरी कालेजों के कर्मचारी ढांचे का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये ताकि सेवा में लगे हुए अध्यापकों को उन्नति करने का अवसर दिया जा सके।

(तीन) योग्य किन्तु गरीब विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के अध्ययापन के हेतु सहायता देने के लिये प्रौद्योगिकी संस्थाओं में दाखिल होने वाले कम से कम 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को योग्यता एवं साधन के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जानी चाहियें। पाठ्यक्रमों को उद्योगों के अनुकूल बनाने के लिये इंजीनियरी तथा तकनीकी के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के स्तर का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक पोलीटैकनिक से सम्बद्ध एक जूनियर तकनीकी स्कूल खोला जाना चाहिये।

(चार) प्रतिवर्ष प्रथम स्नातक स्तर पर कम से कम 11 प्रतिशत स्नातक उम्मीदवारों के लिये स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों तथा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में अनुसन्धान की व्यवस्था की जानी चाहिये। इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में डिग्री तथा स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिये इंजीनियरी संस्थाओं को भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा गणित में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम खोलने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये।

(पांच) तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण जिसमें पाठ्यक्रम भी शामिल है, प्रयोगशाला सम्बन्धी उपकरणों, पाठ्य पुस्तकों, शिशिक्षुता में प्रशिक्षण आदि के विभिन्न पहलुओं सम्बन्धी अनुसन्धान के लिये एक केन्द्रीय संस्था खोली जानी चाहिये। इंजीनियरी संस्थाओं को स्वयं अपनी वर्कशापों में यथासम्भव उपकरणों का निर्माण करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

दिल्ली में पोलीटेकनिक

665. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक नया पोलीटैकनिक खोलने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके चालू वर्ष में आरम्भ होने की सम्भावना है ;

(ग) इसमें कितने विद्यार्थियों को दाखिल किया जायेगा ; और

(घ) इस नये पोलीटैकनिक में क्या क्या पाठ्यक्रम होंगे ।

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :(क) और (ख). इस वर्ष एक नया पोलीटैकनिक खोला गया है ।

(ग) इस वर्ष इसमें 120 विद्यार्थी दाखिल किये गये हैं । पूरी तरह स्थापित हो जाने पर पर पोलीटैकनिक में प्रतिवर्ष 300 विद्यार्थी दाखिल किये जायेंगे ।

(घ) इस वर्ष मेकेनिकल इंजीनियरिंग और वाणिज्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम चालू किये गये हैं । सिविल इंजीयिरिंग तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम बाद में चालू किये जायेंगे ।

मोटर दौड़

666. श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत में मोटर दौड़ों को मान्यता देने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय कब तक किये जाने की आशा है ;

(ग) क्या इसे अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता देने का भी प्रस्ताव है ; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता के लिये क्या शर्तें अपेक्षित हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) यव आवश्यक शर्तें सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित की जाती हैं । सरकार को मोटर दौड़ों की शर्तों के बारे में जानकारी नहीं है ।

Basic Education

667. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) whether his Ministry have made or propose to make an appraisal of the feasibility, utility and success of the system of basic education in the Centrally administered areas and other States ; and

(*b*) the reasons for not adopting this system in public schools ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (*a*) A survey and assessment of basic education was made by a Committee in 1956 and copies of its report entitled "Report of the Assessment Committee on Basic Education" are available in the Parliament Library. However at present there is no proposal to make to a fresh or separate appraisal of the feasibility, utility and success of the system of basic education alone. An Education Commission has recently been set up which *inter-alia* will make a comprehensive review of the entire system of education in all the stages in the country. It is expected to give its report by the end of March, 1966.

(*b*) The Government of India have no hand in determining the courses adopted by the "public schools" and as such are not in a position to state reasons why these schools have not adopted the system of basic education.

Correspondence Course in Hindi

668. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) whether a scheme to start correspondence course in Hindi by the University of Delhi is under consideration ;

(*b*) if so, the broad outlines thereof ;

(*c*) when it would be implemented ; and

(*d*) the conditions for admission to this course ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (*a*) Hindi is already one of the courses of study in the B.A. (Pass) Correspondence Course of the Delhi University. The question of starting of any other course in Hindi by correspondence is not under the consideration of the University.

(*b*) to (*d*) Do not arise.

अंग्रेजी का स्तर

669. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अंग्रेजी के स्तर को उठाने के लिये अब तक उठाये गये कदमों से कोई लाभ हो रहा है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार को अंग्रेजी शिक्षा के, विशेषत: सेकेण्डरी स्कूल स्तर पर, घटिया स्तर के सम्बन्ध में जानकारी है और यदि हां, तो स्तर को उठाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये किसी स्थान पर विदेशियों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और वे किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं ।

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

शिमला में सामाजिक विज्ञान संस्था

670. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सामाजिक विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिये शिमला में एक संस्था खोलने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अनुमानित कितना व्यय होगा ।

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कार्य के लिये चोटी के शिक्षा विशारदों तथा विद्वानों की एक प्रबन्धक समिति नियुक्त की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन हैं और इस समिति के कृत्य क्या होंगे ।

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला): (क) केन्द्रीय सरकार ने शिमला में इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ एडवान्सड स्टडीज़ जिसमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है, खोलने का निर्णय किया है ।

(ख) अनुमानत: 6 लाख 50 हजार रुपये के आवर्तीय व्यय तथा 11 लाख रुपये के अनावर्तीय व्यय का अस्थायी प्रस्ताव है ।

(ग) संस्था का पंजीयन होते ही इस कार्य के लिये स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित प्रपन्धक समिति में सदस्यों के लिये चोटी के शिक्षा विशारदों को आमन्त्रित किया गया है ।

(घ) प्रबन्धक समिति के सदस्यों के नाम तथा कृत्य इस प्रकार हैं :—

(एक) प्रबन्धक समिति के सदस्य :

1. श्री मु० क० चागला, शिक्षा मन्त्री ।
2. डा० सी० डी० देशमुख, उपकुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।
3. प्रोफेसर के० जी0, सेयिदेन, (भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव)
4. डा० व्ही० राघवन, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास ।
5. डा० नगेन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय ।
6. भारत सरकार के शिक्षा सचिव ।
7. भारत सरकार के वित्त सचिव ।
8. संस्था के निदेशक ।

(दो) प्रबन्धक समिति के कृत्य :

इण्डियन इण्स्टीट्यूट आफ एडवान्स्ड स्टडी का प्रबन्ध निदेशन और नियन्त्रण प्रबन्धक समिति के हाथ में होगा और उन पर इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ एडवान्स्ड स्टडी सोसायटी के नियम, विनिमय तथा आदेश लागू होंगे ।

संयुक्त राष्ट्र सम्बन्धी गोष्ठी

671. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्र संघ के बारे में अध्यापन सम्बन्धी एक एशियाई प्रादेशिक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कब ।

(ग) क्या भारत सरकार या कोई अन्य संस्था इस गोष्ठी को प्रायोजित कर रही है ; और

(घ) गोष्ठी में कितने देश भाग ले रहे हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) नवम्बर, 1964 में ।

(ग) यह गोष्ठी 'युनाइटेड स्कूल्स इण्टरनेशनल' द्वारा आयोजित की जा रही है । यह एक अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है । संस्था को यूनेस्को इस कार्य के लिये 1,000 डालर फीस के रूप में देने के लिये राजी हो गया है ।

(घ) सरकार को जानकारी नहीं है ।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अनुसन्धान

672. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री यशपालसिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् ने वैज्ञानिक अनुसन्धान को औद्योगिक आधार देने के लिये कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में परियोजना के आधार पर अनुसन्धान कार्य किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इस समय कितनी प्रयोगशालायों में अनुसन्धान कार्य को व्यवस्थित किया जा रहा है ; और

(घ) कितनी नई प्रयोगशालायें खोलने की आशा है और किस स्थान पर ।

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) प्रयोगशालाओं का अनुसन्धान कार्यक्रम यथासम्भव परियोजना के आधार पर व्यवस्थित किया जा रहा है ।

(घ) तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये स्वीकृत राष्ट्रीय जीव विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशाला खोलने के लिये कदम उठाये गये हैं । इसके स्थान के बारे में विचार किया जा रहा है । योजना आयोग द्वारा नियुक्त वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् सम्बन्धी कार्यकारी दल ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में 11 नई प्रयोगशालायें खोलने के लिये एक अस्थायी प्रस्ताव तैयार किया है ।

पुस्तक प्रकाशन सम्बन्धी भारत रूसी बोर्ड

673. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रा० बरुआ :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शिक्षा संस्थाओं के लिये कम मूल्य वाली पुस्तकों के प्रकाशन के हेतु एक भारत रूसी बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) बोर्ड कब स्थापित किया जायेगा तथा कब से कार्य आरम्भ करेगा ;

(ग) इसकी मुख्य बातें क्या होंगी; और

(घ) क्या रूस सरकार ने इस कार्य को कोई सहायता देने का वचन दिया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) बोर्ड के इस वर्ष के अन्त तक स्थापित किये जाने की आशा है ।

(ग) भारत-रूसी बोर्ड का मुख्य कार्य अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में अच्छी रूसी पाठ्य पुस्तकों अच्छी कृतियों के रूपान्तर अनुवाद प्रकाशन तथा वितरण सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन करना होगा ।

(घ) रूस सरकार आवश्यक सामान तथा विशेषज्ञ देगी किन्तु सहायता का ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है ।

क्लासरूम साइन्स फिल्म

675. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्लासरूम साइन्स फिल्म बनाने की जांच के लिये एक चार सदस्यों का अध्ययन वर्ग बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ग के कौन कौन सदस्य हैं ; और

(ग) इसके निर्देशपद क्या हैं तथा इसका प्रतिवेदन कब तक पेश हो जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) 1. डा० आर० एन० राय, विज्ञान शिक्षा विभाग के प्रधान, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली (कन्वेनर)

2. श्री जी० के० अठाल्ये, निदेशक, राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य शिक्षा संस्था, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली ।

3. श्री के० राय, उप-निदेशक, राष्ट्रीय रजिस्टर, यूनिट, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ।

4. कुमारी एस० राजन, सहायक शिक्षा सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, सदस्य-सचिव ।

(ग) निदश पद :

1. भारत में उपलब्ध-विज्ञान विषय संबंधी फिल्म
2. विदेशों से आयात की गई वैज्ञानिक विषयों के संबंध में जिन फिल्मों का प्रयोग किया जा सकता है ;
3. विदेशी फिल्मों को भारतीय स्थिति के अनुरूप बनाने के लिये उपाय करना (भारतीय भाषाओं में टिप्पणी समेत)
4. शिक्षा संस्थाओं में प्रयोग में लाने के लिये भारत में विदेशी फिल्मों की प्रतियां बनाने की संभावना ।
5. भारत में प्रोजैक्टरों का निर्माण तथा उनका शिक्षण संस्थाओं में प्रचार लक्ष्य यह है कि प्रत्येक माध्यमिक स्कल में एक प्रोजैक्टर अवश्य हो;

6. यूनैस्को के हस्तक्षेप से भिन्न राष्ट्रों से कच्चा माल लेने की संभावना ;

7. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से भारत में वैज्ञानिक फिल्मों को बनाने का कार्यक्रम बनाना ।

आशा है कि प्रतिवेदन सितम्बर, 1964 तक पेश कर दी जायेगी ।

दिल्ली में खेल गांव

676 **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्राम प्रसाद :
महाराज कुमार विजय आनन्द :

क्या **शिक्षा** मंत्री 25 मार्च, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1512 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में खेल गांव स्थापित करने की परियोजना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस पर कितना धन व्यय होने की संभावना है ; और

(ग) इसके कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने आवंटित भूमि का एक भाग देने की प्रार्थना वापस ले ली है । परन्तु भूमि पर भवन निर्माण के बारे में अब कुछ आपत्तियां मिली हैं। मामले पर संबंधित विभाग विचार कर रहा है ।

(ख) अभी तक ब्यौरे नहीं बनाये गये हैं। तीसरी योजना में 15 लाख का उपबन्ध किया गया है तथा इस कार्य के लिये चौथी योजना में 75 लाख रुपये का उपबन्ध करने का विचार है ।

(ग) लगभग 4–5 वर्षों में ।

राजस्थान में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी

677. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक राजस्थान में कितने पाकिस्तानियों ने अवैध रूप से प्रवेश किया है ; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) 31 जुलाई, 1964 को राजस्थान में 222 अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी रह रहे हैं। उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानियों की संख्या	अभियोग चलाये गये पाकिस्तानियों की संख्या	दण्ड दिए गए पाकिस्तानियों की संख्या	उन पाकिस्तानियों की संख्या जिनके विरुद्ध मुकदमा चल रहा है	उन पाकिस्तानियों की संख्या जिनके विरुद्ध मामले लम्बित हैं	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
222	39	11	28	173	10 पाकिस्तानियों ने मुकदमे दायर किये हैं कि वे भारतीय नागरिक हैं।

Hindi as a medium of Instruction

678. Shri Bagri : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) which of the universities in India have made or propose to make Hindi as the medium of instruction ; and

(*b*) whether the University Grants Commission have taken any decision that Hindi should not be made the medium of instruction in the Universities at present and if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (*a*) The undermentioned Universities have adopted Hindi as medium of instruction/examination *in addition to English*

Agra, Allahabad, Aligarh, Banaras, Bhagalpur, Delhi Gorakhpur, Gujarat, Indira Kala Sangeet, Jabalpur, Jodhpur, Kurukshetra, Lucknow, M.S. University of Baroda, Magadh, Nagpur, Osmania, Punjab, Patna, Rajasthan, Ranchi, Sardar, Vallabhbhai, Saugar, S.N.D.T. Women's, Udaipur, Bihar, Vikram, Jivaji, Ravi Shankar, Gujarat Vidyapith, Gurukul Kangri, Kashi Vidyapith and K.S. Darbhanga, Sanskrit Vishwavidyalaya.

2. The question of making Hindi as medium of instruction /examination is also under consideration of the universities of Indore and the U.P. Agricultural University.

3. Karnatak University has also allowed its constituent and affiliated colleges to introduce Hindi or the Regional language in addition to English as medium of instruction. However, no college has so far introduced Hindi as medium of instruction.

4. Medium of instruction in Varaneseya Sanskrit Vishwavidyalaya is Sanskrit as laid down in the Statutes of that University but for the modern subjects, medium of instruction is partly in Hindi.

5. Medium of instruction in Jamia Millia Islamia is Urdu but in special cases instructions are imparted in Hindi also.

(b) The University Grants Commission has not taken any such decision.

पुराने किले के निष्क्रान्त व्यक्ति

679. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च 1964 में संघ सरकार द्वारा किए गए पट्टे की रिपोर्ट देखी है जिसमें पुराने किले दिल्ली से निकाले गए विस्थापित व्यक्ति पट्टेदारों से कहा गया हैं कि वह जुलाई 1962 से पहले अपना मकान बनालें ;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले में जांच कर ली गई है ; और

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले हैं?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) पुराने किले से निकाले गये व्यक्तियों को 1959–60 में प्लाट दिए गए थे । शर्तों के अनुसार उनको पहले 20 प्रतिशत धन जमा करना था तथा शेष 7 वर्षों में किश्तों पर अथवा मुआवजे के दावों का समायोजन पूरा करना था । उनको आवंटन पत्र मिलने के बाद 15 दिन में प्लाट पर कब्जा कर लेना था तथा कब्जा करने की तारीख से 7 महीनों में अपना मकान बना लेना था । परन्तु इस अवधि को बढ़ा कर 2 वर्ष कर दिया गया । पट्टे की अवधि प्लाट पर कब्जा करने की तारीख से आरंभ हो जाती है जब कि 'लीज डीड' पूरा धन जमा करने के बाद लिखा जायेगा । 2 वर्ष की अवधि उसी तारीख से आरंभ हो जाती है जिस दिन प्लाट पर कब्जा कर लिया गया हो । क्योंकि मूल्य सात वर्षों में दिया जाना था इसलिये सामान्यतः 'लीज डीड' निर्धारित अवधि में मकान बन जाने के बाद लिखा जाता है ।

दण्डकारण्य में शरणार्थियों के लिए भूमि

680. **श्री बड़े** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य में विशेषतया जुगानी गांव में कितनी भूमि ऐसी है जो कृषि योग्य नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख) खेती करने के बाद जुगानी गांव में "प्लाट खेती योग्य नहीं पाये गये तथा भूमि दिए जाने वाले शरणार्थियों को बदले में दूसरे प्लाट दे दिए गए थे । यह कहना ठीक नहीं है कि दण्डकारण्य में शरणार्थियों को

दी गई भूमि खेती किए जाने योग्य नहीं है । मिट्टी का विश्लेषण करने के बाद कुछ क्षेत्रों में कुछ भूमि खेती योग्य नहीं पाई गई थी । ऐसे मामलों में उनको दूसरी भूमि दे दी गई है ।

माध्यमिक तथा कालिज की शिक्षा

681. श्री मणिवंगाडन : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में माध्यमिक तथा कालिज की शिक्षा के लिये कितनी अवधि निर्धारित है; और

(ख) क्या समस्त भारत में इस अवधि को एक समान बनाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) एक विवरण संलग्न है ।
[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–3142/64]

(ख) जी हां । हाल में ही नियुक्त शिक्षा आयोग इस पर भी निःसंदेह विचार करेगा ।

उर्वरक कारखाने

682. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में कई उर्वरक कारखाने स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस कार्य के लिये देश में पर्याप्त तकनीकी जानकारी उपलब्ध है ; और

(घ) इन परियोजनाओं पर अनुमानतः कितना धन व्यय होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय सरकारी क्षेत्र में क्रियान्विति के लिये कोरबा (मध्य प्रदेश) तथा दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) दो नई परियोजनायें विचाराधीन हैं। अन्य विभिन्न परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है परन्तु उनके ब्योरे अभी अन्तिम रूप से बनाये जाने हैं।

(ग) जी हां ।

(घ) ब्योरेवार परियोजना प्रतिवेदन बनाये जाने के बाद आंकड़े उपलब्ध होंगे ।

अखिल भारतीय सेवायें

683. श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री पी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवाओं की श्रेणियों की संख्या में कोई अन्तर है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) :(क) जी हां ।

(ख) 1-9-64 को आई ए एस तथा आई पी एस श्रेणियों की स्थिति नीचे दी जाती है :—

	सीधी भरती का कोटा	पदोन्नति कोटा	जोड़
आई ए एस	270	50	320
आई पी एस . .	103	44	147

Wastage of Oxygen Gas

684. Shri Daljit Singh : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(*a*) Whether it is a fact that a large quantity of surplus oxygen gas produced by the Nangal Fertilizer Factory goes waste ; and

(*b*) if so, the steps proposed to be taken to utilise the same ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (*a*) Yes, Sir. Oxygen produced in the Electrolysis Plant is being vented into the atmosphere at present, roughly at the rate of 12,500 cubic meter per hour.

(*b*) Various methods for purification of oxygen on a pilot scale were tried, but have not been successful so far. Recently tenders have been invited for the supply of electrostatic precipitators for the purification of oxygen.

रूसी सर्कस

685. **श्री अ० व० राघवन :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रूसी सर्कस द्वारा हाल में ही किया गया दौरा वित्तीय दृष्टि से सफल था ;

(ख) उन्होंने किन स्थानों का दौरा किया तथा प्रत्येक केन्द्र से कितना धन मिला और उन केन्द्रों में कितना धन व्यय किया गया ;

(ग) इन प्रदर्शनों के लिए किन राज्यों ने मनोरंजन तथा अन्य कर माफ कर दिए थे ;

(घ) इन प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप भारत की संचित निधि में कितना धन जमा किया गया ; और

(ङ) हैदराबाद में जब एक गैलरी गिर पड़ी थी तब घायल लोगों को कोई प्रतिकर देने के लिये इस धन में से कोई राशि नियत की गई थी ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) क्योंकि व्यय किए गए धन की राशि मालूम नहीं है इसलिये यह संभव नहीं है कि दौरे की वित्तीय सफलता का अन्तिम मूल्यांकन किया जाये।

(क) जिन स्थानों पर प्रदर्शन किये गये तथा प्रत्येक केन्द्र से प्राप्त धन नीचे दिया जाता है :—

बम्बई	रुपये	5,19,038.00
हैदराबाद	रुपये	68,479.25
मद्रास	रुपये	1,81,473.50
कलकत्ता	रुपये	4,00,476,.00
कानपुर	रुपये	1,83,259.50
दिल्ली	रुपये	3,10,888.00
	रुपये	16,63,614.25

सभी राज्य सरकारों ने व्यय के पूरे आंकड़े अभी नहीं दिये हैं।

(ग) महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली प्रशासन।

(घ) क्योंकि सभी राज्य सरकारों ने व्यय के पूरे विवरण अभी नहीं दिए हैं इसलिए भारत की संचित निधि में अभी कोई धन जमा नहीं किया गया है।

(ङ) जी नहीं ।

पुलिस प्रशिक्षण स्कूल

686. श्री अ० व० राघवन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस प्रशिक्षण स्कूल को माउन्ट आबू से हैदराबाद ले जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये कोई स्थान चुन लिया गया है ; और

(ग) स्कूल को कब स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) जी हां ।

(ग) जब स्कूल के भवन का निर्माण हो जायेगा ।

दिल्ली के स्कूलों में अध्यापक

687. श्री दे० द० पुरी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में अध्यापन कार्य में बहुत बाधा पहुंचती है क्योंकि अधिकांश अध्यापक दौरों पर चले जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्कलों में नियमित अध्यापन सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम उठाने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विश्वविद्यालय में अध्यापकों के वेतन क्रम

688. डा० पं० शा० देशमुख: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रणियों के अध्यापको के वेतन क्रम क्या हैं तथा दिल्ली के अध्यापकों के वेतन क्रम क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : अपेक्षित जानकारी का विवरण संबद्ध है । [पुस्तकालय में रखा गया । दखिये संख्या एल० टी०—3143/64]

प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा

689. ड० पं० शा० देशमुख : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों अर्थात् 1958–59 से 1963–64 में अपने कोषों में से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः केन्द्रीय सरकार ने प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पर कितना धन व्यय किया ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है और उसको इकट्ठा करने में समय लगेगा ।

केनिंग पत्तन पर ड्रिलिंग

690. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बसुमतारी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ब० ना० कुरील :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के केनिंग पत्तन क्षेत्र में ड्रिलिंग कार्य आरम्भ करने का निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) क्या रूसी विशेषज्ञ इस क्षेत्र में तेल पाने की संभावना ठीक समझते हैं ; और

(ग) क्या केनिंग पत्तन में यदि तेल पाया गया तो उसको हल्दिया में प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने में इस्तेमाल में लाया जा सकता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) यह निर्णय किया गया है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग पश्चिम बंगाल के बेसिन में गहरी ड्रिलिंग करेगा। केनिंग पत्तन के निकट पहला कुआं ड्रिल करने की संभावना है।

(ख) रूसी विशेषज्ञ इस क्षेत्र में और खोज कार्य करना उचित समझते हैं।

(ग) इस समय इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया जा सकता है।

मंत्रियों द्वारा विदेश भ्रमण

691. श्री पु० र० पटेल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1964 से मंत्रियों के विदेशों के दौरों पर, मंत्री-वार, अब तक कितनी राशि व्यय हुई है ; और

(ख) प्रत्येक मंत्री द्वारा ये दौरे किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है। [पुस्तकालय में रखा गये। देखिये संख्या एल० टी०—3144/64]

अध्यापकों का प्रशिक्षण

692. श्री बासप्पा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अध्यापकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये कदम उठा रही है ; और

(ख) क्या मैसूर सरकार ने अध्यापकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० जागला) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

Fertilizer Plant at Korba

693. **Shri Chandak :**
Shri R. S. Pandey :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the Fertilizer Corporation of India has decided to set up a fertilizer plant at Korba, District Bilaspur in Madhya Pradesh ;

(*b*) if so, the progress made so far in this connection ; and

(*c*) when this project will be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (*a*) and (*b*) The Fertilizer Corporation of India has prepared a project report for the establishment of a fertilizer factory at Korba in Madhya Pradesh. The project report is under consideration.

(*c*) From the time of approval, it may take 30 to 36 months.

अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम

694. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री नि० र० लास्कर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का प्रशिक्षण-प्राप्त अध्यापकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सेकेन्डरी स्कूल अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए पत्र व्यवहार पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) यह योजना चालू करने पर अनुमानत: कितनी धन राशि व्यय होगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि क्या स्कलों के लिये अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिये पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम की प्रणाली का लाभ उठाना संभव होगा ।

उत्तर प्रदेश के अध्यापकों के वेतन-क्रम

695. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गत वर्ष राज्य में स्थानीय निकायों के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कलों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों में बढ़ोतरी करने के लिये कोई प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कुल कितनी धन राशि दी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

यूगोस्लाविया जाने वाले भारतीय छात्र

696. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० र० लास्कर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया की सरकार ने युगोस्लाविया में विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिये भारतीय नागरिकों को छात्रवृत्तियां देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की छात्रवृत्तियां देने की पेशकश की है, छात्रवृत्तियों की संख्या क्या है और अध्ययन/प्रशिक्षण के विषय क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इन छात्रवृत्तियों की स्वीकृति देने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) छात्रवृत्तियों की राशि

(1) निर्वाह भत्ता 40,000 दिनार प्रति मास (लगभग 254 रु० प्रति मास)

(2) पुस्तक भत्ता

(3) नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा

(4) आवास की व्यवस्था न किये जाये पर मकान किराये के लिये एक मुश्त भत्ता ।

छात्रवृत्तियों की संख्या : पांच । अध्ययन/प्रशिक्षण के विषय : ललित कला (पलस्तर सूखने से पहल दीवाल पर जलमिश्रित रंग से चित्रकारी, चित्रकारी, पुनरुद्धार तथा संरक्षण), युगोस्लाविया का इतिहास, आर्थिक विकास, लोक प्रशासन, तथा सर्वोत्कोशी भाषा तथा साहित्य ।

(ग) छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और तीन छात्रवृत्तियों के लिये उम्मीदवार चुन लिये गये हैं । अन्य दो के लिये उम्मीदवार शीघ्र ही चुन लिये जायेंगे ।

प्रतिव्यक्ति शुल्क

697. श्री ई० जी० नायक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में गैर सरकारी इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कालेजों द्वारा छात्रों के दाखिले के लिये प्रतिव्यक्ति शुल्क लिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां । कुछ मामलों में जो शुल्क वसूल किया जाता है उसे "दान" की संज्ञा दी जाती है और अन्य मामलों में "प्रति व्यक्ति शुल्क" की ।

(ख) इस उद्देश्य से कि ये संस्थायें उचित स्तर बनाये रखें, राज्य सरकारों तथा विश्व-विद्यालयों को कुछ शिक्षा सम्बन्धी, प्रशासनिक तथा वित्तीय सिद्धान्त सुझाये गये हैं।

मास्टर प्लान के अन्तर्गत भूमि अर्जन

698. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि के मूल्यों को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली मास्टर प्लान के अन्तर्गत सरकार ने अब तक कितनी भूमि अर्जित की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन, विकास तथा निपटारे सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत, जिसका ब्योरा नियम 197 के अन्तर्गत श्री पी० जी० देब द्वारा दिये गये ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के उत्तर में 23 मार्च, 1961 को सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया हुआ है, विभिन्न अभिकरणों जैसे, दिल्ली विकास प्राधिकार, दिल्ली नगर निगम, सहकारी समितियों, सरकारी विभागों तथा अन्य लोक संस्थाओं तथा संगठनों द्वारा विकास किये जाने के उद्देश्य से पहले ही लगभग 16,000 एकड़ भूमि अर्जित कर ली गई है।

अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा

99. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री 8 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 962 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच वैज्ञानिक कर्मचारी सम्बन्धी समिति की वैज्ञानिक कर्मचारियों की एक अखिल भारतीय सेवा बनाने के बारे में सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

स्कूलों तथा कालेजों में उत्पादी श्रम

700. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री 8 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 966 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा स्कूलों तथा कालेजों में उत्पादी

श्रम लागू करने के उद्देश्य से एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु०क० चागला) : (क) समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

विश्वविद्यालयों के लिये आदर्श विधान

701. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या शिक्षा मंत्री 29 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1239 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच विश्वविद्यालयों के लिये आदर्श विधान तैयार करने का काम पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नूनमती तेल शोधनशाला

702. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री 29 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1232 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना प्रतिवेदन इस बीच तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य बातें ये हैं :—

(1) परियोजना प्रतिवेदन प्रति वर्ष 6000 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,

जिसके 11,000 टन की क्षमता तक पहुंचने की संभावना है, के उत्पादन पर आधारित है ।

(2) स्वदेशी उपकरणों को अधिकतम प्रयोग जैसे, जहाज टैंक, हीट एक्सचेंजर, पम्प तथा पाइप आदि ।

(3) इस योजना पर 16·09 लाख रु० व्यय होने का अनुमान है जिसमें लगभग 1·5 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है ।

Rains in Delhi

703. Shri Naval Prabhakar: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) the number of villages affected by the heavy rains in Delhi during July, 1964 ; and

(*b*) the relief measures adopted by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. ishra): (*a*) 44 villages were affected by heavy rains and water-logging during the month of July, 1964.

(*b*) The following relief measures were adopted by the Delhi Administration :

(*i*) Persons and cattle were evacuated to safer places.

(*ii*) Sirkies, grazing grounds, empty cement bags, rations, boats and medical aid were provided to the villages so affected.

रूस में शिक्षा

704. **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपने रूस भ्रमण के दौरान वहां की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया है विशेषकर उस देश की शिक्षा प्रणाली में प्रादेशिक भाषाओं के साथ साथ राष्ट्रीय भाषा के योग की दिशा में;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में एक विस्तृत प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) रूस की शिक्षा प्रणाली को भारत में कहां तक लागू किया जा सकता है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) शिक्षा मंत्री ने अपने रूस भ्रमण के दौरान वहां की शिक्षा प्रणाली का अवश्य ही अध्ययन किया ।

(ख) नहीं, प्रतिवेदन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) वहां की शिक्षा प्रणाली की बहुत सी बातों को भारत में लागू किया जा सकता है । इस मामले पर विचार किया जा रहा हैं ।

नीमच में केन्द्रीय रक्षित पुलिस

705. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 जुलाई, 1964 को नीमच में केन्द्रीय रक्षित पुलिस को बुलाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो किस अवसर पर बुलाया गया था और उन्होंने उस अवसर पर क्या काम किया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) नीमच में विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला पुलिस के पहुंचने के समय तक के लिये जिला दण्डाधीश, मंदसौर, द्वारा केन्द्रीय रक्षित पुलिस की एक टुकड़ी को बुलाया गया था । उसे बिना कोई काम लिये ही एक घण्टा पश्चात् लौटा दिया गया था ।

प्रादेशिक औषध अनुसन्धानशालायें

706. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में प्रादेशिक औषध अनुसन्धानशालायें स्थापित करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) किन किन स्थानों पर ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

तेल की पाइप लाइन

707. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चा तेल प्राप्त करने के लिये आसाम के तेल क्षेत्रों को बरौनी में सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने से मिलाने वाली भारत की प्रथम कच्चे तेल की पाइप लाइन परियोजना के द्वितीय सैक्टर का काम कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) समूची परियोजना की कुल लागत क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) नूनमती से बरौनी तक की पाइप लाइन के दूसरे प्रक्रम को 11 फरवरी, 1963 में पूरा कर लिया गया था ।

(ख) लगभग 45 करोड़ रुपये ।

अलकोहल

708. **श्री मा० ल० जाधव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी मात्रा में सीरे का उत्पादन होता है;

(ख) इसमें से कितनी मात्रा में सीरा देश से बाहर निर्यात किया जाता है;

(ग) देश में सीरे से कितनी पावर अलकोहल तैयार की जाती है; और

(घ) क्या पावर अलकोहल से शराब तैयार करने के लिये प्रयास किये गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सीरे का उत्पादन चीनी के उत्पादन पर निर्भर है । औसतन, सीरे का उत्पादन चीनी के उत्पादन का 35 प्रतिशत होता है । दिसम्बर, 1962 से नवम्बर, 1963 तक के मौसम में 749,000 टन सीरे का उत्पादन हुआ ।

(ख) वित्तीय वर्ष 1963–64 में 98,09,200 रुपये के सीरे का निर्यात किया गया । अब सामान्यत: निर्यात के लिये अनुमति दे दी जाती है ।

(ग) मोटर गाड़ियों में प्रयोग के लिये पेट्रोल के साथ अब पावर अलकोहल नहीं मिलायी जाती । औद्योगिक मलकोहल तैयार की जाती है और इसके उत्पादन के वर्ष 1963 के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

(1) शुद्ध अलकोहल—25,307 किलोलिटर

(2) शुद्ध की गयी स्पिरिट —87,837 किलोलिटर

(घ) शुद्ध की हुई स्पिरिट का प्रयोग कुछ राज्यों में देसी स्पिरिट के रूप में किया जाता है । इसका प्रयोग भारत में निर्मित विदेशी शराब के लिये भी होता है, जैसे रम, जिन, ह्विस्की, ब्रांडी आदि ।

दास आयोग सम्बन्धी व्यय

709. **श्री मा० ल० जाधव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दास आयोग पर कुल कितना व्यय हुआ और वह व्यय किसने किया?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : दास आयोग पर कुल व्यय 2,09,252.58 नये पैसे हुआ जिसमें से राज्य सरकार द्वारा 1,72,111.17 नये पैसे और केन्द्रीय सरकार द्वारा 37,141.41 नये पैसे व्यय किये गये ।

Educational Loans to Mysore

710. **Shri Veerappa :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) whether Mysore Government have asked for an educational loan of Rs. 30 lakhs during 1964-65 ; and

(*b*) if so, the decision taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakat Darshan) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) The proposal is under consideration.

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की मांगें

711. **श्री प्र० पं० बरुआ :**
श्री बड़े :
श्री बृजराज सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारत प्राथमिक अध्यापकों के संघ द्वारा हाल ही में उन्हें एक ज्ञापन-पत्र दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन पत्र में कौन कौन सी मांगें रखी गयी हैं; और

(ग) उनकी मांगों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) अखिल भारत प्राथमिक अध्यापकों के संघ द्वारा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन-पत्र में निम्नलिखित 22 मांगें पेश की गयी हैं :—

(1) प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को समान वेतन पाने वाले राज्यों के सरकारी अधिकारियों के बराबर महंगाई भत्ता देना।

(2) अध्यापकों की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से प्राथमिक अध्यापकों के लिये देश भर में कम से कम वेतन निर्धारित करना।

(3) तिगुन लाभ योजना, अर्थात्, निवृत्ति-वेतन, उपदान तथा भविष्य निधि, का लागू करना।

(4) सारे देश में विभिन्न भाषाओं वाले प्राथमिक स्कूलों के लिये समान पाठ्यक्रम निर्धारित करना।

(5) प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना।

(6) प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों के सुपुर्द करना।

(7) शिक्षा को एक केन्द्रीय विषय बनाना।

(8) प्रशासन के लिये संयुक्त स्टाफ परिषदें स्थापित करना।

(9) प्राथमिक शिक्षा में आर्थिक उपाय—'खेर समिति' की सिफारिशें।

(10) प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देना।

(11) प्राथमिक अध्यापकों की पदस्थिति।

(12) अपव्यय एवं गतिबद्धता।

(13) 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिये समान वस्त्र ।

(14) अध्यापकों के बच्चों के लिये शुल्क-रहित शिक्षा ।

(15) प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये विदेशों की शिक्षा सम्बन्धी यात्रा—आवश्यक विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध ।

(16) अध्यापकों के लिये मकान ।

(17) अध्यापकों का प्रशिक्षण ।

(18) अध्यापक दिवस ।

(19) प्राथमिक शिक्षा का सैकेंडरी तथा कालेज की शिक्षा से समन्वय ।

(20) अनुभवी अध्यापकों को प्रशिक्षित मानना और उन्हें उसी के नुसार वेतन-क्रम देना ।

(21) भविष्य निधि अंशदान ।

(22) राज्य प्रारंभिक शिक्षा बोर्डों में प्रतिनिधित्व ।

(ग) यह ऐसे मामले हैं जिन पर सम्बद्ध राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों द्वारा निर्णय किये जाने हैं ।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

712. **श्री शिव चरण गुप्त :**
श्री बागड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के न्यायालयों में दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1961, 31 दिसम्बर, 1962 और 31 दिसम्बर, 1963 को कितने मामले लम्बित थे;

(ख) इनमें से कितने मामले 6 मास से, एक वर्ष से और दो वर्ष से लम्बित पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार को अधिनियम के त्रुटिपूर्ण उपबन्धों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क)

31-12-1961 .	3112
31-12-1962	3895
31-12-1963	4389

(ख) स्थिति निम्न प्रकार है :

किस तिथि को लम्बित	6 मास पुराने	एक वर्ष पुराने	दो वर्ष पुराने
31-12-61 . . .	अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।		
31-12-62 . . .	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं	803	93
31-12-63 . . .	1237	913	243

(ग) और (घ). कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन हैं।

हिन्दू विवाह तथा विवाह विच्छेद पर उद्वेग गवेषणा

713. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबाबा :
श्री नम्बियार :
श्री मौर्य :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को की उद्वेग गवेषणा योजना की हिन्दू विवाह तथा विवाह विच्छेद विधेयक, के सम्बन्ध में सरकार द्वारा पुरोनिधान की गई एक परियोजना के बारे में सरकार को अपने वरिष्ठ परामर्शदाता से 1952 और 1954 के बीच कोई सिफारिश प्राप्त हुई थी;

(ख) क्या पटना विश्वविद्यालय की मनोवैज्ञानिक गवेषणा तथा सेवा संस्था के भूतपूर्व निदेशक ने इस परियोजना के कार्य को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया था और क्या उसने इस सम्बन्ध में सरकार को 1956 में सूचित किया था; और

(ग) इस गवेषणा परियोजना के कार्य को जिस गवेषणाकर्ता ने किया था क्या उसे कुछ रुपया दिया गया था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चगला) :(क) जी, हां। भारत में सामाजिक उद्वेग गवेषणा से सम्बन्धित यूनेस्को के परामर्शदाता की सिफारिश पर जिन विषयों पर गवेषणा की गई थी उनमें से एक हिन्दू कोड बिल के प्रति, अन्य वस्तुतः विवाह तथा विवाह विच्छेद सम्बन्धी उपबन्धों को मिलाकर लोगों की प्रतिक्रिया को जानना भी था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की फाइलें

714. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हरिविष्णु कामत :
श्री रा० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बृजराज सिंह :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की दो गोपनीय फाइलें हाल ही में नई दिल्ली में एक पान की दुकान पर पाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है कि ये फाइलें पान की दुकान पर किस प्रकार पहुंच गईं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) ऐसा बताया गया है कि, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के दो फोल्डर जिनमें छिद्रण कार्यवाही से सम्बन्धित कार्य विवरण रखे हुए थे 4 अगस्त 1964 को नई दिल्ली में एक पान की दुकान पर पाये गये थे। ये फोल्डर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एक कर्मचारी के सूट-केस में अन्य वस्तुओं के साथ रखे हुए थे। यह कर्मचारी कार्यालय के कार्य से अहमदाबाद को जा रहा था। बताया गया है कि यह सूट-केस दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी से चुरा लिया गया था।

(ख) पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।

स्कूलों के पुस्तकाध्यक्षों का प्रशिक्षण

715. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री 11 मार्च 1964 के अतारांकित **प्रश्न संख्या** 1043 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों में तृतीय पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार स्कूलों के पुस्तकाध्यक्षों के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं ;

(ख) उड़ीसा में कितने शिक्षक प्रशिक्षण कालेज इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ कर चुके हैं ; और

(ग) क्या भुवनेश्वर (उड़ीसा) में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् द्वारा स्थापित किये गये शिक्षक प्रशिक्षण कालेज में इस प्रशिक्षण के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) पांच ।

(ख) एक भी नहीं।

(ग) जी, नहीं।

जाली यात्री चैक

716. श्री मान सिंह पृ० पटेल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कॉटलैंड यार्ड ने भारत के पुलिस प्राधिकारियों को यह सूचना दी है कि बम्बई के ब्लू स्काईज़ प्राइवेट लिमिटेड नाम के एक यात्रा अधिकरण द्वारा जारी किये गये जाली यात्री चैक लन्दन में पकड़े गये हैं ;

(ख) क्या इस यात्रा अधिकरण में लगभग 1,00,000 रुपये के मूल्य के अधिकांश शेयर पुलिस के किसी इन्सपैक्टर जनरल के हैं जो कि इस समय नौकरी से मुअत्तिल है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में इस अधिकारी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां। इस सम्बन्ध में न्यू स्कॉटलैंड यार्ड से भारत के पुलिस अधिकारियों को एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) ब्लू स्काईज़ प्राइवेट लिमिटेड की 2,31,000 रुपये की कुल निगमित पूंजी म से 96,300 रुपये के मूल्य के 963 शेयर पुलिस के एक इन्सपैक्टर जनरल के बताये जाते हैं जो कि इस समय नौकरी से मुअत्तिल है।

(ग) पुलिस अधिकारी द्वारा किये गये अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

गुजरात की नई राजधानी में छिद्रण-कार्य

717. श्री मान सिंह पृ० पटेल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की नई राजधानी 'गांधी नगर' में सरकार ने छिद्रण-कार्य पूरा कर लिया है !

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में तेल की सम्भावनायें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार द्वारा इस गांधी नगर क्षेत्र के निर्माण के सम्बन्ध में लगाये गये प्रतिबन्धों में ढील दे दी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस क्षेत्र के अधिकांश भाग में तेल की सम्भावनायें कम प्रतीत होती हैं।

(ग) उस क्षेत्र का जो भाग अब आयोग के काम का नहीं है तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने उसे गुजरात सरकार को बता दिया है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद की पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन

718. श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या शिक्षा मंत्री वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की पुनर्विलोकन समिति, जिसके अध्यक्ष श्री रामस्वामी मुदालियर हैं, द्वारा की गई सिफारिशों को सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसके सितम्बर 1964 के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है।

सरकारी नौकरी में गैर-भारतीय कर्मचारी

719. श्री काशी नाथ पांडे : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के विभिन्न विभागों में कितने गैर-भारतीय नौकरी पर लगे हुए हैं और उनमें से कितने इस समय विभागाध्यक्षों के रूप में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से कितने तीन वर्ष से अधिक समय से निरन्तर नौकरी पर लगे हुए हैं ; और

(ग) उन गैर-भारतीय कर्मचारियों के स्थान पर जो कि निरन्तर तीन वर्ष से अधिक समय से सरकारी नौकरी में हैं उपयुक्त भारतीय कर्मचारियों को रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० न० मिश्र). (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा वह यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नामरूप उर्वरक कारखाना

**720. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में नामरूप उर्वरक कारखाना स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस समय यह निर्धारित लक्ष्य से कितना पीछे है ; और

(ग) इसमें उत्पादन कब से आरम्भ होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नामरूप उर्वरक कारखाना स्थापित करने की दिशा में की गयी प्रगति निम्न प्रकार है :—

1. 806.91 एकड़ भूमि अर्जित की गयी है और 20,43,663 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये गये हैं।
2. नामरूप रेलवे स्टेशन से परियोजना स्थल तक 5 मील लम्बी एक रेलवे लाइन बिछायी गयी है और अभी सभी सामान और उपकरण परियोजना स्थल पर ही उतारा जाता है। ब्रिटेन से आयात किये जा रहे संयंत्र और मशीनें कांडला पत्तन से बिना किसी नौकान्तरण के सीधे कारखाना स्थल पर पहुंच रहे हैं। लगभग 4000 टन आयातित मशीनों में से 3480 टन प्राप्त हो गयी हैं और उन्हें कारखाना स्थल पर उतारा जा चुका है।
3. 1,21,000 वर्ग फुट क्षेत्र में नौ भांडागार और दस गोदाम बनाये गये हैं।
4. कारखाने को, नगर को और आसाम राज्य विद्युत बोर्ड के तापीय विद्युत स्टेशन को प्रतिदिन 80 लाख गैलन पानी का संभरण करने के लिये दिल्ली नदी के

किनारे पर एक पम्पिंग स्टेशन बनाने के लिये भूमि प्राप्त कर ली गई है और 24 इंच वृत्ताकार का 11,600 फुट पानी के नल बिछाये गये हैं और उनको जोड़ दिया गया है।

5. मुख्य संयंत्र के लिये 10 प्रतिशत 'स्कोप ड्राइंग्स' मेसर्ज़ केमिकल कन्स्ट्रक्शन (जी०बी०) लन्दन से, जो मुख्य संयंत्र और मशीनों का संभरण करेंगे, प्राप्त हो गयीं हैं और इनमें से 50 प्रतिशत 'ड्राइंग्स' ठीक कर ली गयी हैं।

6. बनाये जाने वाले 900 रिहायशी क्वार्टरों में से 250 बन गये हैं और 390 तैयार होने वाले हैं।

7. एक होस्टल की इमारत बनायी गयी है जिसमें 40 कमरे होंगे।

8. वर्क्स और ड्राइंग कार्यालय, कैन्टीन, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, स्कूल और प्रशासन सम्बन्धी इमारतें बन रही हैं।

9. उर्वरक कारखाना और तापीय विद्युत केन्द्र को गैस का संभरण करने के लिये नहरकटिया तेल क्षेत्रों से नामरूप तक (लगभग 11 मील लम्बी) 14 इंच गैस पाइप लाइन आसाम गैस कम्पनी द्वारा बिछायी जा रही है।

(ख) निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि कर दी गयी है।

(ग) अब इस कारखाने के वर्ष 1966 के अन्त में या वर्ष 1967 के आरम्भ में चालू हो जाने की आशा है।

इंजीनियर

721. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एप्लाइड जन-शक्ति अनुसंधान संस्था के प्रतिवेदन में बताया गया है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में फालतू संख्या में इंजीनियरों की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कालिजों और पोलीटेक्नीकों के विस्तार के लक्ष्यों में परिवर्तन करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) संस्था द्वारा पिछले वर्ष "एनेलिटिकल रिव्यू ऑन डिमांड फ़ोरकास्ट मेथोडोलाजी' और प्रावीज़नल फ़ोरकास्ट आफ ग्रोथ' सम्बन्धी एक कार्य-दस्तावेज में यह बताया गया है कि चौथी योजना में इंजीनियर फालतू संख्या में होने की संभावना है। यह अनुमान है कि चौथी योजना का परिव्यय लगभग 15,600 करोड़ रुपये होगा। इस विश्लेषण के लिये गैर-योजना क्षेत्रों की आवश्यकताओं को अलग से नहीं आंका जाता है। इस मामले पर योजना आयोग और जनशक्ति संस्था के परामर्श से आगे विचार किया गया है। यद्यपि चौथी योजना के आकार और विनियोजन पद्धति के बारे में ठीक निर्णय किये जाने के बाद ही स्पष्ट स्थिति का पता चलेगा, वर्तमान स्थिति के अनुसार यह आशा नहीं की जाती है कि चौथी योजना में इंजीनियर फालतू संख्या में हो जायेंगे। पांचवीं योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इंजीनियरी शिक्षा और प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं के और विस्तार के लिये भी कार्रवाई की जायेगी।

केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्था, पिलानी (राजस्थान)

722. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्था, पिलानी (राजस्थान) ने ट्रांजिस्टरों के एक विकल्प का आविष्कार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) वाणिज्यिक आधार पर इसका उत्पादन करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

723. **श्रीमती नक्षमी बाई :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अगले वर्ष से ब्याज चुका ऋण देने की बजाय सीधे छात्रवृत्ति देकर मैट्रिकोत्तर राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना में ढील दे रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) प्रस्ताव विचाराधीन है। इतने समय में राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना लागू वर्ष में जारी रहेगी।

Government Employees in Nagar Haveli

724. **Shri Baswant :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Government servants in Nagar Haveli at present ;

(b) the number of officials among them on deputation from State Governments ; and

(c) the number of officials State-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) At present there are 623 Government servants in Nagar Haveli.

(b) 107 officials are on deputation from State Governments.

(c) From Gujarat 106 ; and from Maharashtra 1.

"राज्य कृषि"[1]

725. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आये नये आप्रव्रजकों की सहायता से "राज्य कृषि" की एक योजना बनायी है ; और

[1]State Farming

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख). जनवरी, 1964 के बाद से पूर्वी पाकिस्तान से आये नये आप्रव्रजकों में कृषक परिवारों के पुनर्वास के लिये सरकार उन क्षेत्रों में, जहां बड़े आकार में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, सरकारी फार्म स्थापित करने पर विचार कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत इन आप्रव्रजकों को तीन से पांच वर्ष तक की अवधि के लिये मजूरी और लाभांश पर फ़ार्म श्रमिक के रूप में नियोजित किया जायेगा। इस अवधि में भूमि का विकास किया जायेगा और फसल का एक उपयुक्त तरीका निकाला जायेगा। खाद्य-फसलों की खेती के अतिरिक्त, जहां कहीं संभव होगा, वाणिज्यिक फसलों को भी पैदा किया जायेगा। तीन से पांच वर्ष तक की अवधि समाप्त हो जाने के बाद यह भूमि आप्रव्रजकों की एक सहकारी समिति को दे दी जायेगी या व्यक्तिगत आधार पर उनको दे दी जायेगी यदि वे खेती में वास्तविक रुचि प्रकट करेंगे। योजना के ब्योरे को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है।

अन्दमान तथा नीकोबार में तेल की खोज

726. **श्री इ० मधूसूदन राव** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में और बंगाल की खाड़ी में तेल की संभावना का पता लगाने के लिये तेल विशेषज्ञों का एक दल हाल में ही अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस काम में कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्र-दल पिछले कुछ क्षेत्र-सीज़न में अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का भूतत्वीय मानचित्रीकरण करते रहे हैं। तेल विशेषज्ञों का कोई और दल द्वीपसमूह में और बंगाल की खाड़ी में तेल की खोज करने के लिये हाल में अन्दमान तथा निकोबार नहीं गया है।

(ख) द्वीपसमूह का भूतत्वीय मानचित्रीकरण किया जा रहा है।

मैसर्ज सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी का मामला

727. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्ज़ सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश, श्री एस० के० दास द्वारा की गयी अर्द्ध-न्यायिक जांच में बताये गये विभिन्न पदाधिकारियों पर न्यायालय में मुकद्दमा चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो हर मुकद्दमे की क्या स्थिति है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) एक मामले में सरकारी गवाहों के साथ जिरह की जा रही है और बाकी तीन मामलों में सरकारी गवाहों के ब्यान लिये जा रहे हैं।

इंजीनियरी में प्रेक्टिकल प्रशिक्षण

728. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरी शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में डिग्री परीक्षा के वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रेक्टिकल प्रशिक्षण पर जोर नहीं दिया गया है जिसका फल यह होता है कि इंजीनियरों को केवल थ्योरेटिकल ज्ञान होता है और व्यावहारिक क्षेत्र में वे असफल रहते हैं ; और

(ख) क्या इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम में औद्योगिक प्रबन्ध का अध्यापन लागू करने का कोई प्रस्ताव है ताकि कुछ इंजीनियर-प्रशासन तैयार किये जा सकें ।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं । डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रयोगशालाओं, कर्मशालाओं, ड्राइंग और डिजाइनिंग आदि में पर्याप्त मात्रा में प्रक्टिकल काम शामिल है । तथापि, वे वास्तविक औद्योगिक अनुभव पाठ्यक्रम के बाद शिशिक्षुओं के रूप में अथवा कारखाने के भीतर प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त करते हैं ।

(ख) इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रमों में औद्योगिक प्रबन्ध के कुछ पहलुओं को शामिल किया गया है लेकिन इन क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण स्नातकोत्तर स्तर पर ही दिया जाता है ।

अन्दमान द्वीपसमूह में विद्युत् प्रेषण लाइनें

729. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1963 में पोर्ट ब्लेयर में विद्युत् प्रेषण लाइनों के टूट जाने से ड्यूटी पर तैनात अन्दमान द्वीपसमूह के बिजली विभाग के दो कर्मचारियों की बिजली छूने से मृत्यु हो गयी ;

(ख) क्या यह दुर्घटना क्रास सड़कों पर और अन्य खतरे के स्थानों पर प्रेषक लाइनों पर कोई जाल न लगाये जाने के कारण हुई ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) दुर्घटना न तो क्रास-रोड पर हुयी और न किसी खतरे के स्थान पर जहां कि भारतीय विद्युत् नियमों के अन्तर्गत जाल लगाये जाने चाहिये ।

(ग) यह दुर्घटना इसलिये हुई 230 वोल्ट का ए० सी० फ़ेस कन्डक्टर, जो टूट गया था गिरने के बाद ठीक तरह जमीन से नहीं मिल पाया जिससे करेंट जमीन में चला जाता और सर्किट फ्यूज हो जाता और लाइन सुरक्षित रहती ।

अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह

730. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भी राजधानी में अक्तूबर-नवम्बर, 1964 में अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह का आयोजन किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो यह कब से आरम्भ होगा ; और

(ग) इसमें कौन कौन से विश्वविद्यालय भाग लेंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां । व्यय में कमी करने के ख्याल से इस वर्ष प्रत्येक विश्वविद्यालय से भाग लेने वालों की संख्या को 22 से घटा 12 कर दिया गया है ।

(ख) 14 नवम्बर, 1964 ।

(ग) आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अन्नमलई, बनारस, बड़ौदा, भागलपुर, बिहार, बम्बई, दिल्ली, गोहाटी, गोरखपुर, गुजरात, गुजरात विद्यापीठ, इन्दौर, जामिया मिलिया, जम्मू तथा काश्मीर, जीवाजी, जोधपुर, काशी विद्यापीठ, केरल, के एस० दरभंगा, कुरुक्षेत्र, लखनऊ, मगध, मराठवाडा, मैसूर, नागपुर, उड़ीसा कृषि, पटना, पंजाब कृषि, पंजाब, पंजाबी, रवीन्द्र भारती, राजस्थान, रांची, रवी शंकर, रुड़की, सागर, एस० एन० डी० टी० बम्बई, उदयपुर, उत्तर प्रदेश कृषि, उत्कल, विक्रम, विश्व-भारती, अखिल भारत चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली, बम्बई, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान ।

ध्यान दिलानें वाली सूचनाओं कें बारें में प्रश्न

RE. CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री एस० के० गुप्त, अध्यक्ष, डी० डी० ए० के त्याग-पत्र के बारे में हम ने एक ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसे इसलिये अस्वीकार कर दिया गया चूंकि मंत्री महोदय द्वारा एक वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है । परन्तु हम चाहते हैं कि सरकार का ध्यान इस विषय की ओर दिलाया जाये . . .

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इस बारे में लिखें तो मैं विचार करूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर): कई बार सभा में ऐसा हुआ है कि जब हम इस प्रकार की सूचना देते हैं तो मंत्री महोदय बिना सूचित किये ही एक वक्तव्य सभा पटल पर रख देते हैं। इस प्रकार हम प्रश्न पूछने से वंचित रह जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि भविष्य में जब कभी वक्तव्य सभा पटल पर रखे जाने हों उन की पूर्व सूचना माननीय सदस्यों को दी जाया करे ।

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी): अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जब उस विशेष अधिकारी के बारे में प्रश्न उठाया गया तभी मैं ने यह वक्तव्य सभा पटल पर रखा था। मेरा आशय केवल यह था कि सभा का अधिक समय नष्ट न किया जाय।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता पूर्व): इसी आशय का एक मेरा प्रस्ताव भी था जिसे कल इसी कारण अस्वीकार कर दिया गया। परन्तु हम प्रश्न पूछने से वंचित रह गये हैं।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी): मध्य प्रदेश में 114 शरणार्थी बच्चों की मृत्यु के बारे में मैंने एक ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं नहीं समझ सका कि उसे क्यों अस्वीकार कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: हमें उन बच्चों की मृत्यु पर बहुत शोक हुआ है परन्तु जब उस सूचना को अस्वीकार किया गया है तो उस विषय को इस प्रकार नहीं उठाया जाना चाहिए। यदि सभा के नियमों के अनुसार हम उस विषय पर यहां चर्चा नहीं कर सकते तो उस विषय को इस प्रकार नहीं उठाया जाना चाहिए। साधारणतः यह राज्य का विषय है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: शरणार्थियों के पुनर्वास की जिम्मेदारी केन्द्र की है।

अध्यक्ष महोदय: यदि किसी माननीय सदस्य को ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में पूछना है तो वह मेरे चैम्बर में मुझे मिल सकते हैं। यदि वह मुझे सन्तुष्ट कर देते हैं तो स्थिति पर फिर विचार किया जा सकता है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) दिनांक 23 मई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 766 में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (दसवां संशोधन) योजना, 1964

(दो) दिनांक 30 मई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 821 में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (ग्यारहवां संशोधन) योजना, 1964

(तीन) दिनांक 13 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 864 में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (बारहवां संशोधन) योजना, 1964

(चार) दिनांक 13 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 863 में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (तेरहवां संशोधन) योजना, 1964

(पांच) दिनांक 22 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1176 में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (चौदहवां संशोधन) योजना, 1964

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3135/64]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत, उपरोक्त एक्ट को चयन उद्योग पर लागू करने वाली दिनांक 30 मई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 822 की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3136/64]

(3) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 को चीनी-मिट्टी की खानों पर लागू करने वाली दिनांक 30 मई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 823 की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—3137/64]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

सैंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सैतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता रहा हूं ।

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अविश्वास प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : वर्तमान खाद्य नीति से सभी पक्षों को सन्तोष होना चाहिए चूंकि किसानों की उपज के लिये उचित मूल्य भी निर्धारित कर दिये गये हैं और राज्य व्यापार निगम भी स्थापित किया जा रहा है ।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री के निवास स्थान को राष्ट्रीय स्मारक बनाने पर विवाद खड़ा करना या आपत्ति करना अनुचित है । इस सिलसिले में डा० लोहिया ने जो शब्द कहे उनको पढ़ कर देश की जनता को दुःख हुआ है । इसी तरह संविधान में संशोधन करने के बारे में सरकार को बुरा भला कहना भी अनुचित है चूंकि स्वयं गैर-सरकारी सदस्यों ने कई बार इस प्रकार के संशोधनों का प्रस्ताव किया है ।

श्री दाण्डेकर ने कहा कि नई सरकार को नीतियों में परिवर्तन लाने का अवसर मिला है । परन्तु सरकार की नीतियां कोई नई नहीं हो सकतीं । जो नीतियां आज हैं उनके लिये इस सभा का

[श्रीमती लक्ष्मीकान्त मा]

और जनता का समर्थन प्राप्त है। श्री जवाहरलाल नेहरू ने जो नीवें रखीं और जो नीतियां अपनाईं वह उचित थीं और उन्हीं के अनुसार अब कार्य किया जायगा। हम भूतकाल को भविष्यकाल से पृथक नहीं कर सकते। श्री जवाहरलाल नेहरू की जो आर्थिक नीतियां थीं उन्हीं का अब हम अनुसरण करेंगे। उन्होंने श्री मसानी को बताया था कि स्पात संयंत्र स्थापित करना क्यों आवश्यक है।

अपने देश के आर्थिक विकास के लिये हमें पश्चिम एवं पूर्वी देशों पर पूर्णतः निर्भर नहीं करना है चूंकि यदि हम ऐसी नीति अपनाते हैं तो देश की प्रगति में बाधा पड़ेगी। इसके अतिरिक्त उद्योगों का स्थापित करना हमारे कृषि विकास के लिये भी आवश्यक है।

अपनी नीतियों को कार्य रूप देने में कठिनाइयों का सामना होना स्वाभाविक है चूंकि आर्थिक दृष्टि से हम पिछड़े हुए हैं, हमारी राजनीतिक संस्थाओं में परिपक्वता नहीं आ पाई और शताब्दियों की दासता एवं शोषण के कारण हमारा समाज भी विकासशील नहीं है। इनके अतिरिक्त मानव तत्व के कारण असफलता का सामना करना पड़ता है।

हमारे गृह-मंत्री ने भ्रष्टाचार समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया है उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। लोकतंत्र एवं समाजवाद की स्थापना तभी संभव है जब हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर दें। मानव तत्व सम्बन्धी त्रुटियों और अन्य कठिनाइयों पर काबू पाने का एक यही उपाय है कि हम अपने समाजवाद के सिद्धान्त पर चलते रहें। इसी सिद्धान्त पर चलते हुए हम मूल्यों और खाद्य सम्बन्धी समस्याओं को हल कर सकेंगे। श्री नेहरू के नेतृत्व से हम वंचित हो गये हैं परन्तु मुझे विश्वास है कि वर्तमान नेता देश को प्रगति की ओर ले जायेंगे।

श्री नाथपाई (राजापुर) : श्री वालकाट के दूसरी बार भारत आने से यह सिद्ध हो जाता है कि हमारी बन्दरगाहों पर, हवाई अड्डों पर और अन्य स्थानों पर अव्यवस्था फैली हुई है, प्रशासनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार और अयोग्यता पाई जाती है और देश में इतने बड़े पैमाने पर चौर्यानयन हो रहा है। जिसकी मिसाल अन्यत्र नहीं मिलती। इससे यह भी सिद्ध होता है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है।

8 जून, 1964 को मुरूद में जो कुछ हुआ और बाद में 9 जून, 1964 को बम्बई में जो कुछ हुआ मैं उसका ब्यौरा दूंगा। इधर भारत सरकार विभिन्न देशों की सरकारों से कह रही थी कि श्री वालकाट को हमारे हवाले किया जाये और उधर श्री वालकाट इस विश्वास के साथ कि उनको कोई नहीं पकड़ सकेगा पुनः भारत आये। उन्हें ऐसा विश्वास इसलिये था कि उन्हें पूर्व में ऐसा अनुभव हो चुका था। मुरूद में उसने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वह उनके विमान का ध्यान रखें और पुलिस अधिकारियों ने चौर्यानयन करने वालों के विमान की देख भाल करने के लिये दो गार्ड भेजे। उसके बाद उसने बम्बई जाने के लिये सहायता मांगी जो उन्हें मिली। बम्बई में वह एक अन्य सह-अपराधी से एक होटल में मिले जिनसे शायद उनका गठजोड़ था और फिर एक टैक्सी लेकर हवाई अड्डे पर चले गये। वहां से उन्होंने किसी तरह टिकटें खरीदीं और पाकिस्तान चले गये। उनके चले जाने के बाद भारत की सुरक्षा व्यवस्था की ओर से उनकी खोज की जाने लगी। हवाई अड्डे के अधिकारी को सुबह साढ़े सात बजे कान्स्टेबुल से यह सूचना मिली कि श्री फिलबी और श्री मैकलिस्टर नामक दो व्यक्ति बम्बई के लिए रवाना हुए थे। इस सूचना के प्राप्त होने के चार

घण्टे पश्चात् वह दोनों व्यक्ति पाकिस्तान के लिए रवाना हुए । मैं जानना चाहता हूं कि उन चार घण्टों में हवाई अड्डे के अधिकारी ने क्या कार्यवाही की ? यदि वह कर्तव्य-निष्ठ होते तो इस बीच में उन्हें रोकने के लिये अवश्य कोई कार्यवाही कर सकते थे । परन्तु वास्तव में उन्होंने कुछ नहीं किया ।

उन दोनों व्यतियों को पुलिस स्टेशन तक जाने की हिम्मत इसी लिये हुई चूंकि वह समझते थे कि वह रिश्वत देकर अपना काम चला सकते हैं । यह हमारी प्रशासनिक योग्यता और हमारे गुप्तचर विभाग की कुशलता का एक अद्‌भुत नमूना है कि दो अपराधी इस तरह से देश से भागने में सफल हुए ।

ऐसी घटनाओं को देख कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारा देश चौर्यानयन करने वालों, मुनाफाखारों और चोरबाजारी करने वालों के लिये एक अड्डा बन चुका है और हमारे प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्ट हैं, और एसे लोगों के साथ मिले हुए हैं और उन्हें हर तरह से प्रोत्साहन देते हैं । और हमारी सरकार मजबूरी की हालत में तमाशा देखने के सिवाय और कोई ठोस कार्यवाही करने में असमर्थ है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि यदि श्री वालकाट का सन्देश उसके सह-अपराधी श्री नोवक को समय पर पहुंच जाता तो वह शायद बम्बई जाने की बजाय मुरूद से ही सीधे कराची पहुंच गये होते और हमें इस बात का पता ही न चल पाता कि वह लोग हमारे देश में आये थे । कौन कह सकता है कि वह लोग कितनी बार इस देश में इस बीच आ चुके हों । यह भी संभव है कि श्री वालकाट जैसी प्रवृत्ति जैसे अनेक व्यक्ति हमारे देश के अन्दर ही मौजूद हों ।

सरकार यदि यह तर्क देकर छुटकारा पाना चाहे कि हमारा समुद्र तट बहुत लम्बा है और इतने बड़े समुद्र तट पर सुरक्षा की व्यवस्था करना कठिन काम है तो इसे प्रशासन चलाने का कोई अधिकार नहीं है । सरकार का कर्तव्य है कि वह देश के चप्पे चप्पे की रक्षा की व्यवस्था करे और सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले यह और भी दुःख का विषय है कि इस प्रकार की घटनायें आपातकाल में हो रही हैं । यह निश्चित बात है कि चौर्यानयन करने वालों का एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है और श्री वालकाट उस गिरोह में केवल एक सम्पर्क मात्र हैं ।

स्वर्ण नियंत्रण आदेश के उद्देश्य कहां तक सफल हुए हैं यह कोई छिपी हुई बात नहीं है । सोने के भाव बराबर चढ़ रहे हैं । सरकार गांवों के छोटे मोटे सुनारों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है परन्तु वालकाट जैसे अपराधियों और उसके सहयोगियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकती जो चोरी छिपे इस देश में आते हैं और चोरी छिपे यहां से चले जाते हैं । इस प्रकार की घटनाओं के लिये वित्त मंत्रालय, गृह-कार्य मंत्रालय, उत्पादन शुल्क कार्यालय, सीमा शुल्क कार्यालय, पुलिस और सुरक्षा अधिकारी उत्तरदायी हैं ।

एक प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि श्री वालकाट और उसके साथी किस तरह हवाई अड्डे पर पहुंच पाये और किस तरह वहां से पाकिस्तान जा पाये जब कि वहां पर आपका सुरक्षा स्टाफ मौजूद है और जब कि वहां पर हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जाती है ? इसके अतिरिक्त यह कौन कह सकता है कि अन्य उसी प्रकार के लोग यहां मौजूद नहीं हैं ?

मेरा स्वयं चौर्यानयन सम्बन्धी एक जांच से सम्बन्ध रहा है और मैं कह सकता हूं कि जितना चौर्यानयन देश में होता है उसका 10 या 20 प्रतिशत भाग ही हम रोक सकते हैं । श्री वालकाट की

[श्री नाथ पाई]

घटना हमें यह याद दिलाती है कि हमारे देश में क्या हो रहा ह। विदेशी मुद्रा बचाने की बातें व्यर्थ प्रतीत होती हैं चूंकि हम देखते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर बेरोक टोक चौर्यानयन हमारे देश में हो रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या एक नागरिक ने इस आशय की शिकायत की थी कि मुरूद और उसके आस पास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चोरी छिपे व्यापार हो रहा है और कि कुवैत से अरब लोग वहां पर आते हैं और सुसंगठित ढंग से व्यापार वहां करते हैं और कि वह लोग स्वयं ही इस तरह से चोरी छिपे व्यापार नहीं करते वरन् उस क्षेत्र में काम करने वाले उनके सहयोगी भी हैं? क्या यह भी सच है कि चौर्यानयन को रोकने के लिये सरकार ने जो अधिकारी वहां पर नियुक्त किये हुए हैं वही ऐसे लोगों के साथ मिले हुए हैं? इन सब बातों से यही सिद्ध होता है कि हवाई अड्डे पर अराजकता फैली हुई है ।

हवाई अड्डे पर एक अधिकारी को पता लगा कि श्री फिलबी और श्री मकलिस्टर के नाम हवाई जहाज द्वारा जाने वाले यात्रियों की सूची में नहीं थे। उन्होंने इस पर आपत्ति की। उसके बाद हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने उन दो व्यक्तियों के नाम सूची में रख दिये। उस अधिकारी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यही एक छोटा सा अधिकारी उन लोगों के साथ मिला हुआ था? और यदि यह बात ठीक है तो इस अधिकारी ने किस उद्देश्य से और किस लालच में आकर अपराधियों को सहयोग दिया? इन बातों की ओर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है चूंकि यह देश के सम्मान का प्रश्न है।

श्री वालकाट इस देश में आते हैं और यहां से चले जाते हैं। परन्तु मंत्री महोदय ने उन लोगों का मजाक उड़ाया जिन्होंने मेरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम कहानियां घड़ कर सुनाते हैं। श्री राज बहादुर और श्री नन्दा ईमानदार लोग हैं परन्तु जब इस विषय पर इस सभा में चर्चा हुई तो अन्धे बहुमत से इसका गला घोंट दिया गया? व्हिप जारी करके बहुमत के अन्तः-करण का खून किया जा सकता है और उनकी देशभक्ति की प्रेरणा का दमन किया जा सकता है . . . (**अन्तर्बाधायें**) । अध्यक्ष महोदय, मेरा हरेक शब्द सांवैधानिक दृष्टि से ठीक है। जो कुछ मैंने कहा यह भले ही किसी को अच्छा न लगे परन्तु यह सच्चाई है ।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल अच्छा न लगने की ही बात नहीं है। यह कहना ठीक नहीं है कि व्हिप जारी करके किसी के अन्तःकरण का दमन किया जा सकता है। लोकतन्त्र का यही तरीका है कि प्रत्येक दल किसी विषय पर विचार करके उसके प्रति एक निश्चित नीति बनाता है जिसके अनुसार सबको चलना होता है। इसीलिये सदस्य जारी किये गये व्हिप के अनुसार मत देते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करना किसी दल के लिये या लोकतंत्रात्मक पद्धति के लिये उचित नहीं है।

श्री रामनाथन चेट्टियार : एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने देशभक्ति का उल्लेख किया है। मेरा अनुरोध है कि उनके शब्द सभा की कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि वह शब्द कार्यवाही से निकाले जायें। मेरा टिप्पण और माननीय सदस्य के शब्द यों ही रिकार्ड में रहेंगे ।

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई अनुचित बात नहीं कही। कई कांग्रेस दल के सदस्य मेरे साथ सहमत थे और मेरा समर्थन कर रहे थे इसके बावजूद भी बहुमत के कारण उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसमें उनकी देशभक्ति पर कोई आक्षेप नहीं आता । * *

**अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि वह इन शब्दों को दोहरा रहे हैं इसलिये उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जायगा। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री डी० नाथ मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : यदि आप अन्य देशों की संसदीय कार्यवाहियों को देखें तो आपको इससे भी कटु भाषा मिलेगी ।

अध्यक्ष महोदय : हमारी अपनी परम्परायें हैं। हमें अन्य देशों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हेम बरुआ : श्री नाथपाई ने ठीक बात कही थी कि कांग्रेस दल के सदस्य विरोधी पक्ष वालों से सहमत थे परन्तु दल के अनुशासन के कारण उनकी देशभक्ति का गला घोंट दिया गया ।

श्री डी० नाथ मुकर्जी : संसदीय वाद-विवाद के दौरान व्हिप की इससे भी कटु शब्दों में आलोचना की जाती है। यदि आप रोक लगाते हैं तो हम काम नहीं कर सकेंगे ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : आप चूंकि भविष्य के लिये एक उदाहरण कायम कर रहे हैं इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप इन शब्दों को कार्यवाही से निकालने के आदेश पर पुनः विचार करें।

श्री कृपालानी (अमरोहा) : मंत्रियों ने और कांग्रेस दल के सदस्यों ने कई बार इस प्रकार के आरोप हम पर लगाये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : सारी बात को ठीक प्रसंग में देखना चाहिए। माननीय सदस्य ने कुछ टिप्पणी की। मैंने उस पर आपत्ति करते हुए कहा कि सदस्यों की देशभक्ति या अन्तःकरण पर इस प्रकार का प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। जब इन शब्दों को कार्यवाही से निकालने की मांग की गयी तो मैं उस पर सहमत नहीं हुआ। परन्तु मेरे ऐसा कहने के बावजूद माननीय सदस्य का खड़े होकर उन्हीं शब्दों को दोहराना अनुचित था (**अन्तर्बाधा**) ।

श्री नाथ पाई : यदि आप एक मिनट का समय दें तो मैं बता सकूंगा . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं पिछले रिकार्ड को देखूंगा। इस विषय में कोई आवेष नहीं होना चाहिए।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सभा में कई बार विरोधी पक्ष के सदस्यों पर देशभक्त न होने का आक्षेप लगाया गया परन्तु उनके शब्द कार्यवाही वृतान्त से नहीं निकाले गये। मेरा अनुरोध है कि यह शब्द कार्यवाही वृत्तान्त में रखे जायें, अन्यथा. . . (**अन्तर्बाधायें**)

श्री नाथ पाई : उनकी शंका को दूर करने के लिये मैंनें "दी ड्रैगिंग आफ दी कन्शेन्स" शब्द उद्धृत किये थे जिनका प्रयोग इसी सभा में किया गया था। मैंने कभी किसी पर आक्षेप नहीं किया। इसके बावजूद भी मेरे शब्दों को सभा की कार्यवाही से निकालना कहां तक उचित है इस बारे में न्याय आप को करना है चूंकि आप ही हमारे अधिकारों के रक्षक हैं। मैं आपके विनिर्णय को चुनौती न देते हुए केवल भविष्य के लिये जानना चाहता हूं कि मेरे शब्दों को सभा की कार्यवाही से क्यों निकाला गया। यदि मेरे इन शब्दों को कि वह लोग प्रस्ताव से सहमत होते हुए भी दल के अनुशासन के कारण इसका समर्थन न कर सके कार्यवाही से निकाल दिया जाता है तो इस विषय पर हुई चर्चा सारहीन हो जाती है। आप कृपया मुझे बतायें कि क्या मैंने किसी पर आक्षेप किया है ?

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : माननीय सदस्य को समझना चाहिए कि यदि हम विरोधी पक्ष का समर्थन करते हुए सरकार के विपक्ष में मत देते हैं तो सरकार को हट जाना होगा और हम नहीं चाहते कि इस मामूली सी बात पर सरकार हट जाय। जो भ्रष्टाचार आदि के बारे में सुझाव दिये गये हैं सरकार उन पर अच्छी तरह कार्यवाही कर सकती है। चूंकि हम सरकार के विरुद्ध मत नहीं देते केवल इसी कारण यह आरोप लगाना कि हम देशभक्त नहीं हैं और कि हमारे अन्तःकरण का दमन किया जा रहा है अनुचित बात है।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : यदि आप कार्यवाही वृत्तान्त को देखें तो कई बार हमें विशेषकर साम्यवादियों को देशद्रोही कहा गया है... (अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय: जब कभी ऐसी बात मेरे ध्यान में लाई गई मैंने दोषी सदस्य के ऐसे कथनों की निन्दा की है। और जब कभी अवसर पैदा हुआ मैं साम्यवादी दल के सदस्यों के पिक्ष में बोला हूं। इस मामले में माननीय सदस्य को महसूस करना चाहिए कि ज्यों ही उन शब्दों को कार्यवाही से निकालने के लिये मुझ से मांग की गयी मैंने वैसा करने से इंकार कर दिया। जब मैंने कहा दिया है कि मेरे शब्द और माननीय सदस्य की टिप्पणी रिकार्ड में रहेगी और उन्हें मैं कार्यवाही से नहीं निकालूंगा तो फिर इस पर कुछ कहने की क्या आवश्यकता थी। इसका अर्थ यही है कि वह उन शब्दों पर बल देना चाहते थे और जान बूझकर उन्हें दोहराना चाहते थे।

श्री नाथ पाई : जी नहीं। मेरा तात्पर्य यह नहीं था।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : अब माननीय सदस्य ने कह दिया है कि वह उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहते थे इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप अपने विनिर्णय पर पुनः विचार करें और उन शब्दों को, वैसे के वैसे ही रिकार्ड में जाने दें।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे अपने विनिर्णय को वापिस लेने पर मजबूर न करें। मैं रिकार्ड देखूंगा और फिर सदस्यों के साथ बैठ कर विचार किया जा सकता है।

श्री नाथ पाई : अब मैं यह समझूं कि यह शब्द कार्यवाही से निकाले नहीं गये और हम मिल कर इस बारे में बात करेंगे और फिर कोई निर्णय किया जायगा ?

अध्यक्ष महोदय : विनिर्णय मैं दे चुका हूं। परन्तु हम इस बारे में बात करेंगे।

श्री नाथ पाई : तब मैं इस वाद विवाद को निस्सार समझता हूं चूंकि यह लोकतन्त्र का उपहास है... (अन्तर्बाधायें)

इसक पश्चात् श्री नाथ पाई तथा विरोधी पक्ष के कई अन्य सदस्य सभा भवन से उठ कर चले आये।

(Shri Nath Pai and several other hon. Members of the opposition then left the House)

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मेरा अनुरोध है कि जब तक आप रिकार्ड देखें तब तक के लिये शब्दों को कार्यवाही से निकालने के विनिर्णय को स्थगित रखा जाय।

अध्यक्ष महोदय : विनिर्णय दे दिया गया है। यदि कोई गलती हुई हो तो मैं उसके परिणाम भुगतने के लिये तैयार हूं। यदि गलती हुई है तो मैं इस पद पर रहना नहीं चाहूंगा परन्तु मैं अपने विनिर्णय को वापिस नहीं लूंगा। मैंने उन्हें बताया है कि मैं उनके साथ बैठ कर विचार करने के लिये तैयार हूं परन्तु इस तरह मैं विनिर्णय को वापिस नहीं ल सकता। मैं उनके साथ इस बारे में विचार करने के लिये तैयार हूं परन्तु यह विनिर्णय गलत हो या सही इसे इस प्रकार वापिस नहीं लिया जा सकता।

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : चूंकि यह प्रस्ताव विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया था इसलिये यह बेहतर होगा कि जब वह उपस्थित हों तभी इस पर चर्चा की जाये।

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव–जारी
MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद): मुझे इस बात का आश्चर्य है कि श्री चटर्जी जैसे योग्य व्यक्ति ने इस प्रकार का निराधार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उन्होंने सभी परस्पर विरोधी तत्वों को अपने प्रस्ताव के आस पास जमा कर लिया है और बड़े सुन्दर वाक्य बोल बोल कर सरकार की आलोचना और निन्दा की जा रही है। मेरे विचार में प्रस्तुत प्रस्ताव में कोई संगति, औचित्य अथवा युक्तियुक्ता नहीं है। यह हर्ष की बात है कि स्वतन्त्र दल के लोग उनके जाल में नहीं फंसे हैं। श्री कृपलानी ने भी अप ने देशभक्ति की भावनाओं को व्यक्त किया है। स्वतन्त्र दल के प्रवक्ता ने हमें हमारी परम्पराओं को याद दिलाया है। हम अपनी परम्पराओं को पूरी तरह चला रहे हैं।

हमारा इतिहास उस समय से आरम्भ होता है, जबकि राष्ट्रपिता ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दी थी और कहा था, "यह सरकार शैतान का रूप धारण कर रही है और इसे समाप्त करेंगे। 1929 में श्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतन्त्रता की पताका फहरा कर स्वतन्त्रता प्राप्त करने की शपथ ली थी। जवाहरलाल जी ने लखनऊ कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की थी कि लोकतन्त्रीय समाजवाद हमारा लक्ष्य होगा। आज भी वर्तमान प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में भारत लोकतन्त्रीय समाजवाद की स्थापना करने का प्रयत्न कर रहा है। और यह स्पष्ट है कि इसे निश्चित रूप में इस रास्ते की सभी बाधाओं को दूर करना होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह बहुत बड़ा काम है। मेरा निवेदन है कि यदि हमारे अन्दर कोई कोई कमियां हैं तो हमें मिल बैठ कर उन पर विचार करना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं यह अनुरोध करूंगा कि प्रतिपक्षी दलों को भारत में लोकतन्त्रीय समाजवाद की स्थापना के लिए संयुक्त रूप से किये जा रहे सभी प्रयत्नों को विफल नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने भारत का जो चित्र प्रस्तुत किया है वास्तव में वह भारत का चित्र नहीं है। उन्हें देश को लोकतन्त्रीय समाजवाद की ओर ले जाने में सहायता करनी चाहिए।

श्री ओझा (सुरेन्द्र नगर) : मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं परन्तु इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले सदस्यों के हृदय में आज की विकट स्थिति के बारे में चिन्ता है उससे मेरा मत मिलता है। बल्कि मैं इसका भार अनुभव करता हूं, क्योंकि मैं सत्ताधारी दल का सदस्य हूं। इस पर भी मेरा यह निवेदन जरूर है कि विरोधी पक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदार है। और अपनी गैर जिम्मेदारी वे लोग सदन में ही व्यक्त नहीं कर रहे प्रत्युत सदन के बार भी कर रहे हैं। अपने सरकार विरोधी जोश में

वे लोकतन्त्र को भी हानि पहुंचाने का कारण बन रहे हैं। जिसके कारण से उन्हें ये अवसर उपलब्ध हुए हैं ।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
SHRI THIRUMALA RAO *in the chair*]

आज मैं यह अनुभव करता हूं कि हमें विरोधी दल की बहुत आवश्यकता है जो कि स्वस्थ ढंग अपना कर लोकतन्त्र की रक्षा करे। और यदि हो सके तो इस सरकार से जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ले। यदि ये विरोधी दल सरकार सम्भालने के योग्य होते तो यह अविश्वास का प्रस्ताव कदापि न लाते। ये दल देश की आर्थिक स्थिति का लाभ उठा कर अपने हितों को फायदा पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे विचार में हम इनकी चिन्ता न करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

खाद्य स्थिति और महंगाई का उल्लेख करते हुए, मेरा निवेदन यह है कि अब समय आ गया है कि सरकार लोगों को स्पष्ट रूप में बता दे, चाहे कुछ भी हो, हम अपने रास्ते आगे बढ़ कर अपने लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे जिस प्रकार बिना किसी विरोध की चिन्ता किये चर्चिल ने गत महायुद्ध को जीत कर दिखाया था ।

1907—11 वर्षों की अवधि में अनाज तथा तेल की कीमतों में 40 प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी। 1910 में मूल्यों की वृद्धि के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। वह समिति जिन निष्कर्षों पर पहुंची थी वही कारण वर्तमान खाद्य संकट तथा महंगाई के लिये जिम्मेदार है। हमारी जनसंख्या में उत्पादन की अपेक्षा अधिक वृद्धि, असामयिक वर्षा तथा खाद्य फसलों के स्थान पर अखाद्य फसलों का उगाया जाना और नई भूमि जिसमें खेती की जाने लगी है का अच्छा न होना 1910 के खाद्य संकट के लिये जिम्मेदार पाये गये थे और यही वर्तमान संकट के जन्मदाता भी हैं। स्वतन्त्र पार्टी का यह आरोप कि भूमि सुधार तथा पंचवर्षीय योजनाओं के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है निराधार है क्योंकि 1910 में भूमि सुधार तथा आयोजना जैसी कोई बातें नहीं थीं। जनसंख्या में हुई बहुत अधिक बढ़ोतरी के कारण हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देश में आज अनुशासन तथा मितव्ययिता की बहुत अधिक जरूरत है। खाद्यान्न के वितरण तथा उपयोग पर पूरा नियन्त्रण रखा जाना चाहिये। पांच लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में पूर्ण राशनिंग लागू किया जाना चाहिये और वहां पर अनाज के ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। विदेशी अनाज के स्टाक जमा करके हम हमेशा के लिये इस समस्या को हल नहीं कर सकते।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे यहां भ्रष्टाचार मौजूद है। प्रत्येक दल को इस बुराई को समाप्त करने के लिये अपना सहयोग देना चाहिये। परन्तु देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण यह अविश्वास प्रस्ताव लाना बड़ी विचित्र बात है। विरोधी दलों ने जनता तथा प्रेस की सहानुभूति प्राप्त करने की वजह से यह प्रस्ताव पेश किया है। परन्तु कई बार वे अपने स्वविवेक का प्रयोग करने में गलती कर बैठते हैं। कानून द्वारा ही भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता है। समाज से यह बुराई कम की जा सकती है परन्तु इसे पूर्णतया समाप्त करना एक असम्भव बात है। झूठ बोलना भी एक बुराई है। चूंकि कुछ लोग झूठ बोलते हैं तो क्या इस कारण सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? यदि भ्रष्टाचार का कोई मामला सरकार के ध्यान में लाया जाता है और सरकार उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो उस हालत में अविश्वास प्रस्ताव लाना उचित है। परन्तु

सरकार भ्रष्टाचार दूर करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है । भ्रष्टाचार केवल सरकारी विभागों में ही मौजूद नहीं है अपितु गैर सरकारी संस्थायें भी इससे बची हुई नहीं हैं ।

सरकारी सेवाओं में इस प्रकार का दृष्टिकोण बना हुआ है कि चूंकि अच्छा काम करने वाले की कोई सराहना नहीं की जाती है और न ही बुरा काम करने वाले को कोई दण्ड दिया जाता है इसलिये लोग अपने काम में रुचि नहीं लेते । जब तक अच्छे काम की सराहना नहीं की जायेगी और बुरे काम करने वाले को दण्ड नहीं दिया जायेगा तब तक हम प्रशासन में किसी भी प्रकार सुधार नहीं कर सकते हैं । इसके लिये यदि हमें संविधान में भी संशोधन करना पड़े तो हमें कोई आना कानी नहीं करनी चाहिये । विरोधी दलों को अविश्वास प्रस्ताव लाने की बजाय ऐसे विकट समय में सरकार का हाथ बटाना चाहिये था । आशा है कि भविष्य में वे अधिक युक्तियुक्त दृष्टिकोण अपनायेंगे ।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : यह अविश्वास प्रस्ताव किसी विशेष मंत्री के विरुद्ध नहीं है अपितु यह सरकारी नीतियों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के उद्देश्य से लाया गया है। यह एक तथ्य है कि कांग्रेस के 17 वर्षों के शासन में देश के सामान्य नागरिक का आर्थिक राजनीतिक तथा नैतिक दृष्टि से पतन ही हुआ है। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने भी एक बार कुछ इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के 12 वर्षों के शासन में थोड़े से धनीमानी लोग इतना अधिक पैसा बटोरने में समर्थ हो गये हैं जितना कि वे ब्रिटिश शासन के 100 वर्षों में भी नहीं बटोर पाते । क्या कांग्रेस सरकार इसी प्रकार का समाजवाद लाना चाहती है? वर्तमान संकट से गंभीर संकट अभी तक देखने में नहीं आया है। आज हालत यह है कि लोग पैसे होते हुए भी अनाज नहीं खरीद सकते हैं। देश में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जनसाधारण इतनी महंगी चीजें नहीं खरीद सकते और उनकी आय में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। सरकार में अविश्वास इस सभा तक ही सीमित नहीं है अपितु जनता भी सरकार में विश्वास खो बैठी है।

देश में राजनीतिक जागृति उत्पन्न नहीं की गई है। यहां तक कि अभी तक हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में अपनाया नहीं जा सका है। विदेशों में जाने वाले अधिकारियों के लिये एक राष्ट्रीय वर्दी निर्धारित की हुई है। परन्तु क्या मंत्रीगण इस नियम का पालन करते हैं। कांग्रेस के सदस्यों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि विरोधी दलों में मतभेद है इसलिये उन्हें शासक दल में विद्यमान मतभेदों के प्रति आपत्ति नहीं करनी चाहिये। यदि शासक दल में अनुशासन की कमी होगी और आपसी मतभेद होंगे तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे और प्रशासन चल नहीं सकेगा।

क्या सरकार देश में लोकतंत्री समाजवाद लाने के अपने नारे का वास्तव में पालन कर रही है? क्या राज्य सभा इस लिये ही उत्पन्न की गई थी कि बिना निर्वाचन लड़े किसी भी व्यक्ति को मंत्रि-परिषद् का सदस्य नियुक्त किया जा सके? लोक-सभा तथा जनता के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की इस प्रकार नियुक्ति करना लोकतंत्री समाजवाद के सर्वथा विपरीत है। कांग्रेस के सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के लाये जाने के विरोध में निरर्थक तर्क उपस्थित किये हैं। श्री मुरारका ने कहा है कि स्वतंत्र पार्टी ने इस सरकार का इसलिये समर्थन किया है कि कांग्रेस सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो गैर-सरकारी क्षेत्र को संतुष्ट

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

कर सकी है। तो क्या वे इस प्रकार के भाषण से मिल मालिकों की ओर से वकालत कर रहे थे? विरोधी पार्टियों में फूट का तर्क भी उपस्थित किया गया है। कांग्रेस पार्टी अपने लोकप्रिय होने का दावा करती है परन्तु बिहार में स्वतंत्र पार्टी के 50 सदस्यों को, जिन्हें वह अब तक कट्टर सम्प्रदायवादी तथा निहित स्वार्थों के प्रतिनिधि कहते रहे हैं, कांग्रेस में शामिल करने के प्रश्न पर कांग्रेस हाई कमान द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। मैं यह समाचारपत्रों में छपे समाचार के आधार पर कह रहा हूं।

यह एक तथ्य है कि जनसाधारण को कोई राहत नहीं पहुंचाई गई है और वे महंगाई के कारण पिसे जा रहे हैं। देश में फैले असंतोष को प्रकट करने का इस अविश्वास प्रस्ताव के अतिरिक्त हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हालांकि हमें पता है कि कांग्रेस के बहुमत के कारण इसे अस्वीकार किर दिया जायेगा। भ्रष्टाचार लोगों के जीवन का अंग बन गया है क्योंकि इसके बिना वे अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। श्री नन्दा भ्रष्टाचार समाप्त करने की दिशा में जो प्रयत्न कर रहे हैं हम उनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। इसके विपरीत कांग्रेस हाई कमान के सदस्यों ने ही उनके प्रयत्नों की आलोचना की है। यदि विभिन्न राज्यों में शासक दल के सदस्यों में वर्तमान मतभेद जारी रहे तो कांग्रेस को जल्दी ही देश की सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा।

Shri C. L. Chaudhry (Mahua) : The present no-confidence motion is totally mis conceived and inopportune. The opposition should have rather cooperated with the Government to provide relief to the needy and poor persons. In 1942, Bengal was in the grip of a famine. But my friends of the oppositions did nothing to relive the famine stricken people of their misery. On the other hand the Congressmen, who were then in jails on account of the independence movement of 1942, contributed their might and went on fast to spare food for the starving people. The Communists claim to champion the cause of the down trodden people of the country in this House but actually when we see them operating in the country, we find that these very people exploit the poor people. The Communists and the other opposition parties hire people to take out a procession against the Government time and again and thereby exploit them. I am saying all these things on the basis of my personal experience.

I can say with authority that it is only the congress Government which can deliver the goods to the people of this country. The present Government headed by Shri Lal Bahadur Shastri has the full confidence of the people with it. Shri Lal Bahadur Shastri like the late Shri Jawaharlal Nehru feels the pulse of the people. That is why the late Prime Minister had been grooming him for the Prime Ministership of the country whenever the need arose.

We are in the grip of a fight between the rich and the poor going on in this country. There is no doubt that the poor will come out victorious one day. The opposition parties should therefore desist from such acts which weaken the hands of the Government and lend it their full cooperation in solving the problems at present facing the country by giving constructive suggestions. We believe in solving our dipsputes and particularly our border disputes with hostile countries by pursuing peaceful means, but not at the cost of our principles and the honour of this great country. We shall keep the honour of the country in any eventuality. No part of our country is in the grip of famine at pre-

sent, as has been alleged by the opposition members. The people have enough money even for a filmshow as is evident from the long queues in front of the cinema houses.

Criticisms have been made that the Congress party is receiving into its fold members belonging to parties having divergent views such as the Jan Sangh and Swantantra. But, the opposition should realise that the congress is above petty considerations and if it has the sanction of the public, it is prepared to take such people into its fold who have changed their old ideology and have declared their full faith in Congress ideologies and its fight against poverty.

It is generally said that we do not want to do anything solid and we want to keep our country devided among communal parties of the country. But it is not a fact. We respect all the religions of the world. It has been remarked by somebody that Shastri cabinet cannot function well. But the steps taken by this cabinet in general and by Shri Nanda in particular with the sole purpose of eradicating corruption are tangible proofs of their competence.

श्री फ० गो० मेनन (मुकन्दपुरा) : मेरे विचार में अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल निराधार है। इसे प्रस्तुत करने वालों की भी इसमें रुचि और गंभीरता दिखाई नहीं देती क्योंकि वे इस पर वाद-विवाद के दौरान तथा सरकार का उत्तर सुनने के लिये सभा में उपस्थित नहीं हैं। अविश्वास प्रस्ताव का राजनैतिक क्षेत्र और विधानमंडल विशेष के लिये बहुत महत्व होता है। हम यह भी मानते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन के लिये विरोधी पक्ष का होना बहुत जरूरी है।

स्वतंत्र दल के सदस्य श्री दांडेकर ने यह कहा कि वह अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहे हैं। परन्तु वास्तव में उन्हें सरकार के खिलाफ जो कुछ कहना था उन्होंने कहा। विरोधी दलों के सदस्य यह जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होगा और वह कहते हैं कि वह इसके पक्ष में मत देंगे। मैं समझता हूं कि इससे कोई लाभ नहीं होता। कई विरोधी दल हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं परन्तु किसी बात में एक की राय दूसरे से नहीं मिलती। स्वतन्त्र दल का यह कहना है कि गत 15 वर्षों में संविधान में अनेकों संशोधन कर दिये गये हैं। किन्तु में पूछता हूं कि क्या अन्य विरोधी दल भी इस बात का समर्थन करते हैं? मेरे विचार में तो संविधान में संशोधन करना भी हमारा कर्त्तव्य है जबकि हम देखते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों का उस समय अनुमान नहीं लगाया जा सकता था जब संविधान की रचना की गई।

स्वतंत्र दल को हमारे सरकारी उपक्रमों के बारे में विशेष शिकायत मालूम पड़ती है। श्री दांडेकर ने कहा कि यदि गैर-सरकारी क्षेत्र में सरकार ने अपना हस्तक्षेप बढ़ाया तो वह सरकार का बहुत कड़ा विरोध करेंगे। एक सदस्य ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगपतियों ने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है। दोनों बातों में कोई तालमेल दिखाई नहीं देता। वास्तव में देखा जाये तो भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र का अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्योग को सरकार की सहायता प्राप्त है और वह नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अधीन कार्य करता है।

श्री दांडेकर ने कहा कि संसार के प्रत्येक देश में जो भी उन्नति हुई है उसका श्रेय केवल गैर-सरकारी क्षेत्र को ही प्राप्त है। इतिहास को देखते हुए उनका कहना सही है क्योंकि अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान आदि देशों में गैर-सरकारी क्षेत्र के कारण ही उद्योगों

[श्री फ० भो० मेनन]

का विकास हुआ। परन्तु उनको यह बात याद रखनी चाहिये कि वहां के उद्योगपति विदेशी मुद्रा और विदेशी सहयोग कार्यक्रमों तथा अनेकों प्रकार के संरक्षणों के लिये सरकार के पीछे नहीं भागते थे।

सरकारी क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी-विनियोजन इस्पात उद्योग में हुआ है। चित्तरंजन में प्रत्येक वर्ष एक हजार से अधिक रेलवे इजन बनते हैं। क्या आप चाहते हैं कि यह उत्पादन बन्द कर दिया जाये? भ्रष्टाचार के बारे में बड़ा बावेला मचाया गया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि पिछले 10 या 15 वर्षों में देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। इतना जरूर है कि लोगों में जागृति पैदा हो गई है और वह भ्रष्टाचार को महसूस करने लगे हैं। यह जागृति कांग्रेस सरकार ने ही पैदा की है और वह भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भी प्रयत्न कर रही है। प्रो० मुकर्जी ने केरल की स्थिति का उल्लेख किया। केरल के बारे में मुझे कोई असाधारण बात दिखाई नहीं देती। वहां के कांग्रेस दल के कुछ सदस्य विरोधी दल में शामिल हो गए और कांग्रेस का बहुमत नहीं रहा। ऐसी स्थिति किसी भी राज्य में उत्पन्न हो सकती है। मुख्य मंत्री पर लगाए गए आरोप निराधार सिद्ध हो चुके हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री बरूआ (मुर्शिदाबाद): मैंने जानबूझ कर अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। इसका मुख्य कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि जो नया मंत्रिमंडल बना है उसे प्रशासन की गंभीर समस्याओं को हल करने का मौका दिया जाना चाहिये। दूसरे यह कि विभिन्न विचारधाराओं वाले दल देश में वैकल्पिक शासन स्थापित करने की सामर्थ्य नहीं रखते। इसके अतिरिक्त एक यह भी कारण है कि देश में रहने वाले मुसलमान और करोड़ों अन्य लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य में ही विश्वास नहीं रखते। मैं यह नहीं भूल सकता कि भारत के भाग्य-निर्माण में कांग्रेस ने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया। परन्तु प्रशासन में विद्यमान त्रुटियां भी किसी से छिपी हुई नहीं हैं। शासन की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि वह देश की खाद्य समस्या को हल करने में असमर्थ रहा है।

मैं औद्योगिक प्रगति का विरोधी नहीं हूं। परन्तु मैं देश की योजनायें बनाने वालों की यह बहुत भारी गलती समझता हूं कि उन्होंने दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग को कृषि से अधिक महत्व दिया। धान पैदा करने वाली कई एकड़ जमीन केवल डालर कमाने के लिये पटसन की उपज के लिये प्रयोग में ले ली गई और अनेकों ऐसी गलतियां की गई जिनके कारण खाद्य स्थिति बिगड़ती ही चली गई। प्रशासन ने अनुचित संग्रह करने वालों और चोर बाजारी करने वालों के खिलाफ़ कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जिसके फलस्वरूप अनाज की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि साधारण व्यक्ति उसे खरीदने में कठिनाई अनुभव करते हैं। लाखों मन अनाज विदेशों से आयात किया गया। देश में भी 35 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा, फिर भी खाद्य स्थिति इतनी बिगड़ गई। इसकी जिम्मेदारी केवल शासन पर है।

मुझे खुशी है कि वर्तमान खाद्य मंत्री ने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं। विभिन्न सरकारों को खाद्यान्नों के अधिकतम मूल्य निश्चित करने के लिये कहा है तथा ऐसे ही कुछ अन्य

उपाय किये गये हैं। यदि इनका कड़ाई से पालन कराया जाये तो स्थिति में बहुत सुधार हो सकता है।

फिर आय की समानता का प्रश्न आता है। देश की अधिकांश जनता मुश्किल से अपना पेट भर पाती है जब कि एक वर्ग ऐसा भी है जो ऐश आराम का जीवन गुजार रहा है। भ्रष्टाचार के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। भ्रष्टाचार ने हमारे प्रशासन और राज्य को खोखला कर दिया है। कैरों के मामले में उच्चतम न्यायालय और दास आयोग द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से वह पर्दा हट चुका है जिससे यह घृणित चित्र अभी तक छिपा हुआ था।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए
Shri Khadilkar *in the Chair*]

सभापति महोदय, शासन करने का अधिकार उन्हीं व्यक्तियों को होना चाहिये जो सदाचारी और सच्चरित्र हों। मैं किसी विशेष प्रकार के शासन का समर्थक नहीं हूं वरन् केवल इतना ही चाहता हूं कि शासन ईमानदार और न्यायप्रिय हों। रविवार को आचार्य कृपालानी के सभापतित्व में दोनों सभाओं के सदस्यों की एक बैठक हुई थी जिसमें एक भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा बनाया गया। मैं गृह मंत्री को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार निवारण के संबंध में हम उनको पूरा-पूरा सहयोग देंगे।

जहां तक भारत और पाकिस्तान की बीच अच्छे संबंधों का प्रश्न है, हम मुसलमान लोग यह चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी विवाद चल रहे हैं उन्हें निपटा लिया जाये। चीन के विरोध के लिये भी यह आवश्यक है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रहें। साम्प्रदायिकता की भावना निन्दनीय है। प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो, का यह कर्त्तव्य है कि वह देश के हित के लिये शासन के साथ सहयोग करें। अंत में मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस शासन को स्थिति सुधारने का पूरा-पूरा प्रयत्न करना चाहिये अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा।

Shri J. P. Jyotishi: Mr. Chairman, I admit that the Opposition has a right to bring a Motion of No-confidence against the Government but under the present conditions it would do no good to the country. It is not going to be of any help in solving the country's problems. I was sorry to hear the remarks of Acharya Kripalani about the Sadachar Samiti. It is not proper to ridicule the idea of forming such a committee. I think that the idea behind its formation is very noble *i.e.* moral uplift of the country. Instead of condemning the move he should have supported it.

It was said that our party lacks unity. I admit that there are some difference but we are trying to patch them up and we have been successful to a great extent. The unanimous election of a new leader after the death of Shri Nehru is clear proof of it. Our party is quite conscious of its responsibilities. Whenever there are any complaints of maladministration they are properly enquired into and steps are taken to correct the mistakes. The action taken on the report of Dass Commission deserves all praise.

[Shri J. P. Jyotishi]

It is also said that our foreign policy has been an utter failure. It is wrong to suggest that we want to conclude an agreement with Pakistan at the cost of our self-respect. Similar is the case with regard to China. We do not want to fight with any country but at the same time we are not going to tolerate any insults. We are quite conscious of the dignity of our country and I would like the Opposition to shed all doubts in this regard.

As regards the food crisis, it is correct that we have not yet been able to solve it but it is wrong to say that we have not done anything. The steps taken to raise food production with our limited sources are quite well known. If the targets could not be achieved, it is due to natural calamities over which we have little control. We also want that we should import less foodgrains but we are helpless when our crops fail due to one reason or the other.

In the end I would say that this motion is inopportune. We should strengthen the hands of our Government which is heading towards socialism. Our speed may be slow but our intentions are good and firm. This motion cannot in any way solve our problems.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Shastri Government is worse than Nehru Government but the responsibility lies more on circumstances than on Mr. Shastri. Nehru Government would have not evaded the elections as obviously as has been done in the case of three Ministers appointed recently who had to gain admittance to Parliament, some way or the other. Still the Congress Members boast of their successive victories in elections. They offer permit and quotas to their election agents in their constituencies, arrange scholarships for their childern and gratify them in every possible manner but persons like myself cannot make any false or true promises to our constituencies and I have great regard for the residents of Farrukhabad who elected me without hearing any such assurances from me. I sometimes feel pained that Government would not provide the much needed bridge in Farrukhabad which can cut down a distance and save 10—12 hours for our forces to be moved for meeting the chinese aggressors and would also save lot of expenditure. On the other hand a lot of expenditure has been incurred on remodelling the Railway Station at Allahabad which could last another 50 years, simply because the member representing that Constituency has say in matters and it is his method of pleasing his constituents.

This Government has been knowingly sowing the seeds of disension by creating disparities at each level. At the same time it has been exploiting the masses. I donot deny that even the opposition parties are also suffering from various shortcomings. That is the main cause of their remaining out of power.

It is my considered opinion that Government should put a limit of Rs. 1000 on personal expenditure. This step would help us in mobilising our capital resources which can be invested in agriculture and industry and our national income will rise 10% per annum instead of 2%. The employment opportunities for backward classes should be raised to 60%. Use of English should be abandoned forthwith. You may pass any number of legislations but the fact remains that the continuance of English after January, 1965 is contravention of the Constitution.

Regarding the foreign policy I have to suggest that our Government should make the best efforts to bring U.S.A. and U.S.S.R. nearer to each other with the sole purpose of eradicating poverty from the face of the earth. Socia-

listic Pattern of Society will not be set up merely by delivering speeches but by practical and concrete steps. Our efforts should be directed mainly towards increasing the production ; for the present even the principles of equality can be put in abeyance. But, alas, the opposition parties could not unite themselves in launching a peaceful agitation with the purpose that fine grains should be sold at 50 Paisa per kilo and coarse grain at 37 Paisa per kilo. No party was going to lose her principles on that account. It was something on which every parties with completly diverse views could join hands. We should build a strong opposition as much as that it should consist of 225 members as opposed to 275 Members in the ruling party. Only then these scarcities and shortages could be removed. The Minister of Food & Agriculture has himself enumerated the scarcity areas and also stated that India would continue to remain in the grip of famine for years to come and the only solution he finds to that is increase in the price of foodgrains and larger projects to the cultivators. Higher prices of foodgrains cannot be a source of consolation to 35 crores of population whose average income is a few annas a day. But in my opinion the tangible results can be achieved only by better and improved methods of cultivation.

In Bengal the price of rice was increased and some persons were arrested but can anybody tell where is that rice which vanished from the markets of Bengal ? On inquiry you would find that not only traders but also the politicians have also hoarded huge stocks of rice. This Government speciaclises not only in creating famine conditions but also in breeding corruption and spreading falsehoods. The continuation of state of emergency is nothing but a falsehood. On many a time the Prime Minister and the Government spokesmen have declared that there is no immediate danger of Chinese aggression at present but on the other hand they are continuing the State of emergency taking advantage of which hundreds of workers of Heavy Engineering Plant, Bhopal have been put behind the bars for the last so many months.iKota traders have been arrested only because they expressed their feelings through a pamphalet against the attrocities perpetrated by the administration. Such arrests should be resented and opposed by opposition parties as emphatically as it is done in the case of workers and labourers.

Our Prime Minister has repeatedly said that India will not make any settlement with China at the cost of its honour why does he not say at the cost of its territory. Our Government lacks ability to take quick decisions. Among the Congress members in both the Houses of Parliament there must be more than hundred persons who possess property worth more than one lakh rupees. Huge amounts of loans awarded to them have been written off. There are some rich persons in opposition groups too whose privy purses should be discontinued, since shri Lal Bahadur Shastri has not given the word of honour as our late Prime Minister had. I had written to him in this connection but unfortunately he did not chose to reply. It is something very strange that instead of the house in which Shri Nehru was born his official residence worth four crores of rupees is being declared a national memorial.

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : हम पहले से ही जानते हैं कि सरकार की छोटी-मोटी त्रुटि को विरोधी दल बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहेंगे । और यह अविश्वास प्रस्ताव इसी बात को साबित करता है । हम यह बुरी बात नहीं समझते कि विरोधी दल हमारी आलोचना करें । खाद्य के इस अल्पकालिक तथा अस्थायी संकट का सहारा लेकर यह अविश्वास प्रस्ताव इसलिये कुछ जल्दी में लाया गया कि कुछ मास के पश्चात् खाद्य स्थिति

[श्री नन्दा]

सुधर जायेगी और इसके अतिरिक्त इनके पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिये कोई ठोस मामला नहीं रहेगा । मुझ पूर्ण विश्वास है कि खाद्य स्थिति कुछ एक महीने में सुधर जायेगी । डा० लोहिया ऐसी बातें कहें इसका मुझे आश्चर्य नहीं परन्तु आचार्य कृपालानी से ऐसी बातें सुन कर वास्तव में मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि वह गांधी जी की विचारधारा के समर्थक थे जिसमें इस बात पर जोर दिया जाता था कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर न कहा जाये परन्तु इन्होंने इसका अनुकरण नहीं किया ।

उनका कहना सही नहीं है कि गत सत्तरह वर्ष व्यर्थ चले गये और उनमें कोई लाभप्रद कार्य नहीं किया गया । इसके प्रमाण में मैं आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं जिनसे यह पता चलेगा कि विभिन्न क्षेत्रों में देश ने किस कदर उन्नति की है । दोनों योजनाओं के दौरान उद्योगों में 95 प्रतिशत वृद्धि हुई । सिंचाई, शिक्षा, उद्योग अनेकों क्षेत्रों में काफ़ी उन्नति हुई है । उदाहरणतः प्रथम योजना काल में इंजीनियरिंग कालेजों में 10,000 छात्र दाखिल हुए जब कि दूसरी योजना के अन्त में यह संख्या बढ़ कर 40,000 हो गई । देश में भारी मशीनों के उत्पादन और बुनियादी उद्योगों में काफी वृद्धि हुई है । वास्तव में देखा जाये तो प्रगति की नींव रख दी गई है जिसका फल हमें इस समय दिखाई नहीं देता और वह स्वयं भी दिखाई नहीं देती परन्तु इस पर एक विशाल ढांचा बनेगा जो सम्भव है देश की आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिये पर्याप्त न हो परन्तु उसे पर्याप्त बनाने का पूर्ण यत्न किया जायेगा और उसमें जो बाधायें आयेंगी उन्हें हटा दिया जायेगा ।

विरोधी दलों के सदस्यों ने मुख्यतः खाद्य स्थिति की ही आलोचना की है हालांकि खाद्य स्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा हो चुकी है । श्री हीरेन मुकर्जी ने कांग्रेस बहुमत पर भी चोट की है परन्तु यह बहुमत तीन सामान्य निर्वाचणों में देश की जनता की राय के आधार पर ही तो स्थापित किया गया है । अविश्वास प्रस्ताव कुछ गम्भीरता से पेश किया जाया करता है और उसका सही अर्थ यह होता है कि प्रस्ताव करने वालों की यह धारणा होती है कि वर्तमान सरकार की तुलना में वे देश को बेहतर शासन और बेहतर सरकार उपलब्ध कर सकते हैं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

विरोधी दल जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया ये दल क्या है ? उदाहरण के लिए साम्यवादियों को लीजिये । इसका क्या कारण है कि वे इस देश को अपनी पूरी वफादारी के योग्य नहीं समझते ? कुछ दृश्य और अदृश्य बन्धन है जो उन्हें बाहर कुछ स्थानों के प्रति आकर्षित रखते हैं । अतः देश इन लोगों पर कभी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि इन हाथों स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहेगी । इनमें दो पक्ष बन गये हैं, अर्थात् दक्षिण पक्षी व वाम पक्षी । वामपक्षियों का तो इस देश से कोई संबंध है ही नहीं । रही बात दक्षिणपक्षियों की, मेरा उनसे कहना है कि वह अपना समाजवाद जरा भी न छोड़ें बल्कि देश से बाहर वालों के साथ अपने संबंध तोड़ने पर ज़ोर दें । और देश के लोकतंत्रवाद में मिल जायें ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मुझ पर देशवाह्य-आस्था का प्रयोग किया जाता है । यदि इसका अर्थ यह है कि हममें से कुछ लोग अपनी वफादारी देश से बाहर किसी अन्य के साथ रखते हैं, तो यह बकवास है । साम्यवादी आन्दोलन एक विचारधारा का अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन है जैसा कि लोकतंत्रवाद का आन्दोलन है । इसमें देशवाह्य आस्था रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री नन्दा: जहां तक संयुक्त समाजवादी दल का संबंध है, वह भारतीय राजनीति में अस्थिरता की प्रतीक है । अन्य दल इस देश की आ ांक्षाओं के अनुकूल नहीं है । इनके बारे में मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है । यहां स्वतंत्र दल के सदस्यों की उपस्थिति हमारा अपूर्ण कार्य है । श्री मसानी के भा षण के समय मैं यहां नहीं था । उन्होंने हमारे लिए और विशेषकर मेरे लिए कुछ बहुत ही चुने हुए वाक्यांशों का प्रयोग किया था, जैसे 'पुराने प्रतिरक्षक', 'दोषी व्यक्ति' आदि । मैं इस 'पाप' से बचने के लिए प्रार्थना नहीं करता । जहां तक इस देश में राजनीतिक ढांचे का संबंध है, सभी राजनीतिक दल किसी नकारात्मक कार्य के लिए एक हो सकते हैं । उन्हें एक दूसरे में विश्वास नहीं है । इस प्रकार के जो भी करते हैं, उनका देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि एक का प्रभाव दूसरे के कार्य से रद्द हो जायेगा ।

अतः मैं सदस्यगणों से शान्त रहने का निवेदन करता हूं क्योंकि कांग्रेस काफी समय तक देश में लोकतंत्रवाद और स्थिरता का प्रतीक बनी रहेगी । केवल कांग्रेस ही देश को गड़बड़ी से बचा सकती है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : I want disorder in the country.

श्री नन्दा : जिन व्यक्तियों को जीवन में कोई आकर्षण नहीं रहा है, और जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा छोड़े जाने के कारण, निराश हो गये हैं, वे ही ऐसा कह सकते हैं । मैं सामने बैठ हुए माननीय मित्र से पूछता हूं कि क्या वह वास्तव में समूचे देश को विनाश के गर्त में ले जाने के लिए गड़बड़ चाहते हैं । यदि गड़बड़ होती है, तो कई वर्षों तक शान्ति नहीं होगी, स्वतंत्रता नहीं होगी और ऐसी स्थिति में पड़े देश में कोई प्रगति नहीं होगी । अतः हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए ।

खाद्य स्थिति पर कई घन्टे चर्चा होन पर भी, इसे फिर बड़ा महत्व दिया गया है । खाद्य तथा कृषि मंत्री ने इसका बड़ा ही सराहनीय वर्णन किया है । उन्होंने विश्वास प्रकट किया है कि स्थिति को सुधारने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । हमें उनका विश्वास करना चाहिए । उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट ब्यान दिया और इससे हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए हालत हमारे काबू में है ।

कृषि उत्पादन के बारे में जानकारी रखने वाले सदस्यों को पता होगा कि कृषि की पैदावार पर प्राकृतिक स्थितियों का अत्यन्त प्रभाव पड़ता है । हालांकि पिछले दिनों में हमारी पैदावार में औसत रूप में 4 प्रतिशत की वृद्धि होती रही है । परन्तु इस बार हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ा है । स्पष्ट है कि कुछ ऐसे कारण थे जो हमारे काबू से बाहर थे । राष्ट्र जन ही आगे बढ़ता है जबकि वह आपात का दृढ़ता से डटकर सामना करता है । मुझे विश्वास है कि हमारा देश इस स्तिथि का सामना करने में सफल रहेगा ।

[श्री नन्दा]

वतमान सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वह स्वर्गीय प्रधान मंत्री की नीतियों का त्याग कर रही है । यह धारणा गलत है । मैं विश्वास से कह सकता हूं कि जो भी किया जा रहा है, वह स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुमूल्य विरासत का पालन करने के लिए किया जा रहा है । यह उनकी अपनी नीति न होकर राष्ट्र की नीति है और इस देश के लिए इसके अलावा और कोई नीति हो ही नहीं सकती । यह बात देश के घरेलू और वैदेशिक मामलों पर लागू होती है । हां, उनके बारे में एक बात कही जा सकती है कि वह व्यावहारिक व्यक्ति थे। वह सदैव ही यह जानने की कोशिश करते थे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता । दूसरी पंच वर्षीय योजना संबंधी संकल्प पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारा उदेश्य समाजवादी ढंग का समाज बनाना है । फिर व्यक्ति को यह भी याद रखना चाहिए कि उन्नतिशील समाज का मूल कार्य यह है कि धन का अधिक उत्पादन किया जाये। अन्यथा वह कम हो जायेगा और आपके पास बांटने के लिए कुछ नहीं रहेगा ।

कभी कभी डा० लोहिया अच्छीं व तर्क संगत बात कहते हैं। खाद्य स्थित पर चर्चा के बीच उन्होंने कहा था कि इस समय समाजवादी वितरण की नहीं अपितु समाजवादी उत्पादन की आवश्यकता है । हां, इस समय इसी बात का ध्यान रखना है । इस संबंध में भी स्वतंत्र दल का दृष्टिकोण बड़ा ही अनोखा है । वे भारी उद्योगों और सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध हैं । वे गरीबी की बात करते हैं, परन्तु क्या वे योजनाओं से होने वाले विकास की सहायता के बिना इसे दूर कर सकते हैं । फिर, प्रतिरक्षा की आवश्यकता हैं और वे उद्योगों के विकास से ही पूरी हो सकती हैं। यदि आधुनिक तकनीकों से लाभ उठाना है, तो मशीनें प्राप्त करनी होगी । अतः हमें देश में मशीन बनाने की क्षमता पैदा करनी है ।

संकट की स्थिति हुई तो प्रतिरक्षा की आवश्यकतायें सामने आई । इसके लिए भारी व्यय और भौतिक साधनों की आवश्यकता हुई । और सब करना पड़ा देश की एकता, स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए । फिर, इन सबके लिए मूल्य देना पड़ा । घाटे की अर्थ-व्यवस्था को देखते हुए यह राशि बहुत बड़ी है और इसके लिए भारतवासियों कों इसका फल भुगतना पड़ा ।

यदा-कदा सदाचार की बात कही जाती है । मैं आपसे और सभा से निवेदन करता हूं कि बातों को बढ़ाना या घटाना नहीं चाहिए । परन्तु हमें स्थिति का सामना करना चाहिए । मैं दूसरे देशों से मुकाबला नहीं करता । ज़रा सा भी भ्रष्टाचार हमारे लिए बुरा है । इससे हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बाधा पड़ती है । इससे स्थिरता और राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है । माननीय सदस्य चाहते हैं कि सदाचार समिति के बारे में कुछ कहा जाये । सर्व प्रथम, मैं यह दावा नहीं करता कि मैं भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन का प्रारम्भकर्ता हूं । इसे आरम्भ करने का श्रेय प्रधान मंत्री का है।

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, I want to put a question.

Mr. Speaker : Let him finish his speech first, then I shall allow you to put the questions.

श्री नन्दा : पहले भी इस समस्या को हल करने के लिए कार्यवाही की गयी थी। 1947 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पास किया गया और 1955 में प्रशासी सतर्कता डिवीजन बनाया गया । इसके अतिरिक्त विशेष पुलिस संस्थान है । 1962 से 1964 तक की अवधि में सरकार ने प्रशासन में उच्चतम साधुता लाने के लिए चारों ओर से प्रयास करना आरम्भ किया । अन्य किसी समय इतना प्रयास नहीं किया ।

सन्थानम समिति की अधिकतर सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं। विस्तृत शक्तियों वाला केन्द्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया है । आयोग को अधिकार है कि वह किसी भी ऐसे मामले की जांच करे जिसमें किसी सरकारी नौकर पर अनुचित कार्य के बारे में सन्देह किया जाये । अन्य कार्यवाही भी की गयी है । मेरा विश्वास है कि कम से कम आधी बुराई प्रशासी सुधार से दूर की जा सकती है । आयोग की सिफारिश पर सरकारी नौकर आचरण नियमों और अनुशासन तथा अपील नियमों की जांच हो रही है, भ्रष्टाचार संबंधी नियम तथा प्रक्रिया में पर्याप्त संशोधन किया जा रहा है और इस आशय का विधेयक इसी अधिवेशन में पेश किया जा रहा है । केन्द्रीय जांच विभाग बढ़ा दिया गया है । इसके ठोस परिणामों के बारे में एक संख्या देना चाहता हूं । 1963 में विशेष पुलिस संस्थान ने रिश्वत, भ्रष्टाचार, गबन तथा बेईमानी के 1356 मामलों में कार्यवाही की । मैं समझता हूं न्यायालयों में जाकर जिन मामलों में दोष सिद्धि प्राप्त हुई है उनकी संख्या काफी सन्तोषजनक है । फिर उच्च पदाधिकारियों संबंधी सिफारिशों पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया गया है और मैं तत्काल इसका ब्यौरा नहीं बता सकता । मंत्रियों के लिए आचरण संहिता बना ली गयी है । इसके अनुसार आस्तियों का ब्यौरा देना होगा । सिफारिश की गयी है कि यदि 10 सदस्य आरोप लगाते हैं तो कार्यवाही की जानी चाहिये । परन्तु हम कहते हैं कि हम 10 सदस्य होने का भी इन्तजार क्यों करें? जैसे ही हमें कोई बात पता लगती है, हम उस पर कार्यवाही करेंगे । परतु एक बात का ध्यान रखना होगा, कि यदि आरोप किसी द्वेषवश लगाया जाता है या निराधार होता है, तो इसके बारे में भी कुछ किया जाना चाहिये ।

श्री मुकर्जी ने कहा था कि मेरे साथी भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन को पूरा सहयोग नहीं दे रहे हैं । यह स्वतंत्र देश है और स्वतंत्र दल है । कभी आपस में मतभेद हो सकता है, परन्तु दल के सभी सदस्य भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन में सरकार के समर्थक है ।

श्रीमान्, कहा जाता है कि हम भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री सौर्य : इन नियमों का दुरुपयोग होता है । मैं इसका शिकार हुआ हूं ।

Shri Bagri (Hisar): Why the D.I.R. were not used against the rice-mill owners in West Bengal ?

श्री सौर्य : मेरे विरुद्ध भारत प्रतिरक्षा नियम के चार मामले बनाये गये ।

श्री नन्दा : कहा जाता है कि हम माल जमा करने वालों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं । श्रीमन्, देश के विभिन्न भागों में माल जमा करने और मुनाफाखोरी करने के कारण 4,000 व्यक्ति पकड़े गये और नजरबन्द किये गये ।

Shri Ram Sevak Yadav (Barabanki) : For how many days these people were in jail ?

Shri Kachhavaiya : The number of congressmen amongst them ?

Shri Tyagi : Congressmen are not black-marketeers.

श्री नन्दा : खाद्य स्थिति के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि सरकार ने वैध कार्यवाही न करने पर कुछ दुकानदारों को पकड़ा था । उन्होंने अपनी कठिनाइयां बताई और वे छोड़ दिये गये। लौट कर वे एस० एस० पी० के आन्दोलनकारियों से मिले और उन्हें इस शर्त पर प्रत्येक दुकानदर को छुड़ाने का आश्वासन दिया गया कि वे एस०एस०पी के प्रदर्शन में भाग लेंगे ।

प्रस्ताव पेश करने वाले ने संकट के बारे में एक बात कही थी । मैं उनसे पूछता हूं क्या हम बेकार ही प्रतिरक्षा पर बड़ी बड़ी धन-राशियां व्यय कर रहे हैं ? क्या यह सच नहीं है कि हम अपनी प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने साधनों का बड़ा भाग इस पर व्यय कर रहे हैं और इस प्रकार हमारी अर्थ-व्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है ? यदि यह सच है तो यह भी सच है कि कोई खतरा है जिसके कारण हम जनता पर यह सब भार डाल रहे हैं। फिर यदि यह बात सच है तो संकट की स्थिति बनाये रखने के लिए और किसी औचित्य की आवश्यकता नहीं है ?

क्या बम्बई में या और कहीं कपड़ा उद्योग व उद्योगों के एक दिन के लिए बन्द होने से उत्पादन तथा मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं ? जानकार लोग जानते हैं कि इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है । फिर वे कहते हैं "कीमतें बढ़ने के लिए आप जिम्मेदार हैं" । फिर, वे ताल बन्दी के भी पक्ष में नहीं हैं। इस चर्चा से सरकार का अपनी इस क्षमता में विश्वास बढ़ गया है कि वह देशवासियों की उचित रूप में सेवा कर सकती है।

इसके पश्चात् सभा गुरुवार, 17 सितम्बर, 1964/26 भाद्र, 1886 (शक) को ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 17th September, 1964 Bhadra 26, 1886 (Saka).

GMG'PND—LS III—1333 (Ai) LS— 21-10-64—600.